खण्ड-431, अंक-3
बुधवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1921
(14 जुलाई, 1999 ई0)

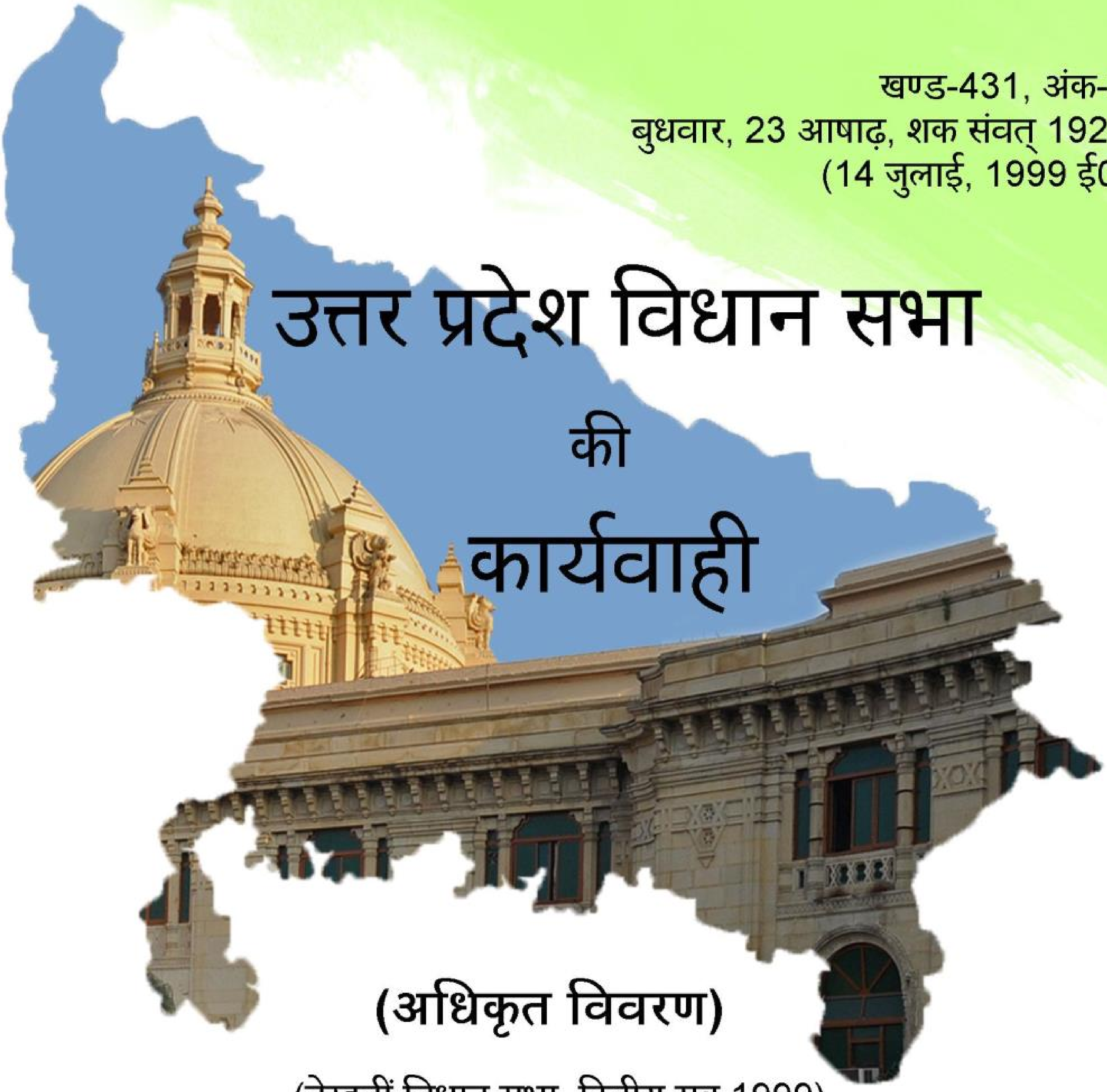

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1999)

खण्ड 431 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1999

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	2-105
— नियम 311 की सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)	105-107
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	107
— वर्ष 1999 में हाईस्कूल के अनुत्तीर्ण लगभग 14 लाख छात्रों का पाठ्यक्रम बदलने से भविष्य अन्धकारमय हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
— जनपद लखनऊ के चिनहट वार्ड में उत्पन्न पेयजल संकट के हल हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
— जनपद सहारनपुर की मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	108-109
— जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर जामो सब-स्टेशन से अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	109
— जनपद चित्रकूट में सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिये कतिपय गाँवों में लिफ्ट नहर योजना स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
— आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जाफरपुर एवं भंवरनाथ में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
— जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा सहावर पटियाली में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
— नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने से संबंधित औचित्य की जानकारी	111-113
— प्रदेश में नई जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति में विधान सभा के सदस्यों को केवल स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113-127
— संसद की भांति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में स्थायी समितियाँ गठित किये जाने हेतु दिनांक 12 मार्च, 1999 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अग्रेतर कार्यवाही करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127-133

विषय	पृष्ठ-संख्या

— दिनांक 7 जुलाई, 1998 के उपवेशन में नियम 300 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 133-137

— सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य किये गये प्रस्ताव तथा अन्य चर्चाओं पर समय आवंटन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 137

— विधान सभा के बाहर धरनारत बुनकरों को वेतन भुगतान किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 138-140

— विधायक निधि का पैसा निकाले जाने की अनुमति न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 140-141

— कारगिल युद्ध में शहीद हुये जनपद महराजगंज के नौतनवां निवासी श्री पूरन बहादुर थापा के दाह संस्कार में जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ... 141-142

— उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया ।) 142

— उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (प्रस्तुत किया गया ।) 142

— जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के ग्राम खेवखर में मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री लल्लू यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 143

— जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित ग्राम कुढ़वा में मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राकेश चन्द्र शुक्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... 143

— जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित ग्राम कुढ़वा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राकेश चन्द्र शुक्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 143

— जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही के विकास खण्ड सुरियावां स्थित रामनगर में वरुना नदी पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में श्री लालजी पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 143-144

— कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) 144-147

— दिनांक 12 मार्च, 1999 के उपवेशन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 54 एवं 55 के सम्बन्ध में श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 147-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
— दिनांक 23 मार्च, 1999 के उपवेशन में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम समिति के स्थान पर संसदीय शोध एवं संदर्भ समिति को विचार एवं प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट करने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	148
— श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	148-149
— श्री बी० आर० वर्मा का उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के संबंध में नियम 123 का अनुपालन न किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	149-151
— उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (पुरः स्थापित)	151
— कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	152-178
— वित्तीय वर्ष 1999–2000 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान ...	178
— अनुदान संख्या 01—आबकारी विभाग (स्वीकृत)	178
— अनुदान संख्या 02—आवास विभाग (स्वीकृत)	178-179
— अनुदान संख्या 03—उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	179
— अनुदान संख्या 05—उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	179
— अनुदान संख्या 06—उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	179-180
— अनुदान संख्या 07—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम) (स्वीकृत) ...	180
— अनुदान संख्या 09—ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	180
— अनुदान संख्या 10—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)	180-181
— अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	181
— अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	181
— अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	182
— अनुदान संख्या 15—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	182
— अनुदान संख्या 16—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	182-183

विषय	पृष्ठ-संख्या

— अनुदान संख्या 17—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत) ... 183
— अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ... 183
— अनुदान संख्या 19—कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 184
— अनुदान संख्या 21—खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ... 184
— अनुदान संख्या 22—खेल विभाग (स्वीकृत) 184
— अनुदान संख्या 24—गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ... 185
— अनुदान संख्या 25—गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) 185
— अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) 185–186
— अनुदान संख्या 27—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत) ... 186
— अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 186
— अनुदान संख्या 31—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) 187
— अनुदान संख्या 32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ... 187
— अनुदान संख्या 34—चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ... 187–188
— अनुदान संख्या 35—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ... 188
— अनुदान संख्या 36—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ... 188
— अनुदान संख्या 37—नगर विकास विभाग (स्वीकृत) 189
— अनुदान संख्या 38—नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ... 189
— अनुदान संख्या 40—नियोजन विभाग (स्वीकृत) 189–190
— अनुदान संख्या 41—निर्वाचन विभाग (स्वीकृत) 190
— अनुदान संख्या 42—न्याय विभाग (स्वीकृत) 190
— अनुदान संख्या 43—परिवहन विभाग (स्वीकृत) 190–191
— अनुदान संख्या 44—पर्यटन विभाग (स्वीकृत) 191
— अनुदान संख्या 48—मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत) 191
— अनुदान संख्या 50—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ... 191–192
— अनुदान संख्या 51—राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत) 192

विषय	पृष्ठ-संख्या

— अनुदान संख्या 52—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) 192
— अनुदान संख्या 53—राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ... 193
— अनुदान संख्या 55—लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ... 193
— अनुदान संख्या 58—लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ... 193–194
— अनुदान संख्या 59—लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) 194
— अनुदान संख्या 60—वन विभाग (स्वीकृत) 194
— अनुदान संख्या 61—वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ... 194–195
— अनुदान संख्या 62—वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ... 195
— अनुदान संख्या 63—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ... 195
— अनुदान संख्या 65—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) 196
— अनुदान संख्या 70—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ... 196
— अनुदान संख्या 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ... 196–197
— अनुदान संख्या 72—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ... 197
— अनुदान संख्या 73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ... 197–198
— अनुदान संख्या 78—सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ... 198–199
— अनुदान संख्या 79—समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत) 199
— अनुदान संख्या 80—समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत) 199–200
— अनुदान संख्या 82—सतर्कता विभाग (स्वीकृत) 200
— अनुदान संख्या 90—संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर) (स्वीकृत) 200
— अनुदान संख्या 91—संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) 200–201
— अनुदान संख्या 94—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ... 201
— अनुदान संख्या 95—उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत) ... 201–202
— उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (पुरःस्थापित तथा पारित) 202–209
— उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 (पारित) ... 209–213

विषय	पृष्ठ-संख्या
— इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने से सम्बन्धित नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	213
— प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गंभीर समस्या के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन	213
— नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	213–215
— नत्थियाँ	216–221

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला	
भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, श्री	जालौन
भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राज राय सिंह, श्रीमती	पीलीभीत
राजा गज़नफर अली खां, श्री	बिजनौर
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम लखन, श्री	सुल्तानपुर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू", श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शिवेन्द्र सिंह, उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकर नगर
श्रीनिवास मणि, श्री	देवरिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बिहार पंचायत सभा

बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

सुश्री मायावती जी ने सन्त कबीर नगर को...

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मैंने नियम 311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 की सूचना नियम 56 में परिवर्तित कर दी गई है। शलाका के आधार पर यह किया गया है।

(व्यवधान)

यह परम्परा पड़ती जा रही है। आप लोग कृपया बैठ जाएं। नियम 311 की सूचना नियम 56 में परिवर्तित कर दी गई है उसके अनुसार इसका निस्तारण होगा। कृपया शांत रहें, कल से कक्ष में निरस्त कर दी जाएगी।

(श्री रामतेज यादव एडवोकेट एवं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के एक साथ बोलने पर व्यवधान हो रहा था)।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-1 पुकारी गयी)।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ऐसे रहा तो मैं पूरे प्रश्नकाल को स्थगित कर दूँगा। कृपया बैठ जाएं।

(अनेक सदस्य एक साथ बोल रहे थे) कुछ लिखा नहीं जाएगा। कृपया बैठ जाएं, सदन नियमानुसार चलेगा)।

(सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

मैं सदन को 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(इस समय 11 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विभिन्न फसलों के घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को अतिरिक्त बोनस देने की मांग।

****1.-श्री राम औतार शाक्य, श्री राम ललित चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल-**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये घोषित धान, गेहूं, जौ एवं चना के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त क्या प्रदेश सरकार किसानों को अतिरिक्त बोनस देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)-

खरीफ 1999-2000 की विभिन्न फसलों के अन्तर्गत धान का समर्थन मूल्य अभी भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाना है। गेहूं, जौ, चना के घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को अतिरिक्त बोनस दिया जाना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाने की जानकारी

**** 2-श्री गोरख नाथ पाण्डेय, कुं0 रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-**

क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में सिंथेटिक दूध की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके उत्पादन एवं बिक्री पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि सिंथेटिक दूध से अनेक जानलेवा बीमारियां फैलने का डर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को इससे परिचित कराने का कोई अभियान चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

सिन्थेटिक दूध की बिक्री के विषय में तो कोई सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन अपमिश्रित दूध के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। अपमिश्रित दूध के उत्पादन एवं बिक्री पर जनपद स्तर पर पी0एफ0ए0 एक्ट-1954 के तहत

टिप्पणी:- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

लगातार कार्यवाही की जाती है और दूध के सैम्पूल लेकर उन्हें परीक्षण कराकर अपमिश्रित पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध उक्त एक्ट के तहत अभियोजन की कार्यवाही भी की जाती है।

15 अप्रैल, 1999 से 5 जुलाई, 1999 तक विशेष अभियान भी शासन द्वारा चलाया गया और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के नेतृत्व में दूध के सैम्पूल इत्यादि लेने की कार्यवाही की गयी, जिसका विशेष प्रभाव रहा है।

सिन्थेटिक दूध से अनेक जानलेवा बीमारियां फैलने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है फिर भी चूंकि अपमिश्रित दूध की बिक्री से स्वास्थ्य पर हानि होने की सम्भावना रहती है, इसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में तथा दुग्ध विकास विभाग एवं चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही की जा रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिनांक 28.12.98 का प्रेषित ज्ञापन तथा सरकार द्वारा लिये गये निर्णय

*1-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश का कोई ज्ञापन दिनांक 28-12-98 को सात सूत्रीय मांगों सहित माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या उस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

सिंचाई संघ द्वारा प्रेषित मांगों की स्थिति निम्नानुसार है:-

(1) पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाने तथा कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नलकूपों के कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में कर दिए गये हैं।

(2) प्रकरण विचाराधीन है।

(3) नलकूप चालकों को बहुउद्देशीय कर्मी नियुक्त किए जाने के उपरान्त नलकूप चालक संवर्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(4) कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान पर लगी रोक माह 12/98 में समाप्त कर दी गई है।

(5) प्रकरण विचाराधीन है। सींच पर्यवेक्षक के वेतनमान में विसंगति के सम्बन्ध में प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु सिंचाई संघ से अनुरोध किया गया है।

(6) बजाज समिति की संस्तुति के आधार पर आवास भत्ता व नगर प्रतिकर भत्ता के आदेश शासनादेश दिनांक 11-06-99 व 10-06-99 को निर्गत किये जा चुके हैं।

(7) सींच पर्यवेक्षकों की कन्टिजेन्सी की धनराशि बढ़ाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में मुंह के कैंसर की रोक थाम के लिए सरकार की योजना तथा तम्बाकू पर प्रतिबन्ध की मांग

*1-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी की प्रदेश में बढ़ते हुये मुंह के कैंसर की रोकथाम के लिये क्या कोई विशेष कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार होने वाले मुंह के कैंसर के कारणों को बतायेगी? क्या यह सच है कि गुटखा एवं मैनपुरी वाली तम्बाकू भी मुंह में कैंसर पैदा करती है? यदि हां, तो क्या उनके उत्पादन पर सरकार प्रतिबन्ध लगायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में मुंह के कैंसर की रोकथाम के लिये अलग से कोई योजना क्रियान्वित नहीं है अपितु वर्तमान में प्रदेश में भारत सरकार का राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम क्रियाशील है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश के 5 जनपदों में कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था में खोज एवं उसके उपचार की प्रयोगात्मक योजना चलाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर पैदा करने वाले तत्वों में तम्बाकू का सेवन प्रमुख है। इस सम्बन्ध में शोध कार्य किये जा रहे हैं।

जी हां।

भारत सरकार में इस हेतु एक विधायन तैयार किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

नर्सिंग होम तथा सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को नष्ट करने के सम्बन्ध में जानकारी

*2-श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नर्सिंग होम तथा सरकारी अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निपटाने में क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन सरकारी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में कचरा निपटान यंत्र लगे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि निकलने वाले कचरे को खुले में फेंकने से संक्रामक रोग फैलते हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-883/96, अलमित्रा एच0 पटेल एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय चिकित्सालयों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । निजी नर्सिंग होम में स्थापित सयंत्रों की सूचना सम्प्रति शासन में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-04-96 के माध्यम से प्रदेश के 50 चिकित्सालयों में सयंत्रों की व्यवस्था हेतु कुल 204.50 लाख रुपये की स्वीकृति निर्गत की गयी है; इन संयत्रों (इंसीनरेटर) के क्रय के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्ष 1998-99 के पेराई सत्र के अवशेष भुगतान की मांग

*3-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर वर्ष 1998-99 के पेराई सत्र का कुल कितना गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है और कितना शेष है ? सरकार द्वारा गन्ने मूल्य का भुगतान के लिये क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार गन्ना खरीद अधिनियम, 1953 की धारा 17 के अनुसार बकाया गन्ना मूल्य को ब्याज सहित भुगतान दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1998-99 के पेराई सत्र का रु0 3012.56 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष रु0 247.56 करोड़ के भुगतान हेतु मिलों की निरन्तर समीक्षा करके गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार प्रोन्नति कर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

*4-डा0 राम बाबू हरित-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु क्या नीतिगत फैसले किये गये हैं? क्या मा0 सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय दिनांक 23 मार्च, 95 तथा 26 जुलाई, 1996 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुपालन कर आरक्षण कोटा पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभागीय त्रुटियों के कारण लगभग 25 चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति उप मुख्य चिकित्साधिकारी के रूप में नहीं हो पायी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रोन्नति का आरक्षण कोटा पूरा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु शासन की सामान्य नीति का पालन स्वास्थ्य विभाग में भी किया जा रहा है। कोई अलग से नीतिगत फैसले नहीं किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय त्रुटियों के कारण नहीं अपितु सामान्य श्रेणी के 76 एवं आरक्षित वर्ग के 21 अधिकारियों की प्रोन्नति के प्रकरण उनकी कतिपय वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां उपलब्ध न होने/अपूर्ण अभिलेखों के कारण इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा स्थगित कर दिये गये थे। कालान्तर में इनमें से अधिकांश अधिकारियों की प्रविष्टि/अभिलेख पूर्ण होने के बाद भी, मा0 उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य केस में पारित स्थगन आदेश के कारण, फिलहाल प्रोन्नति की कार्यवाही सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अपास्त होने के बाद ही आरक्षण कोटा पूरा करने की दिशा में कार्यवाही सम्भव होगी।

जनपद हमीरपुर की राठ विधान सभा क्षेत्र में लंहचूरा बांध में गर्मियों में पानी के अभाव को देखते हुए मवेशी को पेयजल की सुविधा देने की मांग

*5-श्री रामाधार सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड-। विशेषकर जनपद हमीरपुर की राठ विधान सभा क्षेत्र में लहचूर बांध के पुराव के कारण गर्मियों में नहरों में पानी के अभाव हो जाने से तालाबों में पानी न भरने से मवेशी प्यास से मर रहे हैं? यदि हां, तो क्या पशुओं की पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु सरकार कोई विशेष योजना बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जल के अभाव में किसी मवेशी की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु नई नीति बनाये जाने की जानकारी

*6-श्री अम्बरीष कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नयी चीनी मिलों की स्थापना हेतु क्या कोई नीति बनायी गई है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये लाइसेंस समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदी नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु कोई नयी नीति नहीं बनायी गयी है।

चीनी उद्योग लगाने का लाइसेंस भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्धन विभाग द्वारा दिया जाता था जिसे उनके द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या 12 (सिरीज 1998), दिनांक 31-8-98 द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त घोषित किया जा चुका है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा इसका लाइसेंस समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

* 7-डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में निजी क्षेत्र में मेडिकल/डेन्टल कालेज खोलने तथा निर्धन व मेधावी छात्रों की फीस में छूट की सुविधा प्रदान करने की मांग

*8-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कितने मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेजों का मान्यता प्रदान की गई है ? क्या सरकार निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तथा डेन्टल कालेजों की फीस को नियंत्रित करके निर्धन तथा मेधावी छात्रों को सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री शिवाकान्त ओझा)-

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में 3 मेडिकल तथा 7 डेन्टल कालेज खोले जाने की अनुमति दी गयी है ।

निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेन्टल कालेजों के फीस का निर्धारण मा0 उच्चतम न्यायालय तथा भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार शासनादेश संख्या-5335/पांच-14-97-142/96, दिनांक 27-09-97 द्वारा निर्धारित किया गया है । छात्रों को फीस में छूट दिये जाने का कोई प्राविधान उक्त शासनादेश में नहीं है । वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में नकली दवाओं की बिक्री की रोकथाम की जानकारी

*9-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली दवायें बेचे जाने की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या इसकी रोक-थाम हेतु सरकार ने अब तक कोई अभियान चलाया है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ? क्या प्रदेश में पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

जी हां, वर्ष 1998-99 में दो विशेष छापामार अभियान चलाए गये ।

उक्त अभियान में कुल 934 औषधियों के नमूने एकत्र किये गये, जिसमें दो नमूने नकली पाये गये ।

जी नहीं, प्रदेश के विभिन्न जनपदों हेतु वर्तमान में 72 पद सृजित हैं, जिसके विरुद्ध 61 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं ।

शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी निगम मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण नीति

*10-श्री रमेश राही-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी निगम मुख्यालय की स्थापना के वर्ष से अब तक मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों की कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार निगम की स्थानान्तरण नीति घोषित करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण उनकी उपयोगिता एवं कार्य आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर किया जाता है।

आवश्यकता नहीं है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर, हैरिंगटनगंज, मिल्कीपुर, तारुन, सोहावल में जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सरकार की योजना व कार्यान्वयन

*11-श्री सीताराम निषाद-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पांचवें गुरूवार के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू-जल सर्वेक्षण के आधार पर आंकलित भू-जल उपलब्धता के सम्बन्ध में जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड बीकापुर, हैरिंगटनगंज, मिल्कीपुर, तारुन, सोहावल को "ग्रे" श्रेणी में चिन्हित किया गया है? यदि हां, तो उक्त विकास खण्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा उसके समाधान हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प वित्तीय वर्ष 1999-2000 में लगाने हेतु कोई योजना बनायी जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)-

जी हां, विकास खण्ड में भू-जल विकास स्तर के आधार पर नावार्ड द्वारा जनपद-फैजाबाद के विकास खण्ड-बीकापुर, हेरिन्गटनगंज, मिल्कीपुर, तारून व सोहावल को "ग्रे" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विकास खण्डों में त्वरित कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति बस्ती कार्यक्रमों के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य पूर्व से प्रगति पर है। वर्ष 1999-2000 में विकास खण्डों के सभी ग्राम, मानक के अनुसार संतृप्त किए जाने प्रस्तावित हैं।

जनपद मुरादाबाद में नकली दूध (सिन्थेटिक) के उत्पादन तथा उनसे उत्पन्न बीमारी की रोकथाम के उपाय

*12-मेजर जगतपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में नकली दूध (सिन्थेटिक) का उत्पादन भारी संख्या में किया जा रहा है? क्या इसके कारण भारी संख्या में बीमारी फैल रही है? क्या उक्त नकली दूध को जनपद मुरादाबाद में रुकवाने के लिये कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद मुरादाबाद में सिन्थेटिक दूध के भारी उत्पादन की कोई सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन अपमिश्रित दूध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इसके कारण सिन्थेटिक दूध से बीमारियां फैलने के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

प्रदेश के अन्य जिलों के साथ-साथ जनपद मुरादाबाद में अपमिश्रित दूध के उत्पादन, विक्रय, विक्रय हेतु भण्डारण/परिवहन को रोकने के लिए दिनांक 15 अप्रैल, 1999 से विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही प्रचलित है, जिसके फलस्वरूप वहां 101 नमूने एकत्र किए गए, जिनमें 54 की जांच हो चुकी है, जिसके सापेक्ष्य 19 नमूने अपमिश्रित पाये गये, इनमें से 3 मामलों में वाद दायर किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दण्डात्मक अधिकार देने की मांग

*13-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को दण्डात्मक अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री-(श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")-

जी नहीं, सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा देने हेतु कैटस्टकेन और एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराने की मांग

*14-श्री केशो मेहरा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों को नवीनतम उपकरणों से शिक्षा दिये जाने हेतु आधुनिकतम उपकरण कैटस्टकेन मशीन और एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन-किन मेडिकल कालेजों में ? यदि नहीं, तो कब तक सरकार उनमें उक्त उपकरण एवं अन्य तकनीकी उपकरण एवं अन्य उच्च तकनीकी उपकरण उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन उपकरणों के क्रय में अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है, जिसके लिये व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में रुग्ण वस्त्र उद्योगों के पुनरुद्धार की योजना व बेरोजगारों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

*15-श्री राजधारी-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में अब तक कुल कितने वस्त्र उद्योग रुग्ण घोषित किये जा चुके हैं ? इन रुग्ण इकाइयों से कितने लोग बेरोजगार हुये हैं ? क्या सरकार द्वारा रुग्ण वस्त्र उद्योगों के पुनरुद्धार की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

वस्त्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत हथकरघा निगम एवं यूपिका कार्यरत है जो व्यक्तिगत क्षेत्र व सहकारी क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों के कल्याणार्थ गठित है। यद्यपि इन दोनों शीर्षस्थ संस्थाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परन्तु इन्हें अभी तक रुग्ण घोषित नहीं किया गया है।

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ की 11 कताई मिलें सहकारी संस्थाएं हैं जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न होने के कारण बी0 एफ0 आई0 आर0 की परिधि से बाहर हैं। कर एवं संस्थागत वित्त विभाग द्वारा व्यापार कर की धारा 38(1) के अन्तर्गत कताई मिल संघ को रुग्ण घोषित करते हुए व्यापार-कर स्थगित कर दिया गया है।

उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम तथा कतिपय अन्य इकाईयों/मिलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

उ0प्र0 हथकरघा निगम की खलीलाबाद स्थित इकाई को बन्द करने के निर्णय के फलस्वरूप 103 कर्मचारियों की छंटनी का निर्णय लिया गया है। सहकारी कताई मिल संघ के कोई भी कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुए। अन्य इकाईयों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

हथकरघा निगम में पुनर्वासन पैकेज लागू की गयी है। कताई मिलों के पुनरोद्धार हेतु पैकेज में व्यापार-कर का पांच वर्ष के लिये स्थगन, वित्तीय संस्थाओं के बकायों का एक मुश्त समाधान, शासन द्वारा प्रदत्त ऋण अंशपूंजी में परिवर्तन, बन्दी अवधि में न्यूनतम विद्युत प्रभार से माफी तथा आधुनिकीकरण हेतु शासन द्वारा अंशपूंजी उपलब्ध कराना आदि सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरिद्वार में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे के पदों की संख्या तथा प्रोन्नत पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण के आधार पर न भरे जाने की जानकारी

1-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की जनपद हरिद्वार में कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कोटे के पद हैं? क्या उन पदों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को नियुक्ति दी गयी है? क्या प्रतिरूप सहायक से वैज्ञानिक के पदों पर विभाग द्वारा प्रोन्नत पदों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को आरक्षित पदों में रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की, सिंचाई विभाग का एक संगठन मात्र है। आरक्षित पदों की गणना विभाग में संवर्गवार स्वीकृत पदों के आधार पर की जाती है। ऐसी दशा में सिंचाई अनुसन्धान संस्थान, रुड़की के लिए स्वीकृत पदों को आधार मानकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षित पदों की गणना सम्भव नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को पदोन्नति के पदों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नियमों में नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की तहसील सरधना में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

2-प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरधना विधान सभा क्षेत्र, जनपद-मेरठ में काली नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो उसके किनारे बसने वाले गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (चौ0 नरेन्द्र सिंह)-

जी हां।

सरधना विधान सभा क्षेत्र में काली नदी के किनारे बसे हुये गांवों को शुद्ध पेयजल इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प लगाकर उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में विभिन्न विभागों की योजनाओं/उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु व्यय सीमा का निर्धारण, नियंत्रण तथा अपव्यय को रोकने विषयक मामला

3-श्री श्रीराम पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगें कि विभागीय योजनाओं तथा उपलब्धियों के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन पर प्रत्येक विभागवार एक वित्तीय वर्ष में व्यय की कोई सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-98 तक कितना धन व्यय हुआ ? क्या वित्तीय नियंत्रण करके सरकारी धन का अपव्यय रोका जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

यह प्रश्न विभिन्न विभागों की योजनाओं/उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में व्यय-सीमा निर्धारण से भी सम्बन्धित है, जिसके सापेक्ष सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग से सूचनाएं मांगी गयी हैं। वांछित विवरण प्राप्त होते ही समग्र रूप से उत्तर दिया जाना सम्भव हो सकेगा। सम्प्रति सूचनाएं एकत्र की जा रहीं है।

उ0 प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी

4-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष और बढ़ा दिये जाने का प्राविधान है और इसके बाद कार्यकाल बढ़ाये जाने के प्राविधान आयोग में नहीं है ? यदि हां, तो सदस्य श्री उमेश चन्द्र का कार्यकाल किस आधार पर बढ़ाया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

उ0 प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष है। कार्यकाल बढ़ाने का प्राविधान नहीं है लेकिन रिक्त हुए स्थान पर नई नियुक्ति की जा सकती है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री उमेश चन्द्र का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था जिसे पुनः एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस कार्यकाल के बीच में ही श्री उमेश चन्द्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया गया था जिसे शासन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में उच्च चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में लम्बित बिन्दुओं के शीघ्र निस्तारण की मांग

5-श्री सीताराम निषाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों के एस0जी0पी0जी0आई0 में उच्च चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थान के अध्यक्ष एवं प्रदेश के मुख्य सचिव ने दिनांक 16 नवम्बर, 1998, पत्र संख्या-2699/पी0एस0एम0एस0/1998 द्वारा प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र के संदर्भ में क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्या लम्बित बिन्दुओं के शीघ्र निस्तारण के लिये सरकार कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संस्थान द्वारा डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव को निर्गत किए गए प्रमाण-पत्र के सन्दर्भ में किसी प्रकार का संशोधन रिट याचिका में अन्तिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' स0वि0स0 के क्षेत्र के खराब इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-7-98 या इसके आसपास जो इण्डिया मार्का-।। नल खराब होने एवं पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 नल लगाने के संबंध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

1-प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-6-98 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में 29 ग्रामों में हैण्डपम्प खराब होना दर्शाया गया है। इन 29 ग्रामों में 34 हैण्डपम्प खराब पाये गये जिनमें से 27 हैण्डपम्पों को ठीक कराकर चालू करा दिया गया है। शेष हैण्डपम्पों को भी शीघ्र ठीक कराने के निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

उक्त पत्र में 6 ग्रामों में 8 नये हैण्डपम्प लगाने का भी उल्लेख किया गया है जिनमें से 5 ग्रामों में 7 हैण्डपम्प माननीय विधायक एवं ग्राम प्रधान की संस्तुति पर लगाये जा चुके हैं। एक ग्राम पूर्व से ही पेयजल से संतृप्त है, अतः उस ग्राम में हैण्डपम्प नहीं लगाया गया।

जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा कोपा, सदर ब्लाक, सदर तहसील में व्यक्ति विशेष के घर के दरवाजे पर बिना विधायक की सहमति से हैण्डपम्प लगाने की शिकायत

7-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोपा, सदर ब्लाक, सदर तहसील, जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 29-5-98 को एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प व्यक्ति विशेष के घर के दरवाजे के सामने क्षेत्रीय विधायक के विरोध के बावजूद स्थापित कर दिया है? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 30-5-98 को उक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापन रोकने के आदेश किये हैं? यदि हां, तो क्या जल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं। ग्राम सभा कोपा में प्रश्नगत दिनांक को कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में लगाये गये इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में की गयी अनियमितताओं की जांच

8-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-98 या इसके आसपास जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में लगाये गये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में ठेकेदार एवं जल निगम के अवर अभियन्ता

द्वारा रिश्वत लेने की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह -

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी । जांच में जल निगम का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में नलकूप निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के लगाये जाने में अनियमितताओं की जानकारी

9-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि । अगस्त, 1998 के बाद अब तक जनपद मैनपुरी में नलकूप निगम मैनपुरी को कितना धन ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के संबंध में दिया गया और ब्लाकवाइज जनपद मैनपुरी में किस-किस के प्रस्ताव से कितने हैण्डपम्प लगवाये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प मानक के विपरीत लगवाये गये और उसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह -

एक अगस्त, 1998 के बाद अब तक जनपद मैनपुरी में ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु नलकूप निगम, मैनपुरी को रु0 56.809 लाख की धनराशि दी गयी है जिससे अब तक विकास खण्डवार निम्नवत 324 हैण्डपम्प कार्य योजना के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव से लगाये गये हैं :-

क्रमांक	विकास खण्ड	हैण्डपम्प की संख्या
1	2	3
1.	मैनपुरी	150
2.	घिरोर	11
3.	कुरावली	23
4.	सुल्तानगंज	09
5.	बेवर	07
6.	किशनी	26

1	2	3
7.	जागीर	38
8.	करहल	15
9.	बरनाहल	45
	योग	324

उक्त लगाये गये हैण्डपम्पों में कोई भी हैण्डपम्प मानक के अतिरिक्त नहीं लगाया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, भवन निर्माण खण्ड-2 लखनऊ में अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, भवन निर्माण खण्ड-2 लखनऊ के का0ज्ञा0सं0 169/भ0नि0ख0-2/, दिनांक 25-2-93 द्वारा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दिनांक 6-2-99 को एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है। कर्मचारी सेवा से त्याग-पत्र देकर सेवामुक्त हो गया है।

जिला लखनऊ, ब्लाक काकोरी ग्राम ईटगांव में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि द्वारा किये गये कार्यों का विवरण तथा ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा धन आहरित करने की शिकायत

11-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रा0-ईटगांव, ब्लाक काकोरी, जिला लखनऊ के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अब तक कुल स्वीकृत धनराशि से कितने आवास, शौचालय, खड़न्जे एवं नालियों का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सच है कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी द्वारा आहरित धन का 90

प्रतिशत धन हड़प लिया गया है ? क्या उक्त प्रकरण के विरुद्ध जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर पर शिकायत करने के बावजूद भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

ग्राम ईटगांव, ब्लाक काकोरी, जिला लखनऊ में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 9,40,000.00 से अब तक 24 आवास तथा 7 शौचालय पूर्ण हो चुके हैं । 18 आवास निर्माणाधीन है तथा 5 आवासों पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है । नाली एवं खड़न्जा निर्माण की कोई कार्य योजना इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रस्तावित नहीं थी ।

जी नहीं ।

ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी के विरुद्ध प्रश्नगत प्रकरण में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रकरण में चूंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच कराने का अवसर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में रुदौली विधान सभा क्षेत्र के नाले में जल भराव तथा उसकी सफाई की मांग

12-आचार्य रामदेव वैश्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रुदौली विधान सभा क्षेत्र, जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मड़हा ड्रेन में जल भराव तथा फैलाव के कारण हजारों बीघा जमीन कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए उक्त ड्रेन की सफाई की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

रुदौली विधान सभा क्षेत्र जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत नाले में जलभराव/फैलाव के कारण 167 हेक्टेयर जमीन प्रभावित होती है ।

समस्या के समाधान के लिये मड़हा नाले के आउटफाल से 196 कि0मी0 तक एवं आउटफाल से टोंस नदी के कुछ भाग की खुदाई कराने की आवश्यकता है । परन्तु नदी की खुदाई व्यवहारिक रूप से अत्यन्त दुष्कर एवं महंगा कार्य है । मात्र मड़हा नाले की सफाई कराने से समस्या का पूर्ण समाधान सम्भव नहीं है । अतः मड़हा नाले की सफाई प्रस्तावित नहीं है ।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित मजदूर संघ उ0 प्र0 सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री के शिकायती पत्र पर कार्यवाही की मांग

13-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं से सम्बन्धित सिंचाई मजदूर संघ उ0प्र0 सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री का पत्रांक 1354/दिनांक 9-8-98, पत्रांक 1154/दिनांक 9-8-98, पत्रांक 720/दिनांक 14-11-98, पत्रांक 721/दिनांक 14-11-98, पत्रांक 704/दिनांक 3-11-98 व पत्रांक 705/दिनांक 3-4-98, दिनांक 9-8-98 व पत्रांक 816/दिनांक 10-1-99 उन्हें प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सन्दर्भित पत्रों में से पत्रांक-1354 दिनांक 9-8-98, 1154, दिनांक 9-8-98, 705 दिनांक 3-11-98 तथा 816 दिनांक 10-1-99 प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर में इन्दिरा आवासों के आवंटन में अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

14-श्री कृपा शंकर सिंह-

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव में इन्दिरा आवासों के आवंटन में की गयी अनियमितता की जांच हेतु संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 1998 को जिलाधिकारी, उन्नाव को कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटन में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी को दोषी पाया गया है।

सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय शंकर वर्मा को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है तथा एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता स्तर-1/2 के कर्मचारियों की पद स्थापना, प्रोन्नति के फलस्वरूप शासनादेश के तहत मुख्यालय से बाहर सम्बद्ध किये जाने के आदेश के विपरीत मुख्यालय में सम्बद्ध करने की शिकायत

15-श्री शिवपाल सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा शासनादेश है जिसके आधार पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) उन कर्मचारियों को, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अनुसचिवीय नियमावली, 1971 के अनुसार प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग हैं, शासनादेश संख्या 3536/23-1-87-165/85, दिनांक 15-6-87 के आधार पर अधिकार प्राप्त सक्षम अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन) द्वारा जिन कर्मचारियों की पदस्थापना प्रोन्नति के फलस्वरूप मुख्यालय से बाहर की गयी है, उसमें संशोधन करके मुख्यालय में सम्बद्ध कर लेते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ? यदि कोई शासनादेश या नियम नहीं है तो क्या ऐसे सभी आदेशों को निरस्त करके मुख्यालय से सम्बद्ध कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया जायेगा और सम्बद्ध करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सम्प्रति प्रश्नगत श्रेणी के किसी कर्मचारी को मुख्यालय से सम्बद्ध नहीं किया गया है। अत: शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग में टेढ़वा बांध तथा मलमलिया बांध बनाये जाने की मांग

16-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैण्डास बुजुर्ग में टेढ़वा बांध तथा मलमलिया बांध हेतु वर्ष 1997-98 व 1998-99 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या बांध का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

टेढ़वा बांध तथा मलमलिया बांध का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। इसलिए वर्ष 1997-98 व 1998-99 में धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में 43 बी0 शासी निकाय के निर्णयानुसार पदोन्नति में आरक्षण की जानकारी

17-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में 43 बी0 शासी निकाय के निर्णय में यह तय हुआ था कि रिक्त पदों पर 2/3 पद पदोन्नति से भरे जायेंगे जिसमें रोस्टर भी लागू होगा ? यदि हां, तो क्या कार्यालय अधीक्षक के रिक्त 10 पदों में से 8 पद पदोन्नति से भरे गये जिसमें रोस्टर के अनुसार दो पद आरक्षित वर्ग के होने चाहिये थे किन्तु उक्त अनुसूचित के आरक्षित वर्ग का कोई भी नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? उक्त आरक्षित पद पर नियमानुसार नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हां।

कुल स्वीकृत 10 पदों में आरक्षित 02 पद बनते हैं जो उपर्युक्त कर्मी न होने के कारण रिक्त हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

(1 ले गुरुवार में अता0 प्र0 सं0-96 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लांवा, दारूकुइयां में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

19-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम दारूकुइयां में कोई भी राजकीय नलकूप नहीं है जिससे जनता को सिंचाई सम्बन्धी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में कोई नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

वर्तमान में नये नलकूपों के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत नर्स/कम्पाउण्डर/हास्टल वार्डेन/पालकमाता की वरिष्ठता सूची बनाये जाने की कार्यवाही की जानकारी

20-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नर्स/कम्पाउण्डर/हास्टल वार्डेन/पालकमाता की वरिष्ठता सूची बना ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वरिष्ठता सूची कब तक बना ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)-

जी नहीं।

समस्त जनपदों की सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण वरिष्ठता सूची नहीं बन सकी है।

संगत सूचनायें जनपदों से प्राप्त करके यथानियम अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के राजकीय निराश्रित महिला कर्मशाला, फुरसतगंज की जांच में दोषी पायी गई सिलाई प्रशिक्षिका श्रीमती शीला के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

21-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के छठे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-95 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शीला, सिलाई प्रशिक्षिका को दिये गये आरोप पत्र का जवाब प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो आरोप पत्र में जवाब की अवधि समाप्त होने के बाद श्रीमती शीला के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

जांच अधिकारी द्वारा अपनी एक पक्षीय जांच आख्या प्रस्तुत कर दी गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आरोपपत्र का जवाब न देना संज्ञेय अपराध नहीं है।

बाल विकास परियोजना, विकास खण्ड [illegible], जनपद सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पदों में आरक्षण व्यवस्था लागू न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

22-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1999 के पांचवें बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजना अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली व आगरा में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, यात्रा बिलों के देयकों की आपत्ति दूर करने एवं उनके निस्तारण की मांग

23-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 5वें बुधवार के अता0प्र0सं0 121 के उत्तर के सदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के यात्रा-भत्ता बिल की आपत्ति दूर करा ली गई ? यदि हां, तो कब ? क्या जनपद आगरा से नर्स संवर्ग में यात्रा-भत्ता के दावे प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो जनपद रायबरेली, आगरा के दावे में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यात्रा-भत्ता बिलों का कब तक भुगतान किया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

आपत्तियों के निराकरण हेतु यात्रा बिल सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजे गये हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा आपत्तियों के निराकरण के बाद यात्रा बिल पुनः प्रस्तुत करने पर।

जी हां।

दावों पर कतिपय कमियां परिलक्षित हुई थी जिनके निराकरण हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से कहा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कमियों के निराकरण के उपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद सीतापुर में राजकीय शिशु सदन की बिल्डिंग जर्जर हालत में होने के कारण संस्था को अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

24-श्री संजय वर्मा-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में राजकीय शिशु सदन की बिल्डिंग (भवन) जर्जर हालत में है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में राजकीय बाल सदन तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह के भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण संस्थान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

25-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली में राजकीय बाल सदन तथा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का भवन जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो इन संस्थाओं को कब तक अन्य जगह स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

राजकीय बाल सदन का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है।

राजकीय बाल सदन, रायबरेली हेतु उपर्युक्त भवन की तलाश की जा रही है। संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन उपलब्ध होने पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली, तहसील नवाबगंज, ग्राम मौजम नगला खालसा में गलत लगी आबपासी तावान की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

26-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 08-01-99 जो अधिशासी अभियन्ता रोहिल खण्ड, नहर खण्ड, बरेली को सम्बोधित है और जो ग्राम मौजम नगला खालसा तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के लगभग 1400 बीघा के गलत लगी आवपासी तावान की जांच कराकर रद्द करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर आवपासी तावान रद्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

जांच के उपरान्त आवपासी व तावान की कार्यवाही नियमानुसार पायी गयी है। अतः रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली लोक निर्माण विभाग, द्वारा निर्मित लतापुर उस्मानपुर से दुवावट तक बनी सड़क पर डवावर के पास काण्डनाला पर पुलिया निर्माण की मांग

27-श्री छोटेलाल गंगवार-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-98 जो लो0नि0 विभाग बरेली द्वारा निर्मित लतापुर उस्मानपुर से दुवावट तक बनी सड़क पर डवावर के निकट कांड नाला पर सुनिश्चित रोजगार योजना से पुलिया बनवाने के लिये अपर जिला अधिकारी (परियोजना), बरेली को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

सम्प्रति उक्त पुलिया का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली, विकास खण्ड बहेड़ी के ग्राम पृथ्वीपुर में तालाब की सुरक्षा हेतु दीवार को बनाने में अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

28-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997-98 में ग्राम पृथ्वीपुर, विकास खण्ड बहेड़ी, जिला बरेली में तालाब की सुरक्षा हेतु दीवार के निर्माण कराने के लिये सुनिश्चित रोजगार योजना से रुपये 6 लाख से अधिक की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी बहेड़ी को दी गई थी ? क्या इसकी जांच सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 बरेली द्वारा मौके पर जाकर की गई है ? यदि हां, तो जांच में कितनी ईंटों व सीमेंन्ट का लगाना पाया गया है और कितना धन श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दिया गया है ? क्या मस्टर रोल की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के श्रेणी-I व II के अधिकारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

29-डा0 राम बाबू हरित-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999 में श्रेणी-I व II के कितने स्थानान्तरण उनके द्वारा किये गये हैं ? उन पर कितना खर्च आया ? क्या सरकार ने कोई स्थानान्तरण नीति लागू की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1999 में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के श्रेणी-I व II के कुल 864 अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ।

खर्च का विवरण स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल प्राप्त होने पर ज्ञात होगा ।

जी हां ।

वर्ष 1999 की स्थानान्तरण नीति, कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-173/96-का-4-1999, दिनांक 8 अप्रैल, 1999 द्वारा निर्धारित/परिचालित है ।

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों के प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

30-डा0 राम बाबू हरित-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अनुभाग-3 के पत्र सं0 4836/सेक-03-05-97(164)/96, दिनांक 9 जुलाई, 1997 के अनुसार

चिकित्साधिकारी की प्रोन्नति ज्येष्ठतम श्रेणी के वेतनमान रुपये 3000-4000 में की गई है ? क्या इसमें आरक्षित कनिष्ठ लोगों को वरिष्ठ लोगों के विरुद्ध प्रोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या वांछित वरिष्ठ लोगों को आरक्षण कोटा पूरा करने हेतु प्रोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

जी नहीं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निदेशानुरूप दिनांक 22-11-96 को जारी प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग की ज्येष्ठता सूची के अनुसार पहले से ज्येष्ठ श्रेणी में प्रोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी से वरिष्ठ हो गये सभी अधिकारियों को ज्येष्ठ श्रेणी में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के बारे में विचार किया गया और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ज्येष्ठ श्रेणी में प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ज्येष्ठता सूची के अनुसार आरक्षित वर्ग के अर्ह सभी अधिकारियों को ज्येष्ठ श्रेणी वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पहले ही विचार किया जा चुका है तथा रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रोन्नति प्रदान किये जाने की कार्यवाही भविष्य में भी की जायेगी ।

श्री रमेश, ग्राम व पोस्ट कठौरा, तहसील सिकन्दरपुर, जिला बलिया, द्वारा फर्जी पिता का नाम श्री डबरू दिखाकर इन्दिरा आवास आवंटित करने की शिकायत तथा दोषी जनों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

31-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री रमेश जो ग्राम व पोस्ट कठौरा तहसील सिकन्दरपुर जिला बलिया का निवासी है, ने ग्राम व पो0 इन्दौरा विकास खण्ड कोपागंज जनपद मऊ का फर्जी निवासी बनकर एवं फर्जी पिता का नाम श्री डबरू दिखा कर अप्रैल, 1999 में इन्दिरा आवास का आवंटन करा लिया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर सरकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये इन्दिरा आवास का आवंटन निरस्त करेगी और श्री रमेश के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 420 का मुकदमा कायम करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जिलाधिकारी, बलिया के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमेश पुत्र श्री डबरू नाम का कोई व्यक्ति कठौरा में नहीं है ।

प्रकरण में जांच के आदेश जिलाधिकारी, मऊ को दे दिये गये हैं । जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में भौरहिया नदी पर बने सेतु से बेयरिंग गायब होने से पुल टूटने की आशंका तथा वेयरिंग लगाने की मांग

32-श्री राजीव कुमार सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में मडौरा लक्ष्मीपुर मार्ग पर चटिया गांव के बाद भौरहिया नदी पर लाखों रूपये की लागत से निर्मित सेतु के नीचे से बेयरिंग गायब कर देने से पुल टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस पुल में कब तक बेयरिंग लगाकर उसकी मरम्मत करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बेयरिंग गायब हो गयी है परन्तु पुल अभी तुरन्त टूटने का खतरा नहीं हैं ।

इस कार्य हेतु बेयरिंग प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । प्राप्त होने पर बेयरिंग लगाने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नवयुग राष्ट्रीय सहकारी आवास समिति बरेली द्वारा अनधिकृत रूप से सड़क के निर्माण की शिकायत

33-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली के ग्राम दोहरा से हसनगला जाने वाली नहर (माइनर) को सिंचाई विभाग द्वारा बेच दिया गया है ? यदि नहीं, तो नवयुग राष्ट्रीय सहकारी आवास समिति बरेली द्वारा नहर पाट कर सड़क का निर्माण कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

समिति द्वारा अनाधिकृत रूप से यह निर्माण किया गया है । दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06-06-99 को विभाग की तरफ से दर्ज कराई जा चुकी है । अनधिकृत कब्जा हटाने की प्रक्रिया जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है ।

जनपद रायबरेली के ब्लाक छतोह के अन्तर्गत ग्राम गढ़ा में अपात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की शिकायत तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

34-श्री राम नक्षत्र तथा श्री गोमती यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि रायबरेली जनपद में ब्लाक छतोह के अन्तर्गत गढ़ा ग्राम सभा में ऐसे अपात्र व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है

जिनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है और अन्य सम्पत्ति तथा पक्के मकान भी हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

प्रश्नगत ग्राम सभा में वृद्धावस्था पेंशन के 38 लाभार्थी हैं। प्रथम दृष्टया जांच में 2 लाभार्थी मृतक तथा 3 पात्रता की सीमा से बाहर पाये गये हैं।

मामले की विस्तृत जांच तथा उत्तरदायित्व निर्धारण आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज वाराणसी में आर्टिस्ट एवं मार्डलर पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष 1979 को पुनरीक्षित वेतन के भुगतान संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी में आर्टिस्ट एवं मार्डलर पद पर कार्यरत कर्मचारी को सन् 1979 से वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है ? क्या उक्त प्रकरण से अविलम्ब निस्तारण हेतु प्रश्नकर्ता के कई पत्र तथा अद्यतन 5 मई, 1999 एवं 31 मई, 1999 के पत्र मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी के प्रकरण के निस्तारण एवं अविलम्ब भुगतान कराये जाने हेतु क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने स्तर से निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 5-5-99 प्राप्त हुआ है।

जी हाँ। मा0 मुख्य मंत्री स्तर से न्यायोचित कार्यवाही करते हुए 20-5-1999 तक आख्या की अपेक्षा किये जाने विषयक निर्देश प्राप्त हुए है। प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा में नवीन लहचूरा बांध के निर्माण में व्यय धनराशि की जानकारी तथा अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

36-श्री रामाधार सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महोबा में लहचूरा बांध की अवधि पूरी हो गई है तथा उसमें मिट्टी का पुराव भी हो जाने के कारण जल भराव

कम हो गया है तथा सिंचाई की क्षमता कम हो गयी है ? क्या सरकार द्वारा इसी बांध के नीचे नवीन लहचूरा बांध की नींव डाली गयी है तथा उस पर लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है ? क्या उक्त निर्माण कार्य काफी समय से रूका है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य हेतु सरकार धन आवंटित कर कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

नवीन लहचूरा बांध के निर्माण पर रु0 1.92 करोड़ व्यय किया गया है।

धनाभाव के कारण कार्य स्थगित है। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराना प्रस्तावित है।

जनपद बरेली में अपसरेहा नदी की क्योलडिया डाम के ऊपर ग्राम जिगिनिया भगवन्तपुर के टूटे पुल की मरम्मत की मांग

37-श्री छोटे लाल गंगवार-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-82 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में अपसरेहा नदी की क्योलड़िया डाम से ऊपर ग्राम जिगिनिया भगवन्तपुर के टूटे पुल की मरम्मत हेतु धन प्राप्त करने का प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकार कर धन की व्यवस्था हो गयी है ? यदि हां, तो पुल की मरम्मत का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं,

अपसरेहा नदी के क्योलड़िया डाम के ऊपर ग्राम जिगिनिया भगवन्तपुर के टूटे पुल की मरम्मत हेतु नाबार्ड से धन अभी तक आवंटित नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रशिक्षित नर्स संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही

38-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में प्रशिक्षित नर्स संवर्ग की कोई वरिष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त सूची बनायी जायेगी ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

जी नहीं।

समस्त जनपदों की सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण वरिष्ठता सूची नहीं बन सकी है। संगत सूचनायें जनपदों से प्राप्त करके यथानियम अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिल तथा संत कबीरनगर जिले की चीनी मिल के गन्ने मूल्य की समयबद्ध तरीके से भुगतान की मांग

39-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में मुण्डेरवा चीनी मिल तथा संत कबीर नगर जिले की चीनी मिल का अब तक कुल कितना गन्ना मूल्य बकाया है? क्या सरकार इसके भुगतान की समयबद्ध तरीके से कोई व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मुण्डेरवा चीनी मिल जनपद बस्ती पर दिनांक 7-7-99 की स्थिति के अनुसार 313.66 लाख अवशेष है जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही हे। संत कबीर नगर की खलीलाबाद चीनी मिल पर दिनांक 7-7-1999 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1996-97 का 217.25 लाख रुपया वर्ष 97-98 का 373.74 लाख रुपया कुल 590.99 लाख रुपया बकाया है। मुण्डेरवा चीनी मिल द्वारा शेष भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। खलीलाबाद मिल ने मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

चीनी मिल ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त किया है। विभाग द्वारा स्थगन आदेश निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना सहकारी समितियों को देय डेवलपमेन्ट कमीशन में कमी आदि व्यवस्था की जानकारी

40-श्री रामललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना सहकारी समितियों को देय डेवलमेंट कमीशन में क्या कोई कमी कर दी गयी हैं? यदि हां, तो इसकी कमी से सहकारी समितियों के विकास एवं वेतन भुगतान पर जो असर पड़ेगा क्या उसकी पूर्ति की कोई व्यवस्था सरकार करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

अधिसूचना संख्या-2602-एस/चीनी उद्योग-अनुभाग-1-98-1623/96, दिनांक 31-12-98 द्वारा न्यूनतम गन्ना मूल्य के 3 प्रतिशत की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पेराई सत्र वर्ष 98-99 व 1999-2000 के दौरान खरीदे गये गन्ने पर देय कमीशन 3 प्रतिशत के स्थान पर एक रुपया प्रति कुन्तल कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत कुरसठ से मजेहटा मार्ग से जलिहापुर तक, जलिहापुर से समुखा तक के मार्ग को पक्का/डामरीकरण करने की मांग

41-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, का पत्र दिनांक 15 मार्च, 1999, दिनांक 7 मार्च, 1999 तथा 3-4-99 एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 मार्च, 1999 जो कि उन्हें एवं सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित थे, तथा जो जनपद हरदोई के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को पक्का/डामरीकरण कराये जाने के संबंध में थे, प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

कुरसठ से भजेहटा मार्ग से जलिहापुर तक 1.35 कि0मी0 लम्बाई में पूर्व से ही खंड़जा लगा हुआ है तथा जलिहापुर से समुखा तक 1.20 कि0मी0 लम्बाई तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सोलिंग कार्य हेतु कुल रु0 4.69 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री संजय गर्ग-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद अम्बेडकर नगर में महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल पर बने पुलों को पुनः तोड़कर बनाने की संख्या तथा व्यय धन की जानकारी

43-श्री लालजी वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में महरीपुर टाण्डा लिफ्ट कैनाल पर बने कुछ पुलों को तोड़कर पुनः बनाया गया है? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उन पर कुल कितना धन खर्च हुआ है? उक्त पुलों को तोड़कर पुनः बनाने का औचित्य क्या था?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, पुलों का मात्र उच्चीकरण किया गया है।

मात्र तीन पैदल पुलों व 11 ग्रामीण पुलों का उच्चीकरण किया गया है। कुल 21 लाख रुपये व्यय हुआ है। टाण्डा पम्प नहर प्रणाली को फैजाबाद शाखा के टेल से जोड़े जाने के पश्चात् पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण पुलों का उच्चीकरण तकनीकी दृष्टि से आवश्यक हो गया था।

जनपद मैनपुरी के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बेसिक हेल्थ वर्कर्स को चतुर्थ वेतन आयोग 1986 की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान एवं भत्तों के भुगतान की मांग

44-श्री राम औतार शाक्य-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के बेसिक हेल्थ वर्कर्स को चतुर्थ वेतन आयोग, 1986 की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित वेतनमान एवं भत्तों के अवशेष धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इनके अवशेषों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में बेसिक हेल्थ वर्कर्स के पद नाम से कोई कर्मचारी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपदों से लिपिकों को निदेशालय महिला कल्याण में स्थानान्तरण किये जाने की जानकारी

45-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला कल्याण की लिपिकीय सेवा नियमावली प्रख्यापित की गयी है? क्या उसमें लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों का जिले एवं निदेशालय का एक संवर्ग कर दिया गया है? क्या जनपदों से कतिपय लिपिक वर्गीय कर्मचारी निदेशालय महिला कल्याण में स्थानान्तरण कर लिये गये हैं? यदि हां, तो निदेशालय से किन-किन कर्मचारियों का जनपदों में स्थानान्तरण किया गया है? यदि नहीं, तो नियमावली के अनुसार कार्यवाही न करने के लिये कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।
जी हां।
जी हां।

किसी भी कर्मचारी को निदेशालय से जनपदों में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र में चल रहे अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशालाओं में मृतक आश्रित नियमावली लागू किये जाने की मांग

46-श्री राजेन्द्र यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 73 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अनुसूचित जाति प्राथमिक पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रितों को सेवा में लिये जाने की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 4318/26-3-97-4-(68)/96, दिनांक 20 सितम्बर, 1997 व शासनादेश सं0 1155/26-3-96-4(44)/98, दिनांक 30 अप्रैल, 1998 द्वारा मृतक आश्रितों को सेवा में लिये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा क्यों प्रदान की गयी? क्या प्रदेश के अन्य अध्यापकों सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उनके आश्रितों को सेवा में लिया जा उचित नहीं है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सामान्य निर्देश शासन द्वारा निर्गत किये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी हां।

पूर्व में शिक्षा विभाग के प्रचलित नियमों को ही आधार मानते हुए कार्यवाही की गई थी। परन्तु निजी क्षेत्र में चल रहे विभागीय अनुदानित विद्यालयों में मृतक आश्रित नियमावली लागू नहीं की जा सकती है। अतः सम्प्रति तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एशोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

47-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0 प्र0 के आदेशानुसार श्री प्रभूदयाल श्रीवास, अपर निदेशक, समाज कल्याण

विभाग, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में उ0 प्र0 अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोशियेशन के प्रतिनिधि मण्डलके मध्य दिनांक 4-7-98 को हुई बैठक के कार्यवृत्त 1920-23, दिनांक 18-12-98 में अपर निदेशक द्वारा लिये गये निर्णयों में किन-किन निर्णयों पर आदेश निर्गत हो गये हैं ? किन-किन निर्णयों पर आदेश निर्गत नहीं हुए हैं ? शेष पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तृतीय सत्र 1999 के चौथे बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-72 के उत्तरित न होने की जानकारी

*48-श्री राजेन्द्र यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 17-08-95 की बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष जो आख्या संलग्न की गयी है, उसमें बैठक का कार्यवृत्त सं0 446/प्र0स0स0क0/95, दिनांक 17-8-95 के छठे निर्णय के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

विधान सभा का तृतीय सत्र 1999 अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है अतः उसके चौथे बुधवार का प्रश्न संख्या-72 समाज कल्याण विभाग से उत्तरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिकता विद्यालय शिक्षक एसोशियेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बिन्दुवार प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*49-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसियेशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बैठक दिनांक 19-10-92 में लिये गये निर्णयानुसार समाज कल्याण अनुभाग-3 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3912/26-3-92-4(34)/89, दिनांक 13 नवम्बर, 1992 द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण से मांगा गया था क्या उन बिन्दुओं पर प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के राजकीय शिशु सदन में अधीक्षिका के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

50-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के राजकीय शिशु सदन में अधीक्षिका का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त पद कब तक भर दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

अधीक्षिका संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या से कम संख्या में अधिकारी कार्यरत है।

संगत सेवा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही की जा रही है। तदुपरान्त चयनोपरान्त रिक्त पदों को भरा जायेगा।

जिला मुरादाबाद के ग्राम सक्टूनगला ब्लाक मूढ़ा पाण्डे के संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिये उपलब्ध भूमि पर उपकेन्द्र भवन के निर्माण की मांग

51-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सक्टूनगला ब्लाक मूढ़ा पाण्डे, जिला मुरादाबाद के संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिये गत 15 वर्षों से भूमि उपलब्ध है परन्तु उपकेन्द्र भवन का निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त उपकेन्द्र के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

जी हां।

जी हां।

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत उपकेन्द्र भवन का निर्माण जिला योजनान्तर्गत धन उपलब्ध होने तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित होने पर ही सम्भव होने के कारण समय सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के ग्राम सक्टूनगला, ब्लाक मूढ़ा पाण्डे के स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

52-श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सक्टूनगला, ब्लाक मूढ़ा पाण्डे, जिला मुरादाबाद के स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर गत कई वर्षों से चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कब तक चिकित्सक की नियुक्ति कर देगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर निर्धारित मानक के अनुसार चिकित्साधिकारी का पद सृजित न होने के कारण प्रश्नगत उप स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी की तैनाती नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड टाण्डा में सुनिश्चित रोजगार योजनाओं में क्षेत्रीय विधायक/सांसद की स्वीकृति न लेने की जानकारी

53-श्री लालजी वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर में वर्ष 1998-99 दिनांक 10-02-99 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि की कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत की गयीं ? क्या उक्त स्वीकृत योजनायें क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद के परामर्श से स्वीकृत की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां। विकास खण्ड टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर में वर्ष 1998-99 में दिनांक 10-02-99 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 35.337 लाख धनराशि की वाटरशेड विकास, लघु सिंचाई, सम्पर्क मार्ग तथा पाठशाला भवन निर्माण की कुल 20 योजनायें स्वीकृत की गयी।

जी हां। उक्त स्वीकृत योजनाओं में से दो योजनायें क्षेत्रीय विधायक के परामर्श से स्वीकृत की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु नियुक्ति के स्थान पर जन्मतिथि का उल्लेख करने की जानकारी

54-श्री लालजी वर्मा-

क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी विभागों में ज्येष्ठता निर्धारण का आधार नियुक्ति का दिनांक माना गया है ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यलय ज्ञाप संख्या-1163/ई-4क/4बी-46सी/ज्येष्ठता दिनांक 17-09-97 में नियुक्ति का दिनांक न देकर जन्म तिथि का उल्लेख किया जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार नियुक्ति के दिनांक का उल्लेख करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञाप पुनः प्रख्यापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां। नाम के साथ जन्म-तिथि का उल्लेख मात्र कर्मचारी की विशिष्ट पहचान हेतु किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में कुटीर औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु शासनादेश से सहकारी समितियों के लाभ-तथा होम गार्ड को वस्त्र आपूर्ति गैर बुनकर संस्थाओं द्वारा कराने की जानकारी

55-श्री लालजी वर्मा-

क्या वस्त्र उद्योग मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में कुटीर औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु शासनादेश संख्या यू0ओ0 101/18-7-97, दिनांक 22-11-97 द्वारा वस्त्र उत्पाद के 11 आइटमों की खरीद शासकीय नियंत्रित उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं से करने हेतु दिनांक 26-10-98 से 26-10-99 तक अनिवार्य कर दी थी ? यदि हां, तो यूपिका/निगम द्वारा उक्त संस्थाओं को कितना वस्त्र विक्रय किया जा चुका है और बुनकरों की कौन-कौन सी समितियां इससे लाभान्वित हुई हैं ? क्या यह सही है कि प्रबन्ध निदेशक स्तर से कुछ गैर बुनकर को फर्जी तौर पर रजिस्टर कर होम गार्ड के एक करोड़ के आर्डर दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरदार सिंह-

जी हां।

वर्ष 1998-99 में यूपिका ने रु0 3.56 करोड़ तथा हथकरघा निगम ने रु0 7.24 करोड़ अर्थात् कुल रु0 10.80 करोड़ के वस्त्रों की आपूर्ति की गयी। बुनकरों की 45 सहकारी समितियां लाभान्वित हुईं।

जी नहीं।

होमगार्ड को वस्त्रों की आपूर्ति हेतु पंजीकृत इकाईयां/बुनकर सहकारी समितियां के प्रस्ताव मांगे गये थे किन्तु समितियों द्वारा वस्त्रों की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने के फलस्वरूप हथकरघा निगम/यूपिका द्वारा व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पंजीकृत इकाईयों/बुनकर समितियों से होमगार्ड को निगम द्वारा रु0 42.25 लाख तथा यूपिका द्वारा रु0 42.05 लाख अर्थात कुल रु0 84.30 लाख के वस्त्रों की आपूर्ति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की शासी निकाय की बैठक के निर्णयानुसार मिनीस्ट्रीरियल संवर्ग के कार्यालय अधीक्षक प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक पदों के पुर्नपदनाम परिवर्तन की स्वीकृति

56-श्री गोपाल कृष्ण-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की शासी निकाय की बैठक दिनांक 3-1-97 के निर्णय के अनुसार मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के 158 कार्यालय अधीक्षक, प्रवर वर्ग सहायक तथा अवर वर्ग सहायक के पदों को पुर्नपदनामित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो क्या शासी निकाय के निर्णय का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी हाँ।

जी हाँ।

अनुपालन किया जा चुका है तथा स्वीकृत पदों पर अर्ह एवं योग्य कर्मियों को पदोन्नत भी किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

यूपिका हैण्डलूम में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों के अपने पूर्व स्थान पर बने रहने के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री लालजी वर्मा-

क्या वस्त्रोद्योग मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में सामान्य स्थानान्तरण के समय यूपिका हैण्डलूम में अनेक अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुए थे? यदि हां, तो कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो स्थानान्तरण होने के बाद भी अपने पूर्व स्थानों पर कार्यरत हैं? उनको अब तक कार्यमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री सरदार सिंह-

जी हाँ।

5। कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये जिनमें 12 कर्मचारियों को छोड़कर सभी कर्मचारी ने अपने नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान दे रहे हैं। स्थानान्तरण से उत्पन्न असंतोष को दृष्टिगत रखते हुए यूपिका कर्मचारी यूनियन एवं तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर्मचारियों को यथास्थित रखा गया। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-2576/98 विचाराधीन है।

जनपद सीतापुर की नहरों की सफाई कार्यों में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

58-श्री रमेश राही-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नहरों की सफाई कार्यों में की गयी अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जो मा0 मुख्य मंत्री के कम्प्यूटर सं0 सी 10006486 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम-3/6486/सीतापुर/97, के संदर्भ में है, के संबंध में दोषीजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं, क्योंकि जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्बन्धित शिकायत की जांच अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर द्वारा की गयी है. जिसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

जनपद सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

59-श्री रमेश राही-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं के रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा? अब तक कितने रिक्त पदों को भरा गया है?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जनपद-सीतापुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद सीतापुर में 2207 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं इतनी ही सहायिकाओं के स्वीकृत पदों के सापेक्ष अब तक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के क्रमशः 1763 व 1234 पद भरे जा चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यवाहक उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी लखनऊ, मण्डल लखनऊ द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की मांग

60-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात है कि कार्यवाहक उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा अधिकार न होते हुए भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति वर्ष 1998 में की थी? यदि हां, तो उक्त अनियमित नियुक्ति के लिये सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य विभाग व महिला कल्याण विभाग की नर्सों के वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं में भिन्नता के कारणों की जानकारी

61-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षित नर्सों का वेतनमान स्वास्थ्य विभाग की महिला नर्सों के वेतनमान से निम्न है? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है? क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग के महिला नर्सों के वेतनमान एवं अन्य सुविधायें महिला कल्याण विभाग की नर्सों को दिये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

दोनों के कार्य, दायित्व एवं अर्हतायें भिन्न-भिन्न हैं।

जी नहीं।

क्योंकि दोनों के कार्य, दायित्व एवं अर्हताओं में भिन्नता है।

प्रदेश के अस्पतालों में संवासिनियों को निःशुल्क पर्चा बनाने की व्यवस्था की जानकारी

62-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संवासी/संवासिनियों को निःशुल्क पर्चा बनवाने की व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि संवासी/संवासिनियों को निःशुल्क पर्चा अस्पतालों द्वारा नहीं बनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के समस्त अस्पतालों को इस संबंध में निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं ।

जी हाँ ।

जी नहीं ।

संवासिनियों को निःशुल्क पर्चा बनाये जाने की अलग से कोई योजना नहीं है वरन् अतिनिर्धन/निराश्रित अन्डर ट्रायल तथा इमरजेन्सी रोगियों से पंजीकरण शुल्क लिया जाता है ।

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में संचालित राजकीय शिशु सदन तथा राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्रों की संख्या तथा बालबाड़ी कर्मचारियों की तैनाती राजकीय शिशु सदनों में करने की व्यवस्था

63-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय शिशु सदन एवं राजकीय बालबाड़ी हैं ? क्या राजकीय शिशु सदनों को सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु बालबाड़ियों को बन्द करके उनके कर्मचारियों को राजकीय शिशु सदनों में तैनात किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 07 राजकीय शिशु सदन एवं 60 राजकीय शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र संचालित हैं ।

जी नहीं ।

दोनों संस्थाओं के उद्देश पृथक-पृथक हैं ।

प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति में टूटे बांधों की सुरक्षा हेतु आंवटित धन में बहराइच जिले के लिये प्राप्त धन की जानकारी

64-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्षों में पूरे प्रदेश में बाढ़

से कितनी क्षति हुई है और कितने-कितने प्रमुख बांध टूटे हैं ? आगामी बरसात में सुरक्षा हेतु क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? बाढ़ से बचाव हेतु विभिन्न जनपदों में बांध की सुरक्षा हेतु धन का कितना आवंटन हुआ हैं ? जनपद बहराइच हेतु कितना धन आवंटित हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

65-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

66-श्री रामाधार सिंह-

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

बस्ती मण्डल में गत वर्ष दिसम्बर, 1998 तक स्थापित हैण्डपम्पों में से खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने का मामला

67-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मण्डल में गत वर्ष, 1998 तक कुल कितने हैण्डपम्पों की स्थापना की गयी है ? कुल हैण्डपम्पों में कितने चालू एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार स्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को रीबोर कराकर ठीक कराने हेतु कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

गत वर्ष दिसम्बर, 1998 तक जल निगम द्वारा कुल 31, 744 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों की स्थापना की गयी है । कुल हैण्डपम्पों में से माह दिसम्बर, 1998 के अन्त में 30,204 हैण्डपम्प चालू एवं 1540 हैण्डपम्प खराब थे । जनवरी, 99 से जून, 99 तक 2032 हैण्डपम्प और खराब हुए जिनका विवरण निम्नवत् है :-

अवधि	रिबोर हेतु	अस्थाई रूप से	योग
1	2	3	4
31-12-98	1109	431	1540
01-01-99 से 30-6-99 तक	218	1814	2032
	1327	2245	3572

जी हाँ। 01-01-99 से 30-6-99 तक रिबोर कराकर 1028 हैण्डपम्पों को ठीक कराया गया है। शेष हैण्डपम्पों को ठीक करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अनुरक्षण की व्यवस्था का प्रारूप

68-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? इस मद में कितने धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासनादेश संख्या: 1498/38-5-99-656/99, दिनांक 16-6-99 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश में उल्लिखित है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्पों के रख-रखाव का कार्य ग्राम पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायेंगे तथा इस हेतु आवश्यक धनराशि पंचायतीराज विभाग द्वारा उपलबध कराये जाने का प्राविधान है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण जलसम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु रु0 1305.50 लाख अवमुक्त की जा चुकी है इसमें हैण्डपम्पों के अनुरक्षण का कार्य भी कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध (कृत्रिम) के व्यापार को रोकने हेतु सरकार द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही की जानकारी

69-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में कुछ जगहों पर सैंथेटिक (कृत्रिम) दूध का व्यापार बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे वहां के नागरिकों का जीवन खतरे में है? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने जगहों पर सैंथेटिक (कृत्रिम) दूध बनाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है? क्या सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध (कृत्रिम) दूध के व्यापार की सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन अपमिश्रित दूध के व्यापार के मामले प्रकाश में आये है, जिससे वहां के नागरिकों का जीवन खतरे में नहीं है।

प्रदेश में किसी भी जगह पर सिंथेटिक (कृत्रिम) दूध बनाये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन 71 जनपदों से अपमिश्रित दूध बनाये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन लोकल हेल्थ अथॉरिटी के देख-रेख में खाद्य निरीक्षकों द्वारा छापा मारने, नमूनें एकत्र करने, दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वाद दायर करके प्रभावी पैरवी करने की कार्यवाही की जा रही है, इसके अतिरिक्त अपमिश्रित दूध के व्यापार को रोकने हेतु त्वरित एवं गोपनीय छापामार कार्यवाही हेतु प्रत्येक जनपद में छापामार दलों/निगरानी चौकियों का भी गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड माधौगंज के अधूरे सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70- डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 15 मार्च, 1999 जो कि उन्हें एवं सचिव, ग्राम विकास को सम्बोधित था तथा जो जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत अधूरे पड़े सम्पर्क मार्ग को मिट्टी का कार्य पूर्ण कराकर पक्का कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

कुरसठ से मजेहटा मार्ग से जलिहापुर तक 1.35 कि0मी0 लम्बाई में पूर्व से ही खंडजा लगा हुआ है तथा जलिहापुर से समुखा तक 1.20 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी एवं पत्थर सोलिंग तक पक्का किये जाने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल रु0 4.69 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 1.38 लाख की धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई, विकास खण्ड माधौगंज में समुखा ठकुरीखेड़ा के बीच नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

71-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां-हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधौगंज, हरदोई में समुखा ठकुरीखेड़ा के बीच निकलने वाले नाले पर पुलिया बनवाये जाने के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उनके द्वारा अपने पत्र संख्या-3553/98-27मि-4, दिनांक 8-12-98 द्वारा अवगत कराया था कि प्रश्नगत पुलिया की ड्राइंग प्राक्कलन एवं टेण्डर आदि का कार्य जनवरी, 1999 तक करा लिया जायेगा तथा निर्माण कार्य जून, 1999 तक पूर्ण करा दिया जायेगा? क्या यह सही है कि पुलिया को बनाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है? दोषी को दण्डित करते हुए मंत्री जी कब तक पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण करा देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी नहीं, पुलिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगस्त, 1999 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा।

कोई दोषी नहीं है। पुलिया का निर्माण अगस्त-1999 के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

72-श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।)

उ0प्र0 में अन्य प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की भांति प्राइवेट नर्सिंग होम की स्थापना एवं परिचालन हेतु अधिनियम बनाने पर विचार

73-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे के उ0प्र0 में अन्य प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की तरह प्राइवेट नर्सिंग होम स्थापना एवं परिचालन के लिये कोई अधिनियम है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे नियम बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

भारत सरकार से वांछित दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेराई सत्र 1998-99 में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई चीनी उत्पादन व सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिलों को पुरस्कृत करने हेतु सरकारी प्रस्ताव की जानकारी

74-श्री संजय गर्ग-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अब तक प्रदेश में कितने कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी तथा उससे कितनी चीनी का उत्पादन हुआ ? क्या यह भी बतायेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाले मिलों को पुरस्कृत करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

पेराई सत्र 1998-99 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 412.34 लाख टन गन्ने की पेराई कर 37.27 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल को पुरस्कृत करने का राज्य सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 श्याम प्रसाद मुकर्जी अस्पताल, लखनऊ में ए0एन0एम0 से स्टाफ नर्स का कार्य लिया जाना

75-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में ए0एन0एम0 से स्टाफ नर्स का कार्य लिया जा रहा है ? क्या उक्त ए0एन0एम0, स्टाफ नर्स की डयूटी करने हेतु अर्हता रखती है ? यदि नहीं, तो उसकी ड्यूटी लगाने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

नर्सो की कमी होने व नर्सो के अवकाश पर होने की दशा में स्वास्थ्य कार्यकत्री महिला (पूर्व नाम ए0एन0एम0) से जनहित में नर्स का कार्य लिया जाता है।

प्रश्नगत कर्मी आग्जीलरी नर्स एवं मिडवाइफ की अर्हता रखती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जिला प्रोवेशन अधिकारियों के सृजित पदों की संख्या निदेशालय में तैनात जिला प्रोवेशन अधिकारियों को जनपदों में रिक्त स्थानों पर भेजे जाने की मांग

76-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारियों के कितने पद सृजित हैं ? क्या सभी जनपदों में जिला प्रोवेशन अधिकारी तैनात हैं ? क्या निदेशालय में भी जिला प्रोबेशन अधिकारी तैनात हैं ? यदि हां, तो निदेशालय में जिला प्रोवेशन अधिकारी तैनात करने का क्या औचित्य है ? क्या निदेशालय में तैनात जिला प्रोवेशन अधिकारियों को जनपदों में रिक्त स्थानों पर भेजा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जिला प्रोवेशन अधिकारियों के कुल 70 पद सृजित हैं।

जी नहीं।

जी हाँ।

निदेशालय में उच्च श्रेणी के 6 पद रिक्त चल रहें हैं। अत: उनके विरूद्ध कार्यहित में कुल 5 जिला प्रोवेशन अधिकारी तैनात किये गये है।

सम्प्रति नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

77-श्री राम सेवक सिंह-

(नियम 28 (11) के अन्तर्गत निरस्त)

78-श्री श्याम देव राय चौधरी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

79-श्री राम तेज यादव (एडवोकेट)-

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

वर्ष 1996-97 में गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में सुझाव तथा सरकार से कार्यवाही की मांग

80-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97 में गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध में तत्कालीन सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जिन चीनी मिलों का जितना प्रतिशत गन्ना मूल्य बकाया रहेगा दूसरे पेराई सत्र में उतना प्रतिशत गन्ना क्षेत्रफल उक्त चीनी मिल से काट कर समय से गन्ना मूल्य भुगतान

करने वाली दूसरी चीनी मिलों को दे दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो उक्त निर्णय के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ गांव शहरोज में टोंस नदी के कटाव को रोकने हेतु पत्थरों की पिचिंग कराने की मांग

81 - श्री समर पाल सिंह -

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ के गांव शहरोज में टोंस नदी से हो रहें कटाव को रोकने के लिये पत्थरों के कुल कितने ठोकर किस वर्ष में बनाये गये थे ? क्या पत्थरों के ठोकर निर्माण के पश्चात् भी कटाव की भयावहता को देखते हुए विगत वर्ष जिलाधिकारी, मऊ ने ग्राम विकास अभिकरण से बाढ़ के समय बल्लियां लगाने हेतु धन दिया था ? क्या इससे बनायी गयी ठोकर बह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिहायशी मकानों के कटने की सम्भावनाओ को देखते हुए टोंस नदी में शहरोज गांव के किनारे पत्थरों की पचिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

वर्ष 1994 में 3 अदद डैम्पनर का निर्माण कराया गया था ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

फ्लड जोन में बसे ग्रामों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य तकनीकी एवं व्यवहारिक रूप से साध्य/उपयुक्त न होने के कारण सामान्यत नहीं कराये जाते हैं ।

जनपद हरदोई के कुरसठ ड्रेन की खुदाई व सफाई न होने से कृषि योग्य जमीन जलमग्न तथा किसानों की हानि

82 - डा0 धर्मज्ञ मिश्र -

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 - मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में बह रही कुरसठ ड्रेन जिसकी लम्बाई लगभग छः किलोमीटर है की खुदाई व सफाई न होने के फलस्वरूप पानी निकास में अवरोध होने से उसका पानी बाहर निकल कर हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि वर्षा ऋतु में जल मग्न हो जाती है तथा भूमि खेती योग्य न होने से कृषकों को आर्थिक क्षति पहुंचा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई व सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि

नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कुरसठ खुर्द ड्रेन है जिसकी लम्बाई 3.20 कि0मी0 है। वर्षाऋतु में कृषि योग्य भूमि जलमग्न होती है।

ड्रेन की खुदाई व सफाई हेतु वांछित धनराशि रु0 70,000.00 का प्रस्ताव डी0आर0डी0ए0 हरदोई को प्रेषित किया गया है। अपेक्षित कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं है।

जनपद हरदोई के सहिजना ड्रेन की खुदाई व सफाई न होने से कृषि योग्य भूमि जलमग्न किसानों की हानि

83-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बहने वाली सहिजना ड्रेन जिसकी लम्बाई लगभग नौ किलोमीटर है तथा उसकी खुदाई व सफाई न किये जाने के फलस्वरूप पानी निकास अवरुद्ध होने से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाती है। यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की खुदाई व सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

उक्त ड्रेन के सुधार का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत होने व धन उपलब्ध होने पर विश्व बैंक पोषित धन से वर्ष 2000-2001 में सम्भावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई के जलिहापुर से समुखा तक के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

84-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 मार्च, 1999 जो कि मा0 मंत्री जी एवं सचिव, ग्राम्य विकास को सम्बोधित था तथा जो जनपद हरदोई में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 6 अप्रैल, 1999 को मंत्री जी द्वारा उक्त पत्र पर तत्काल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव, ग्राम्य विकास को निहित आदेशों के तहत भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त मार्ग मार्च, 99 तक पूर्ण होना था ? क्या इस हेतु अक्टूबर, 1998 में ही प्रथम किश्त जारी कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है तथा

उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु पृथक-पृथक कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा कब तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

संदर्भित मार्ग जलिहापुर से समुखा तक 1.20 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी एवं पत्थर सोलिंग स्तर तक पक्का कराये जाने हेतु सु0रो0यो0 से कुल रु0 4.69 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रु0 1.38 लाख ग्रा0अ0 सेवा विभाग को अवमुक्त की जा चुकी है। जी हां। तत्समय उक्त मार्ग मार्च, 1999 तक पूर्ण होने की सम्भावना व्यक्त की गयी थी।

जी हां।

उक्त मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नई मिट्टी होने के कारण उस पर सोलिंग किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं होता। अतः एक वर्षा उपरान्त उस पर पत्थर की कुटाई कराई जायेगी ताकि गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जलिहापुर से समुखा मार्ग को पक्का किये जाने हेतु सु0रो0यो0 से दिनांक 21-10-98 को रु0 2.76 लाख तथा दिनांक-07-05-99 को रु0 1.93 लाख इस प्रकार कुल रु0 4.69 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उक्त मार्ग पर मिट्टी कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। नई मिट्टी होने के कारण इस समय उस पर सोलिंग किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः एक वर्षा उपरान्त उस पर पत्थर की कुटाई करायी जायेगी।

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पक्का कुआं बनाने की सरकार की योजना

85-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बड़ा पक्का कुआं बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष 1999-2000 में जनपद हरदोई हेतु विकास खण्डवार कितने कुओं को बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा कब तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक पक्का बड़ा कुआं बनवा दिया जायेगा ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं, अपितु शासनादेश संख्या-697/38-4-99-24 जे0आर0वाई0/98 दिनांक 31 मार्च, 1999 द्वारा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में चयनित एक स्वर्ण जयंती ग्राम में कूप निर्माण कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्नगत निर्माण कार्य में व्यय जवाहर रोजगार योजना के अभिकरण अंश से वहन किया जाना था, परन्तु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना का स्वरूप बदल जाने पर वर्ष 1999-2000 के लिये कूप निर्माण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

जनपद मऊ में सहरोज गांव के पास छोटी सरजू नदी में निर्माणाधीन पुल को पूर्ण कराये जाने की मांग

86-श्री समर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, वर्ष 1999 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि ग्राम सभा सहरोज के पास जनपद मऊ में छोटी सरजू नदी में कोई पुल निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है जबकि मा0 मंत्री जी उक्त प्रश्न में ही यह स्वीकार किया है कि वर्ष 1980 में पुल सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन था? उक्त पुल पर कितना धन सिंचाई विभाग द्वारा व्यय किया जा चुका है? पुल का निर्माण पूरा न कराने के लिये किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय में नियुक्त आर्थोपिडिक सर्जन व एनेस्थीसिया के डाक्टरों द्वारा आपरेशन के दौरान की गई लापरवाही से मरीज की मृत्यु की जांच तथा कार्यवाही की मांग

87-श्री रमेश राही-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय में नियुक्त आर्थोपिडिक सर्जन डा0 अरुण कुमार मौर्या व एनेस्थीसिया के डा0 ए0के0 वर्मा द्वारा दिनांक 26-5-98 को मरीज सतीश कुमार अवस्थी निवासी ग्राम व पो0 बम्हौरा, जनपद सीतापुर के आपरेशन के दौरान दोनों डाक्टरों की मौजूदगी में अधिक बेहोशी की दवा दिये जाने व दोनों डा0 की लापरवाही से आपरेशन कक्ष में ही मरीज की मृत्यु हो गयी थी, की जांच शासन द्वारा अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मण्डल लखनऊ द्वारा कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे? क्या उक्त जांच पूर्ण हो गयी है? यदि हां,

तो कब ? क्या दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पत्र दिनांक 09-07-99 के साथ जांच रिपोर्ट दिनांक 12-07-99 को प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। दोनों चिकित्सकों को उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में खराब इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प को ठीक कराने हेतु सरकारी आदेश

88-श्री रमेश राही-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में इण्डिया मार्का-II कितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं ? खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने या रिबोरिंग कराये जाने के लिये शासन द्वारा कितना धन दिया गया है ? क्या जनपद के समस्त खराब हैण्ड पम्पों को सही कराये जाने के आदेश सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जनपद सीतापुर में दिनांक 01-07-99 तक कुल 627 हैण्डपम्प खराब है।

इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल रु0 63.15 लाख का आबंटन किया गया है।

खराब हैण्डपम्पों को सही कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय अनुदानित निजी प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालयों में वेतन अनुमन्यता हेतु अतिरिक्त पद सृजन का प्रकरण

89-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 5 वें बुधवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापक के पदों के सृजन के सम्बन्ध में निर्धारित मानक, पंजीकृत छात्र संख्या पर आधारित है अथवा उपस्थित छात्रों पर ? पंजीकृत छात्रों की पुष्टि हेतु निरीक्षण के समय कितने प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए ? सम्बन्धित विद्यालय में एक अतिरिक्त पद की मांग कब से की गयी है ? तब से वर्ष 1998 के

मध्य के शिक्षा सत्रों में छात्रों की संख्या क्या रही है ? वर्णित प्रकरण में वर्ष 1997-98 में 26 अतिरिक्त छात्रों पर अध्यापक के एक अतिरिक्त पद का प्रस्ताव किस आधार पर अस्वीकार किया गया है जबकि कथित तीनों जाचों में 95 प्रतिशत छात्र उपस्थित पाये गये हैं ? क्या उक्त पद के सृजन का अधिकार निदेशालय को है अथवा यह अधिकार शासन में निहित है ? क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर पुनः विचार करके अध्यापक का एक अतिरिक्त पद सृजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

विभागीय अनुदानित निजी प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालयों में अध्यापकों के वेतन अनुमन्यता हेतु अतिरिक्त पद सृजन के औचित्य का आधार पंजीकृत छात्रों की वास्तविक संख्या को माना जाता रहा है। सम्प्रति शासन के समक्ष संसाधनों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान राशि बढ़ायी नहीं जा रही है।

विभाग में ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है। किन्तु वेतन अनुमन्यता हेतु अध्यापक के अतिरिक्त पद सृजन के औचित्य हेतु छात्रों की वास्तविक/उपस्थिति संख्या निर्धारित मानक के अनुसार होना आवश्यक है।

वर्ष 1993-94 से जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ के स्तर से प्राप्त विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा दी गयी सूचना में शिक्षा सत्र 1993-94 से 1997-98 तक निम्नानुसार छात्र संख्या बतायी गयी है:-

शिक्षा सत्र	पंजीकृत कुल छात्र संख्या	अनुसूचित जा0 छात्र संख्या
1993-94	552	311
1994-95	615	318
1995-96	672	358
1996-97	625	357
1997-98	626	397

विद्यालय में पहले से ही पर्याप्त संख्या में स्वीकृत अध्यापकों के 15 पदों के सापेक्ष शिक्षा सत्र 97-98 में मानक के अनुसार केवल 15 पदों के अनुरूप ही छात्रों की उपस्थित संख्या पाये जाने तथा विद्यालय में कुल कक्षाएं 12 होने के कारण वेतन अनुदान हेतु अतिरिक्त पद सृजन का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। वेतन अनुदान के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त पद सृजन का अधिकार शासन में निहित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार ।

आवर्तक अनुदानित प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालयों में स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्त अध्यापक का बिना वेतन के कार्यकाल पूरा होना, वेतन आदि दिलाने की मांग

90-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 5वें बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 1993 में विभाग को प्राप्त अध्यापक के अतिरिक्त पद के सृजन के प्रस्ताव पर वर्ष 1998 में निर्णय लिया गया है और वर्ष 1999 में विद्यालय को सूचित किया गया है जबकि प्रस्तावित पद के विरुद्ध बिना वेतन कार्यरत अध्यापक अपनी आयु सीमा पार कर चुका है ? यदि हां, तो क्या इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विद्यालय में बढ़े हुए छात्रों के आधार पर अध्यापक का एक अतिरिक्त पद सृजित करके उक्त अध्यापक का वेतन का भुगतान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी हां ।

विद्यालय में स्वीकृत पदों में अधिक अतिरिक्त रूप में पहले से कार्यरत किसी अध्यापक के लिए पद स्वीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नियुक्त किसी अध्यापक के वेतन भुगतान आदि से समाज कल्याण विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि विद्यालय में शासकीय वेतन अनुदान हेतु अतिरिक्त पद सृजन का औचित्य नहीं पाये जाने के कारण प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

किसान सेवा केन्द्रों को पुनर्जीवित कर प्रभावी बनाने तथा समयबद्धता के निर्धारण हेतु समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश

91-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता की समस्या के निवारण हेतु किसान सेवा केन्द्रों को पुनर्जीवित किया गया है परन्तु कर्मचारियों के उपस्थित न होने के कारण किसान एवं जनता उक्त केन्द्रों से लाभान्वित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन केन्द्रों के सुधार हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

किसान सेवा केन्द्रों को पुनर्जीवित किया गया है तथा इन्हें प्रभावी बनाने तथा समयबद्धता का निर्धारण सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं जिसमें अनुपस्थित पाये जाने वाले कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की व्यवस्था है।

जनपद बस्ती में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष-वार प्राप्त धनराशि तथा व्यय

92-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कितनी धनराशि वर्ष 1994-95 व 1995-96 तथा वर्ष 1996-1997 एवं 1997-98 में दी गयी थी ? उक्त वर्षों की धनराशि से प्राप्त ब्याज की राशि किन-किन मदों पर खर्च की गयी है ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

जी हां। जनपद बस्ती में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यांश व केन्द्रांश मिलाकर वर्ष 1994-95 में रु0 262.50 लाख वर्ष 1995-96 में रु0 525 लाख तथा वर्ष 1996-97 में रु0 639.323 लाख एवं वर्ष 1997-98 में रु0 736.22 लाख दी गयी। वर्ष 1997-98 में स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष रु0 233.462 लाख की धनराशि जनपद सन्त कबीर नगर को स्थानान्तरित की गई।

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि कार्यक्रम का ही अंश होता है। अतः उपर्युक्त वर्षों में ब्याज में उपलब्ध कुल धनराशि रु0 13.94340 लाख पूल्ड करके ब्याज की धनराशि कार्यक्रम मद पर व्यय की गई है।

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को वर्ष 1998-99 में प्रदान सुविधाओं का विवरण

93-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जा रही हैं ? वित्तीय वर्ष 1998-99 में विकलांगों के लिये कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांगों को निम्न सुविधाएं दी जा रही हैं:-

(1) विकलांग भरण-पोषण अनुदान।

(2) विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।

(3) कृत्रिम अंग क्रय हेतु अनुदान।

(4) विकलांगों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण।

(5) विकलांग शादी प्रोत्साहन पुरस्कार।

(6) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा।

(7) दक्ष विकलांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार।

(8) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(9) टाकिंग बुक स्टुडियों।

(10) शासकीय सेवाओं में 3% का आरक्षण वर्ष 98-99 में विकलांग कल्याण विभाग के लिये रुपये 2496.57 लाख का प्राविधान किया गया, जिसमें 2102.40 लाख योजनाओं हेतु तथा 394.17 लाख अधिष्ठान मद हेतु है।

जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर के फार्मेसिस्ट श्री राजाराम मिश्रा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच रिपोर्ट

94-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में वर्ष 1997-98 में निलम्बित फार्मेसिस्ट, श्री राजाराम मिश्रा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट में श्री मिश्रा दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में श्री राजा राम मिश्रा नाम का कोई फार्मेसिस्ट वर्ष 1997-98 में निलम्बित नहीं था। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

95-श्री राम ललित चौधरी-

(1 ले गुरूवार में अता0 प्र0 सं0-94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

96-श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

(1 ले गुरूवार में अता0 प्र0 सं0-95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड रसड़ा बलिया में दैनिक वेतनभोगी श्री विनय कुमार के वेतन भुगतान की मांग

97-श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के गन्ना क्रय केन्द्र अखोप विकास खण्ड सीयर पर विनय कुमार पुत्र श्री भरत निवासी ग्राम तरछापार, बिल्थरा रोड बलिया की नियुक्ति सीजनल तौर पर वर्ष 1994 से वर्ष 1998 के बीच में कब-कब की गयी थी? उन्होंने कितने दिनों तक कार्य किया है तथा उन्हें कितना वेतन भुगतान किया है? क्या यह सही है कि विनय कुमार को अभी बकाये वेतन का भुगतान सहकारी चीनी मिल संघ लि0 रसड़ा, बलिया द्वारा अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

दि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, रसड़ा (बलिया) में वर्ष 94 से 98 के बीच में मिल चालू होने पर श्री विनय कुमार पुत्र श्री भरत, ने क्रय केन्द्र अखोप पर शीट राइटर दैनिक वेतन भोगी कर्मकार के रूप में ही दिनांक 25-1-95 से 31-1-95, 1-2-95 से 3-2-95 तथा 10-2-95 से 15-2-95 तक कार्य किया।

श्री विनय कुमार पुत्र श्री भरत ने कुल मिलाकर 16 दिन दैनिक वेतनभोगी कर्मकार के रूप में कार्य किया है। इसके पश्चात् इन्हें कार्य पर कभी नियोजित नहीं किया गया। इन्हें रु0 40/- प्रतिदिन की दर से 16 दिन का कुल रु0 640/- का भुगतान मिल समिति द्वारा किया जा चुका है।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में संवासियों की संख्या शून्य के राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों के कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान पर व्यय तथा अन्यत्र संस्थाओं में समायोजित करने की मांग

98-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जनपदों में किशोर गृह तथा सम्प्रेक्षण गृह की संख्या शून्य है तथा शून्य संस्थाओं में कर्मचारियां पर कितना खर्च हो रहा है? क्या ऐसी संस्थाओं को बन्द करके कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में समायोजित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

राजकीय सम्प्रेक्षण गृह, बांदा, पीलीभीत सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर तथा गाजियाबाद में संवासियों की संख्या शून्य है। उपरोक्त संस्थाओं में कर्मचारियों के वेतन आदि पर औसतन कूल रु0 2,09,672/- प्रतिमाह व्यय हो रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त संस्थायें किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्थापित हैं, जिनमें किशोर कल्याण बोर्डों/किशोर न्यायालयों द्वारा आदेशित किशोरों को निरुद्ध रखने का प्राविधान है जिसके कारण संस्थाओं में किशारों की संख्या प्रायः घटती-बढ़ती रहती है और किसी भी समय उपेक्षित/अपचारी किशोर प्रविष्ट किये जाने हेतु भेजे जा सकते हैं।

99-श्री संजय गर्ग-

(2रे मंगलवार में अता0प्र0सं0-21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद मऊ विकास खण्ड कोपागंज में भगनही ड्रेन पर पुल निर्माण कराने की मांग

100-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड कोपागंज के ग्राम सभा खुखुन्दवा की जनता की कठिनाइयों को देखते हुए गांव के पास भगनही ड्रेन के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल सन्त द्वारा पुल निर्माण स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ में आर0डी0एम0ओ0 तथा जी0डी0एम0ओ0 चिकित्सकों(महिला एवं पुरुष)की संख्या तथा इमरजेन्सी ड्यूटी में परिवर्तन की मांग

101-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में कुल कितने आर0डी0एम0ओ0 एवं जी0डी0एम0ओ0 महिला एवं पुरुष चिकित्सक तैनात हैं? क्या उन चिकित्सकों से इमरजेन्सी ड्यूटी ली जा रही है? यदि हां, तो सप्ताह में कितने दिन? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि पुरुष डाक्टर से सप्ताह में एक ही इमरजेन्सी ड्यूटी ली जाती है तथा महिला चिकित्सक की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त चिकित्सकों से सप्ताह में कम से कम दो इमरजेन्सी ड्यूटी लगाये जाने हेतु आदेश देगी?

श्री रमापति शास्त्री-

डा0 एस0पी0एम0, अस्पताल, लखनऊ में तैनात आर0डी0एम0ओ0 एवं जी0डी0एम0ओ0 महिला एवं पुरुष का विवरण निम्नवत् है:-

आर0डी0एम0ओ0 के रूप में 26 पुरुष और 10 महिला कुल 36 तथा जी0डी0 एम0ओ0 के रूप में 3 पुरुष चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं।

जी हाँ।

सप्ताह में कभी एक दिन अथवा यथा आवश्यकतानुसार उनकी इमरजेन्सी ड्यूटी लगायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

पुरुष चिकित्साधिकारियों की इमरजेन्सी ड्यूटी सप्ताह में एक दिन अथवा यथा आवश्यकतानुसार लगायी जाती है। महिला चिकित्सकों की इमरजेन्सी ड्यूटी महिला सर्जिकल वार्ड में लगायी जाती है। प्रश्न नहीं उठता है।

आवश्यकतानुसार उक्त चिकित्सकों की कभी-कभी सप्ताह में दो दिन से भी अधिक इमरजेन्सी ड्यूटी लगायी जाती है।

वीनस शुगर लि0 मझावली जिला मुरादाबाद के किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान का मामला

102- श्री सौलत अली एडवोकेट-

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि वीनस शुगर लि0 मझावली जिला मुरादाबाद ने किसानों को गन्ने के मूल्य का दिनांक 13-12-1998 तक तथा फरवरी, 99 तक किसानों का गन्ना मूल्य 12,94,93,000 रुपये तथा समितियों का कमीशन 16,17,000 रुपये बकाया है, जिसका अभी तक मिल भुगतान नहीं कर रही है, जो भारत सरकार के शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर 1966 के क्लाज-3 (3) का खुला उल्लंघन है? क्या इसी संबंध में श्री भवीचन्द्र भाटी, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 चन्दौसी ने दि0 26-2-99 को थाना-चन्दौसी जिला मुरादाबाद में वीनस शुगर लि0 मझावली (मुरादाबाद) के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री एम0पी0 सिंह व डा0 ओमवीर सिंह, प्रधान प्रबन्धक/अध्यासी चीनी मिल मझावली के विरुद्ध एफ0आई0आर0 भी लिखाई है? यदि हां, तो किसानों के भुगतान कब तक होंगे और मिल के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

यह सही है कि वीनस शुगर लि0 मझावली पर पेराई सत्र, 1998-99 में दिनांक 12-12-98 को गन्ना मूल्य का अंकन रु0 321.00 लाख एवं विकास कमीशन का अंकन रु0 8.93 लाख बकाया था तथा फरवरी 28, 1999 को अंकन रु0 1294.93 लाख एवं विकास कमीशन का अंकन 16.17 लाख बकाया था तथा 30 जून, 1999 को वीनस शुगर लि0 मझावली पर पेराई सत्र 1998-99 का अंकन रु0 575.50 लाख गन्ना मूल्य एवं कमीशन का रु0 मूल्य बकाया रह गया है। यह भी सही है कि वीनस शुगर लि0 मझावली द्वारा कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान न

करने एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के क्लाज-3(3) का उल्लंघन करने के आरोप में श्री भवी चन्द्र भाटी, सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि0 चन्दौसी ने अपने पत्रांक-711-17, दिनांक 26-2-99 के द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चन्दौसी जनपद-मुरादाबाद को वीनस शुगर लि0 मझावली के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री एम0पी0 सिंह तथा प्रधान प्रबन्धक/अध्यासी, डा0 ओमवीर सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु लिखा जिसे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा दिनांक 5-3-99 में दर्ज किया गया। जहां तक किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य की बात है, चीनी मिल पर निरन्तर दबाव डाला जा रहा है तथा मिल के शुगर स्टाक को जिलाधिकारी की कस्टडी में अटैच करके शुगर स्टाक की बिक्री से किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है।

बस्ती मण्डल के मुख्यालय पर मेडिकल कालेज की स्थापना का प्रस्ताव

103-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सरकार बस्ती मण्डल के पिछड़ेपन को देखते हुए मण्डल के मुख्यालय पर मेडिकल कालेज की स्थापना पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त-

बस्ती मण्डल के मुख्यालय पर निजी क्षेत्र से मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राजकीय मेडिकल कालेज वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण खोलना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में पेयजल हेतु विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जून, 1999 तक लगाये गये हैण्डपम्पों का विवरण

104-श्री संजय गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में पेयजल के लिए किस-किस विधान सभा में कितने-कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या उक्त विधान सभा क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

जनपद सहारनपुर में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जून, 99 तक निम्नवत् हैण्ड पम्प लगाये गये हैं:-

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	अधिष्ठापित हैण्ड पम्प	
		ग्रामीण	नगर
1	2	3	4
1	सहारनपुरनगर	--	142
2	हरोड़ा	2331	--
3	मुजफ्फराबाद	1175	44
4	सरसावां	1670	114
5	नकुड़	1620	214
6	नागल	1726	47
7	देवबंद	1586	113
	योग	10108	674

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय शिशु सदन सीतापुर, इलाहाबाद हेतु वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विभिन्न मदों हेतु आवंटित धन के अतिरिक्त धन आवंटित करने की मांग

105-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिशु सदन सीतापुर, इलाहाबाद के लिये टेलीफोन, दूध, दवा, बिजली, जल आदि पर कितना-कितना धन आवंटन किया गया ? क्या यह सही है कि आवंटित बजट पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु अतिरिक्त बजट आवंटित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में टेलीफोन एवं दवा के मद में राजकीय शिशु सदन सीतापुर के लिए क्रमशः 2 हजार एवं 8 हजार तथा इलाहाबाद के लिए टेलीफोन एवं दवा के मद में क्रमशः 3 हजार एवं 8 हजार की धनराशि आवंटित की

गयी है। दूध की मद में अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है, बल्कि दूध की व्यवस्था 'भोजन व्यय' मद से की जाती है, जिसमें उक्त दोनों मदों को एक-एक लाख रु0 आवंटित किये गये हैं। अभी विद्युत एवं जल की मदों में धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

विद्युत और जल की मदों में बजट आवंटित किया जाना है। शेष मदों में बजट पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अनुसंधान संस्थान, रुड़की-हरिद्वार में कार्यरत वैज्ञानिकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण की मांग

106-श्री अजय कुमार पोइया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले बुधवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग के अनुसंधान संस्थान रुड़की, हरिद्वार में एक वैज्ञानिक सहायक को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की बात स्वीकार की गयी है? यदि हां, तो उक्त वैज्ञानिक सहायक को कब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे के आरक्षित पद पर माना गया है? क्या सरकार उक्त वैज्ञानिक सहायक को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षित पद पर 1981 से विनियमित एवं स्थायी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ। सिंचाई विभाग अनुसन्धान संस्थान रुड़की हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में कार्यरत वैज्ञानिक सहायक प्रोन्नति से पूर्व प्रतिरूप सहायक के रूप में कार्यरत था, जिसकी वर्ष 1981 में तदर्थ रूप से वैज्ञानिक सहायक के पद पर प्रोन्नति दी गयी थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये पदोन्नतियों में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया, बलिया-बैरिया बांध ग्राम मझौवा को गंगा कटान से बचाने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि की जानकारी

107-श्री भरत सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में बलिया-बैरिया बांध-ग्राम मझौवा को गंगा कटान से बचाने के लिये सिंचाई मंत्री जी ने मई, 1999 में बांध का निरीक्षण किया था? क्या यह सही है कि उक्त बांध पर पक्का ठोकर बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड से लगभग पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि स्वीकृत हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी नही।

यह नाबार्ड पर निर्भर करता है।

जनपद बस्ती, बाल्टरगंज एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों पर किसानों का वर्ष 1998-99 पेराई सत्र के मूल्य का ब्याज सहित भुगतान की मांग

108-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बस्ती, वाल्टरगंज एवं मुण्डेरवा चीनी मिलों पर किसानों का 1998-99 पेराई सत्र का कुल कितना भुगतान किया जा चुका है तथा कितना अवशेष है? क्या सरकार अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान ब्याज सहित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बस्ती, वाल्टरगंज एवं मुण्डेरवा चीनी मिल द्वारा वर्ष 1998-99 का क्रमशः रु0 2688.10 लाख रु0 993.17 लाख व रु0 119.00 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान दिनांक 7-7-99 की स्थिति के अनुसार किया जा चुका है तथा उक्त मिलो पर क्रमशः रु0 297.57 लाख, रु0 61.40 लाख तथा रु0 313.66 लाख भुगतान हेतु अवशेष है।

चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण उनके स्तर से भुगतान सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु धन की व्यवस्था की जानकारी

109-श्री राम ललित चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये धन की व्यवस्था है? यदि हां, तो वह क्या है?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1999-2000 में ग्राम विकास विभाग द्वारा ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण हेतु रु0 1305.50 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। इस धनराशि से हैण्डपम्पों का अनुरक्षण कार्य भी किया जाता है।

यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों का रख-रखाव का कार्य ग्राम

पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में सम्पादित किये जायंगे। हैण्डपम्पों के रख-रखाव के कार्य का हस्तानान्तरण अक्टूबर, 99 से प्रारम्भ हो जाएगा। ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित किये जाने वाले हैण्डपम्पों के रख-रखाव हेतु धनराशि की व्यवस्था पंचायतीराज विभाग द्वारा की जाएगी।

जनपद बस्ती में स्वर्ण जयन्ती ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की मांग

110-श्री राम ललित चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी की जनपद बस्ती में स्वर्ण जयन्ती के चयनित ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कार्यों को सम्पन्न कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जनपद बस्ती में चयनित कुल 13 स्वर्ण जयन्ती ग्रामों में से 4 ग्राम पहले से ही पक्के मार्गों से जुडे हैं। दो ग्रामों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है शेष 7 ग्राम अभी पक्के मार्गों से जोड़े जाने बाकी है जिनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला प्रतापगढ़ में कटरा गुलाब सिंह ग्राम सराय भूपति थाना जेठवारा में तूफान के कारण दिवाल गिरने से मृत श्री अदालती सरोज को आर्थिक सहायक देने की मांग

111-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-5-98 को कटरा गुलाब सिंह ग्राम सराय भूपति थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ में भयंकर तूफान से दिवाल गिरने से अनुसूचित जाति के श्री अदालती सरोज की मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो श्री अदालती सरोज को क्या कोई आर्थिक सहायता दी गयी? यदि हां, तो क्या?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी हाँ।

आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कृत कार्यों का विवरण

112-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के 118 प्रतापगढ़

विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन के कार्य कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 118 प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर में अब तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1	जल निकासी हेतु नाला कार्य	1
2	जल निकासी हेतु नाला निर्माण	2
3	लिंक रोड	23
4	पक्की नाली निर्माण	1
5	वनीकरण एवं मृदा कार्य	3
6	ड्रेन का निर्माण	1
7	लिफ्ट सफाई कार्य	4
8	सुन्दरीकरण कार्य	1
9	पंचायत भवन का निर्माण	2
10	जूनियर हाई स्कूल का निर्माण	1
11	प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण	1
12	भूमि संरक्षण का कार्य	4
13	सुदृढ़ीकरण का कार्य	3

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा सदर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान हेतु स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाये जाने की मांग

113-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या हल करने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्रांक 596/2व लेखा/पेयजल/97-98 दिनांक 31 मार्च, 1998 के द्वारा स्वीकृत 74 हैण्ड पम्प क्या लगा दिये गये हैं? यदी नहीं, तो यह हैण्डपम्प कब तक जल निगम द्वारा लगा दिये जायेंगे?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद प्रतापगढ़ में श्री रामबली सरोज निवासी मुरलीपुर, थाना जेठवारा के घर पर कब्जा करने/जला देने की स्थिति में समाज कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता

114-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि श्री राम बली सरोज (अनुसूचित जाति) निवासी मुरलीपुर, थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ का घर दिनांक 03-11-97 को सवर्ण जातियों द्वारा जला दिया गया था ? यदि हां, तो क्या श्री रामबली सरोज को अब तक समाज कल्याण विभाग से नियमानुसार कोई आर्थिक सहायकता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी नहीं, दिनांक 03-11-97 को घर जलाने की नहीं अपितु दिनांक 08-07-97 को व्यक्ति के मकान पर कब्जा किये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।

सहायता की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

115-श्री राम ललित चौधरी-

(2 रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में दिनांक 23-01-88 से स्टैनों टाइपिस्ट के अस्थायी पदों पर नियुक्तियों को नियमित करने की मांग

116-श्री सतीश जतारिया-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में दिनांक 23-01-88 से अब तक स्टेनों टाइपिस्ट के पदों पर कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है ? क्या यह भी सही है कि बाद में नियुक्त कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और पहले से कार्यरत कर्मचारी अभी भी दैनक वेतन पर कार्यरत है ? यदि हां, तो पहले से तैनात कर्मचारियों को रिक्त पदों पर कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? क्या उक्त अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त-

दिनांक 23-01-88 से स्टेनों टाइपिस्ट के अस्थायी पदों पर पांच नियुक्तियां, पदों को विज्ञापित करके, चयन समिति के माध्यम से की गयी हैं।

जी नहीं। किसी को नियमित नहीं किया गया। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ सदर तहसील की ग्राम सभा कोपा में विधायक के विरोध के बावजूद हैण्डपम्प लगाने की शिकायत

117-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा कोपा, सदर ब्लाक, सदर तहसील जनपद प्रतापगढ़ में दिनांक 29-05-98 को एक इण्डिया मार्का हैण्डपम्प व्यक्ति विशेष के घर के दरवाजे के सामने क्षेत्रीय विधायक के विरोध के बावजूद स्थापित कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ने दिनांक 30-05-98 को उक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापन रोकने के आदेश किये हैं ? यदि हां, तो जल निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

ग्राम सभा कोपा में प्रश्नगत दिनांक को कोई हैण्डपम्प स्थापित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में राजगढ़ से कोटकापुरवा सदर तहसील के स्वीकृत सम्पर्क मार्ग को बनाये जाने की मांग

118-श्री चन्द्र नाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजगढ़ से कोटकापुरवा, सदर तहसील प्रतापगढ़ में सम्पर्क मार्ग स्वीकृत है ? यदि हां, तो उपरोक्त सम्पर्क मार्ग कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां ।

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग निर्माण प्रक्रिया में है । जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्माण के लिये वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मु0 6.32 लाख रुपये को देते हुए मु0 2.21 लाख प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सुनिश्चित रोजगार योजना की प्रथम किश्त प्राप्त होने पर सम्पर्क

मार्ग को पूर्ण कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों/आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का समय से मानदेय/वेतन का भुगतान न करने वाले कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

119-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों/आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के दो-दो, तीन-तीन माह का वेतन एवं मानदेय भुगतान समय पर नहीं लिया जाता है? यदि हां, तो सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध समय से वेतन/मानदेय भुगतान न करने हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार जनपद सीतापुर में समय से मानदेय एवं वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेम लता कटियार-

केवल महोली व गोंदलामऊ परियोजनाओं को छोड़कर शेष में समय से वेतन एवं मानदेय का भुगतान किया गया है।

समय से वेतन एवं मानदेय भुगतान कराने का दायित्व मुख्यतः बाल विकास परियोजना अधिकारी का होता है जिन्हें जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिखित एवं मौखिक निर्देश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा समय से भुगतान नहीं कराया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी महोली एवं गोंदलामऊ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग को समाज कल्याण विभाग में समायोजित करने की योजना

120-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला कल्याण कल्याण विभाग को समाज कल्याण विभाग में समायोजित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक महिला कल्याण को समाज कल्याण में समायोजित कर दिया जायेगा?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला एवं बाल विकास निदेशालय में कार्यरत ए0के0 सिंह एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रोबेशन अधिकारियों से विधि सम्बन्धी कार्य कराये जाने के कारणों की जानकारी

121-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में ए0के0 सिंह एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव जिला प्रोबेशन अधिकारी तैनात हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनसे विधि सम्बन्धी कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या विधि कार्य करने हेतु उक्त अधिकारी अर्हताएं रखते हैं? यदि नहीं, तो क्या इनको अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हां।

जी नहीं। उनसे केवल विभिन्न न्यायालयों में लम्बित विभागीय मुकदमों की पैरवी के अनुश्रवण का कार्य लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा एवं अमांपुर में महामारी फैलने से अकाल मृत्यु को रोकने हेतु सरकारी उपाय

122-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा एवं विकास खण्ड अमांपुर में जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1998 में व्यापक रूप से महामारी फैलने से सैकड़ों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई थी? यदि हां, तो शासन ने महामारी की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जनपद एटा के विकास खण्ड के सिढ़पुरा में 57 व्यक्तियों की मृत्यु माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1998 में विभिन्न बीमारियों से हुई। विकास खण्ड अमांपुर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु बीमारी से नहीं हुई।

रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये:-

(1) सचल दल गठित कर प्रभावित क्षेत्रों में वरिष्ठ चिकित्सकों के पर्यवेक्षण में रोगियों का सर्वेक्षण कर समस्त रोगियों का आमूल उपचार किया गया।

(2) प्रभावित ग्रामों के आस-पास के जलाशयों में मच्छर लार्वा नाशक रसायनों का छिड़काव कराया गया।

(3) व्यस्क वाहक मच्छरों के नष्ट करने के लिए घरों के अन्दर पयरीथ्रम आधारित कीटनाशक तथा घरों के बाहर मैलाथियान टैक्नीकल द्वारा स्पेस स्प्रे कराया गया तदोपरान्त छिड़काव के लिये सिफलूथ्रिन 10% कीटनाशक उपलब्ध कराया गया।

(4) विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गई।

(5) औषधियों एवं कीटनाशक पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद के महिला एवं बाल विकास विभाग में हाउस कीपर पद पर की गयी अवैधानिक नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

123-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद में हाउस कीपर कौन-कौन तैनात हैं? क्या यह सही है कि वर्ष 1998 में नियुक्ति अधिकार प्राप्त न होते हुए भी यह नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

हाउस कीपर का पद लखनऊ में सृजित नहीं है, सीतापुर में रिक्त है तथा इलाहाबाद में उक्त पद पर श्रीमती प्रीतिलता श्रीवास्तव तैनात है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत लिपिकों के द्वारा फर्जी साइन करके वेतन लेने की शिकायत

124-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद सीतापुर की

बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत लिपिक दो-दो, तीन-तीन माह तक गायब रहते हैं ? क्या बाद में उन्हें उपस्थित दिखाकर पूरे समय का वेतन भुगतान कर दिया जाता है ? क्या अवकाश स्वीकृत होने के बावजूद सम्बन्धित लिपिकों की सेवा पुस्तिकाओं में उक्त अवकाश दर्ज नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित कार्य करने के लिए कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी वर्ष 1996, 1997, 98 की उपस्थिति पंजिकाएं एवं सेवा पुस्तिकाओं की जांच कर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

अवकाश सेवा पुस्तिका आकस्मिक पंजिका में दर्ज किया जाता है ।

उपरोक्त उत्तर की पृष्ठभूमि में प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ मोहान रोड पर महिला कल्याण विभाग की संस्थाओं की जमीन पर पेट्रोल पम्प निर्मित होने की शिकायत

125-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहान रोड, लखनऊ पर महिला कल्याण विभाग की कौन-कौन संस्था है और कितने-कितने जगहों पर निर्मित हैं ? क्या यह भी सही है कि संस्था की जमीन पर कोई पेट्रोल पम्प भी है ? क्या पेट्रोल पम्प के लिए जमीन विभाग द्वारा बेची गई ? यदि नहीं, तो पेट्रोल पम्प किस नियम के तहत लगा है ? क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मोहान रोड, लखनऊ पर महिला कल्याण विभाग की दो संस्थायें, राजकीय किशोर गृह एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह है । उक्त दोनों संस्था लगभग क्रमशः 2,22,000 वर्ग फिट एवं 25409 वर्ग फिट क्षेत्रफल के भूखण्डों पर निर्मित है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उक्त दोनों संस्थाओं समाज कल्याण विभाग से महिला कल्याण विभाग को हस्तान्तरित हुई थी । महिला कल्याण विभाग को हस्तान्तरित उक्त दोनों संस्थाओं में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के राजकीय आवास में रहने का किराया न लेने के कारणों की जानकारी

126-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव एवं श्री सुधीर दुबे, होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट कब से राजकीय आवास में रह रहे हैं? श्री यादव से मकान किराया न लिये जाने के लिये कौन आहरण वितरण अधिकारी एवं लिपिक दोषी हैं और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त से राजकीय आवास में रहने की तिथि से किराया वसूल करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवाकान्त-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला शाहजहांपुर में प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले डाक्टरों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का मा0 मुख्यमंत्री को पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

127-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-5-98 को या इसके आसपास जिला शाहजहांपुर के प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले सरकारी डाक्टरों की सूची के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांकित 26-4-98 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में डवाकरा योजनान्तर्गत ब्लाक जैतीपुर कटरा तिलहर तथा खुदागंज में प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ होने विषयक जिलाधिकारी को पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

128-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0

28-11-98 या इसके आसपास जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को डवाकरा योजनान्तर्गत ब्लाक जैतीपुर, कटरा, तिलहर तथा खुदागंज में प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

जी हां। मा0 विधायक द्वारा पृष्ठांकित पत्र, जो प्रबन्धक महिला एवं पुरुष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्राम बन्डिया कला, पो0 मरैना, जिला शाहजहांपुर का है, प्राप्त हुआ।

पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष 1998-99 में डवाकरा योजना अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षण शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ करा दिये जाने के कारण किसी भी स्वयं सेवी संस्था से प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया। उक्त तथ्यों से मा0 विधायक को परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 09-12-98 द्वारा अवगत करा दिया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में शासन द्वारा स्वीकृत इण्डिया मार्का-11 के हैण्डपम्पों में की गई अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र तथा दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

129-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 या इसके आसपास विधान सभा क्षेत्र तिलहर (शाहजहांपुर) में शासन द्वारा दिये गये 25 इण्डिया मार्का-11 के नल में अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

जी हां। पत्र दिनांक 9-10-98 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त पत्र में इंगित तथ्यों के सापेक्ष जांच अधिकारी नियुक्त कर तथ्यान्वेषण जांच करायी गयी। प्राप्त आख्यानुसार कतिपय अनियमितताओं के सापेक्ष दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक जांच का निर्णय लिया गया है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स यादव मेडिकल सेन्टर देवी रोड, मैनपुरी के नाम से जारी लाइसेंस के दुरूपयोग करने विषयक शिकायती पत्र तथा जांच आख्या की जानकारी

130-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि मेसर्स यादव मेडिकल स्टोर, मैनपुरी पर तैनात फार्मेसिस्ट द्वारा फर्जी शपथ-पत्र अपने हस्तलेख से तैयार कर हाकिम सिंह यादव, लिपिक सी0एम0ओ0 आफिस ने अपनी पुत्री के नाम दवा बिक्री का लाइसेन्स बनवाया है ? यदि हां, तो सी0एम0ओ0, मैनपुरी द्वारा 6 माह से अब तक जांच लम्बित रखने के क्या कारण हैं ? उक्त जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री-

मेसर्स यादव मेडिकल सेन्टर, देवी रोड, मैनपुरी के नाम से लाइसेंस संख्या-एम0 पी0 आई0 520/20/95, दिनांक 8 अप्रैल, 1995 श्रीमती रेखा यादव पत्नी श्री राजेश कुमार यादव के पक्ष में प्रदत्त किया गया था। उक्त लाइसेंस 16 मई, 1998 को निरस्त किया जा चुका है। अतः जांच लम्बित रखने अथवा पूर्ण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मैनपुरी में श्री केशव सिंह यादव व श्री सुधीर कुमार दुबे होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट पर धारा 420 का दोष सिद्ध होने पर भी निलम्बित न करने के कारणों की जानकारी

131-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह- "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री केशव सिंह यादव व श्री सुधीर कुमार दुबे, मैनपुरी जनपद में होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत हैं ? क्या सी0जे0एम0 मैनपुरी द्वारा वाद संख्या 357/98 कमलेश बनाम कु0 मन्जू यादव धारा 420 आई0पी0सी0 में उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को दोषी करार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त दोनों कर्मचारियों को धारा 420 में दोषी सिद्ध हो जाने के बावजूद अब तक निलम्बित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

प्रो0 शिवाकान्त -

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम डभौरा में नवीन नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

132-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 22-4-98

या इसके आसपास जो ग्राम डभौरा, जनपद शाहजहांपुर में नवीन नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां।

नवीन नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत कराया जाता है। वर्ष 98-99 में नये नलकूप का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न होने के कारण प्रश्नगत नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जा सकी। वर्तमान में भी नये नलकूपों के निर्माण का प्राविधान नहीं है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन एम0डी0 बालरोग तथा डी0सी0एच0 उपाधि के चिकित्सकों की संख्या तथा प्रसूति गृह नवल किशोर रोड, फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर, लखनऊ में उनकी नियुक्ति की मांग

133-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी0एम0ओ0, लखनऊ के अधीन एम0डी0 बाल रोग अथवा डी0सी0एच0 उपाधि धारक कितने चिकित्सक तैनात हैं ? क्या प्रसूति गृह नवल किशोर रोड एवं प्रसूति गृह, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात चिकित्साधिकारी एम0डी0 बाल रोग अथवा डी0सी0एच0 उपाधि धारक हैं ? यदि नहीं, तो क्या बाल रोग विशेषज्ञ की उपाधि वाले चिकित्सक को वहां तैनात किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन एक एम0डी0 बाल रोग तथा छः डी0सी0एच0 उपाधि धारक चिकित्सक तैनात हैं। प्रसूति गृह, नवल किशोर रोड एवं प्रसूति गृह, फैजाबाद रोड, इन्दिरानगर के मध्य एक ही बाल रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है जिस पर डी0सी0एच0 उपाधि धारक चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यौन उत्तेजना एवं शक्ति वर्धक दवाओं का प्रचार रोकने हेतु कृत कार्यवाही की जानकारी

134-श्री संजय गर्ग-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में क्या मैजिदथिरेपी एरटाइजमेन्ट आब्जेक्शनेबुल ऐक्ट, 1984 का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं,

तो क्यों ? क्या समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में यौन-उत्तेजना एवं शक्तिवर्धक दवाओं का प्रचार किया जा रहा है तथा इस हेतु होर्डिंग आदि का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ? यदी हां, तो उसे रोकने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

मैजिदथिरेपी एरटाइजमेंट आवजेक्शनैबुल एक्ट, 1984 नाम का कोई एक्ट प्रभावी नहीं है।

जी हां।

यौन उत्तेजना एवं शक्ति वर्धक दवायें आयुर्वेदिक दवायें हैं। अतः इस दवाओं के सम्बन्ध में प्रवर्तन का कार्य आयुर्वेद महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त की जा रही है।

जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल के इन्दिरा राजबहा की अलीपुर माइनर में भदसामानीपुर के पास निर्माणाधीन पुलिया को पूर्ण कराने की मांग

135-श्री समर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद में दोहरीघाट पम्प कैनाल के इन्दिरा राजबहा की अलीपुर माइनर में भदसामानीपुर अनुसूचित जाति की बस्ती के पास कोई पुलिया निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पुलिया का निर्माण पूरा न होने के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त पुलिया का निर्माण सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में दोहरीघाट टाऊन एरिया क्षेत्र में घाघरा नदी के (वर्ष 1990 से) कटाव को रोकने में व्यय धनराशि का विवरण

136-श्री समरपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में दोहरीघाट टाउन एरिया क्षेत्र में घाघरा नदी का कटाव किस वर्ष से प्रारम्भ है ? प्रति वर्ष कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या कटाव के प्रारम्भिक वर्ष में सेना द्वारा

कटाव रोकने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था ? यदि हां, तो सरकार दोहरीघाट नगर, पुल, रेलवे स्टेशन एवं पम्प कैनाल के महत्व को देखते हुए दोहरीघाट में हो रहे घाघरा नदी के प्रति वर्ष के कटाव को रोकने का कार्य सेना के हवाले करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

वर्ष 1990 से।

वर्ष	(लाख रु0 में)
1991-92	16. 7
1992-93	5.74
1993-94	20.84
1994-95	12.06
1995-96	15.48
1996-97	9.88
1997-98	49.78
1998-99	22.59
	152.44

जी नहीं।

वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है।

जनपद मऊ में शहरोज गांव में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल को जनहित में पूरा करने की मांग

137- श्री समरपाल सिंह -

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ में शहरोज गांव के पास सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुल के निर्माण के संबंध में श्री देव प्रकाश राय सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पो0 शहरोज जिला मऊ द्वारा दायर जनहित याचिका संख्या 9864/1999 में मा0 उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को त्वरित कार्यवाही जनहित में करने का निर्देश दिनांक 16-3-99 को शासन एवं संबंधित पक्षों को दिया है ? यदि हां, तो सरकार मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में कब तक पुल का निर्माण करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है।

निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मार्च, 1994 में अधीक्षक औषधि निर्माणशाला पीलीभीत को औषधियों की आपूर्ति/भुगतान की मांग

138-श्री महाराज सिंह यादव-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा उ0प्र0, लखनऊ ने मार्च, 1994 में किन-किन फर्मों को आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति करने हेतु आदेश दिया था और किन-किन फर्मों द्वारा औषधियां निर्धारित मांग के अनुसार निदेशक के आदेश के परिप्रेक्ष्य अधीक्षक, आयुर्वेदिक औषधिक निर्माणशाला पीलीभीत को आपूर्ति की गयी है ? क्या आपूर्ति करने वाली फर्मों को आपूर्ति की गयी दवाईयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त-

निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मार्च, 94 में अधीक्षक औषधि निर्माणशाला, पीलीभीत को आयुर्वेदिक औषधियों की आपूर्ति हेतु दिये गये आदेशों तथा उन आदेशों के क्रम में आपूर्ति करने वाली फर्मों की सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

यह आपूर्ति वर्ष 1993-94 में की गयी है वर्ष 1993-94 के आयुर्वेद घोटाले की जांच सी0बी0आई0 के द्वारा की जा रही है जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती/संबंधित अभिलेख वापस नहीं मिल जाते है तब तक कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 216 पर)

प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सकों, सी0एच0ओ0/एम0ओ0 (सी0एच0) को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से स्वास्थ्य लाभ देने तथा वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में आवंटित बजट

139-श्री महाराज सिंह यादव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में न्यू पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सक, सी0एच0ओ0/एम0 ओ0 (सी0एच0) मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के अधीनस्थ कार्यरत हैं ? क्या इन आयुर्वेदिक चिकित्सकों, सी0 एच0 ओ0/एम0 ओ0 (सी0एच0) को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जनता को स्वास्थ्य लाभ देने का अधिकार शासन द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश स्तर पर वित्तीय वर्ष 1998-99 में आवंटित पूर्ण औषधि बजट का कितना अंश आयुर्वेदिक औषधियां क्रय करने हेतु आवंटित किया गया है ? वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितना बजट आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त-

जी हाँ। आयुर्वेदिक चिकित्सकों जो चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य के पद पर पदस्थ है, उन्हें आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करने के अधिकार प्रदत्त है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक केन्द्र हेतु औषधि बजट का आवंटन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है, एवं वित्तीय वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय हेतु बजट का कितना अंश आवंटन किया गया है, इसकी सूचना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त होने पर बतायी जा सकेगा।

140-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

(2रे गुरूवार में अता0प्र0सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों, सम्बद्ध अस्पतालों के अधिकारियों/ कर्मचारियों पर स्थानान्तरण नीति को कड़ाई से लागू करने की मांग

141-श्री विश्वनाथ-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की स्थानान्तरण नीति प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों, सम्बद्ध अस्पतालों व प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अधिकरियों/कर्मचारियों पर कड़ाई से लागू न होने का कुप्रभाव कार्य, आचरण, व्यवहार व अनुशासन एवं विकास आदि पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में राज्य स्थानान्तरण नीति का होम्योपैथिक विभाग में कड़ाई से लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त -

शासन की स्थानान्तरण नीति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु बनाई गई नीति के तहत प्रशासनिक दृष्टि से अनिवार्य स्थानान्तरण किये गये है तथा स्थानान्तरण नीति के फलस्वरूप कार्य, आचरण, व्यवहार व अनुशासन एवं विकास पर कुप्रभाव के कोई दृष्टान्त संज्ञान में नहीं आये हैं।

प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप यथा समय निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय कम्पाउण्डर सेवा संघ की संवर्गीय समस्याओं विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142-श्री विश्वनाथ-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि संवर्गीय समस्याओं से संबंधित माननीय चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा संस्तुति उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल

कालेज एवं चिकित्सालय कम्पाउण्डर सेवा संघ के महासचिव का पत्र दिनांक 15-1-98 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्राप्त उक्त सन्दर्भित मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त -

जी हाँ।

उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय कम्पाउण्डर सेवा संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतएव उक्त पर कोई कार्यवाही किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों सम्बद्ध अस्पतालों व राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भेषजिकों कम्पाउण्डर्स को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मेसिस्ट/कम्पाउण्डर्स की भांति प्रतिकर अवकाश देने का मामला

143-श्री विश्वनाथ-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 11-11-98 के अनुसार प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मेसिस्ट/कम्पाउण्डर्स को प्रतिकर अवकाश की सुविधा अनुमन्य है ? क्या यह सच है कि यह सुविधा प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों, सम्बद्ध अस्पतालों व राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भेषजिकों कम्पाउण्डर्स को सुलभ नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत भेषजिकों/कम्पाउण्डर्स को भी प्रतिकर अवकाश सुविधा प्रदान कर एकरूपता स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त -

जी नहीं।

जी हाँ।

जी नहीं।

होम्योपैथिक विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्ट/कम्पाउण्डरों की सेवायें आकस्मिक सेवा के अन्तर्गत नहीं आती है।

राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज प्रयाग इलाहाबाद के प्रांगण से वेतन हेतु आहरित धनराशि लूटे जाने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वेतन भुगतान की मांग

144-श्री विश्वनाथ-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 4-11-96 को राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, प्रयाग, इलाहाबाद के प्रांगण से अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि हेतु आहरित धनराशि लूट लिए जाने पर उनके वेतन भुगतान से संबंधित उ0प्र0 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, कम्पाउण्डर सेवा संघ के महासचिव का पत्र दिनांक 15-1-98 मा0 चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री की संस्तुति सहित शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त संदर्भित वेतन आदि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारियों को कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त -

जी हाँ।

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि की लूटी गई धनराशि रू0 1,15,705/- के पुर्नआहरण हेतु मा0 मंत्रि परिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो गई है जिस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा व प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों व सम्बद्ध चिकित्सालयों की सेवा सम्बन्धी शर्तों व सुविधाओं में एकरुपता की मांग

145-श्री विश्वनाथ-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा व प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों व सम्बद्ध चिकित्सालयों की सेवा संबंधी शर्तों व सुविधाओं आदि में विसंगतियां हैं ? क्या राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों व सम्बद्ध अस्पतालों में कार्यरत भेषजिकों कम्पाउण्डर्स की सेवा नियमावली आज तक प्रख्यापित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालेजों व राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में भेषजिकों/कम्पाउण्डर्स की सेवा शर्तों, स्थायीकरण सुविधाओं आदि में एकरुपता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं।

जी हाँ।

होम्योपैथिक विभाग के प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत होम्योपैथिक भेषजिकों की सेवा नियमावली, 1991

में प्रख्यापित की जा चुकी है । राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में कार्यरत होम्योपैथक भेषजिकों के नियमावली के प्रस्ताव पर उक्त के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की लिंक नहरों से किसानों की सिंचाई हेतु समुचित पानी की व्यवस्था न होने से नष्ट रवी की फसल आवपासी माफी की मांग

146-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत में पूर्वी यमुना नहर की लिंक नहरों से किसानों को सिंचाई हेतु विगत वर्ष में मात्र एक बार पानी दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसके कारण रबी की फसलों को क्षति पहुंची थी ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की आवपासी माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

ऐसा कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ ।

फिलहाल इसका प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के ग्राम जलियामऊ मधुवापुर एवं ग्राम भलिया के शारदा नहर के पुल के पास छोटी पटरी पर ग्राम नकहौरा में लगाये गये अनाधिकृत कुलाबे को हटाने की मांग

147-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड काकोरी के ग्राम जलियामऊ मधुवापुर एवं ग्राम भलिया के शारदा नहर के पुल के पास छोटी पटरी पर ग्राम नकहौरा के लिए लगाये गये अनाधिकृत रूप से कुलाबे से वहां के ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत रूप से लगाये गये उक्त कुलाबे को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ, अतिरिक्त कुलाबा पिछले लगभग 10 वर्षों से लगा हुआ है । इससे कुलाबा सं0-63 के सम्पूर्ण कमाण्ड में सींच होती है । इसके अतिरिक्त कुलाबों से कृषकों की कोई भी भूमि जलमग्न नहीं होती है ।

हटाये जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने, तथा वर्ष 1997-98 में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में व्यय धनराशि की जानकारी

148-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? क्या इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया ? इन क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कितना धन बाढ़ नियंत्रण कार्यों में व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद बस्ती में घाघरा नदी के बायें तट एवं अनवर नदी के दायें तट के बीच का पूरा भाग बाढ़ प्रभावित है। इन नदियों के किनारे बने उन तटबन्धों को चिन्हित कर लिया गया है जहां नदी तटबंध से बहुत निकट है अथवा तटबंध पूर्ण नहीं है एवं गैप है।

वर्ष 1997-98 में इन क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर कुल रुपया 98.26 लाख की धनराशि व्यय हुई।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के क्षेत्र सीयर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय पशुहारी का जनहित में निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

149-श्री अफजाल अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर विकास खण्ड में संचालित नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकितसालय पशुहारी हेत भूमि उपलबध होने के बावजूद चिकित्सालय भवन और आवास का निर्माण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध न होने तथा जिला योजना से आवश्यक परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

चिकित्सालय का निर्माण जिला योजना में परिव्यय/भूमि की उपलब्धता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के कतिपय माध्यमिक विद्यालयों की छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति राशि जालसाज रैकेट द्वारा कालेजों का फर्जी खाता खोलकर निकाले जाने की जांच तथा दोषीजनों को दण्डित करने की मांग

150-श्री अफजाल अहमद-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के कई माध्यमिक विद्यालयों की छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति साजिश के तौर पर एक सक्रिय जालसाज रैकेट द्वारा विभिन्न बैंकों में जिला समाज कल्याण कार्यालय, बलिया के कार्यालय से चेक ले जाकर फर्जी कालेजों का खाता खोलवाकर रुपये निकाल लिए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गंभीर प्रकरण की जांच उच्चाधिकारियों से कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी नहीं । समय-समय पर विभिन्न शिकायतों पर जांच आदि की कार्यवाही की जाती रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय शिशु सदनों में बच्चों को देय पौष्टिक आहार तथा बीमारी की दशा में बच्चों को देय आहार

151-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिशु सदनों में बच्चों को क्या-क्या, पौष्टिक आहार दिया जाता है ? क्या रोगग्रस्त होने पर उनहें फल, दूध आदि सामग्री दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय शिशु सदनों में बच्चों को दूध, दलिया, बिस्कुट, चना, लइया व मौसम के फल आदि पौष्टिक आहार दिया जाता है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी की जांच आख्या में दोषी श्रीमती शीला सिलाई प्रशिक्षिका के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज न करने के कारण

152-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के 6ठे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित

प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के संदर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच आख्या में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज न कराने के क्या कारण थे ? क्या सरकार एफ0आई0आर0 दर्ज करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, रायबरेली की जांच आख्या दिनांक 14-10-97 में यह संकेत था कि श्रीमती शीला, सिलाई प्रशिक्षिका कतिपय वित्तीय अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी ठहरायी जा सकती हैं । मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है । जांचोपरांत संज्ञेय प्रकृति के अपराध की पुष्टि होने पर एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला-बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम मोहम्मदपुर के पास ललौरीखेड़ा क्योलड़िया नहर पर पुलिया का निर्माण

153-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललौरी खेड़ा क्योलड़िया नहर ग्राम-मोहम्मदपुर तहसील नवाबगंज (बरेली) की पुलिया कब से टूटी है ? क्या इसके कारण रास्ता अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

ग्राम मोहम्मदपुर तहसील नवाबगंज (बरेली) के पास ललौरीखेड़ा कयोलड़िया नाम की कोई नहर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बलिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर (बिल्थरा रोड़) में साज-सज्जा, उपकरणों की खरीद व दवाओं हेतु आवंटित धन के दुरुपयोग का मामला

154-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर (बिल्थरा रोड़) जनपद बलिया को वर्ष 1995 से अब तक कितना धन साज-सज्जा, उपकरणों की खरीद मकानों की मरम्मत फर्नीचर व अन्य दवायें आदि की खरीद हेतु दिया गया है ? क्या उसका सही उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसकी उच्च स्तरीय

जांच करायी जायेगी ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं को स्थानीय लोगों को न देकर बाजार में बेचा जाता है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सीधे बजट का आवंटन नहीं किया जाता है, आवंटन जनपद की समस्त इकाईयों हेतु भेजा जाता है जिसका उपयोग मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से मानक/स्थानीय आवश्यकतानुसार किया जाता है । मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर हेतु कथित वर्षों में प्रश्नगत मदों में निम्न प्रकार व्यय किया गया है :-

वर्ष	साज-सज्जा फर्नीचर, उपकरण पर व्यय (रुपये)	निर्माण/मरम्मत कार्यों पर किया गया व्यय (रुपये)	दी गयी औषधियों का मूल्य (रुपये)
1995-96	11,225.00	शून्य	20,000.00
1996-97	11,000.00	शून्य	20,000.00
1997-98	34,000.00	1,04,000.00	30,000.00
1998-99	शून्य	36,099.00	30,000.00
1999-2000	शून्य	शून्य	15,000.00
योग	56,225.00	1,40,099.00	1,15,000.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर में तैनात स्थानीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग

155-श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर, जनपद बलिया में कितने चिकित्साधिकारी फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ वर्तमान समय में तैनात हैं ? इनकी तैनाती कब से है ? क्या यह सही है कि इसमें से अधिकतर स्थानीय हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इससे कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीयर, बलिया पर वर्तमान में दो चिकित्साधिकारी, एक फार्मासिस्ट एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है।

डा0 बालचन्द्र एवं डा0 जे0ए0 अख्तर, चिकित्सा अधिकारी क्रमशः फरवरी, 1999 और वर्ष 1993 से, डा0 एस0 के0 राय, फार्मासिस्ट नवम्बर, 1990 से, श्री वशीर खाँ, वार्ड ब्वाय मार्च, 1974 से और श्री नेपाली राम, स्वीपर अक्टूबर, 1981 से कार्यरत हैं। उक्त दोनों चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट का गृह जनपद मऊ है एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का गृह जनपद बलिया है। मात्र चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी अपने गृह जनपद में तैनात हैं। वर्ष 1999-2000 के लिये निर्धारित स्थानान्तरण नीति में समूह "घ" के कर्मचारियों की गृह जनपद में तैनाती निषिद्ध न होने के कारण वे अपने गृह जनपद में वर्तमान में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 में उपकरणों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि तथा खरीदे गये उपकरणों के सम्बन्ध में जानकारी

156-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में विगत तीन वर्षों 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में उपकरणों के क्रय हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी? क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल के कतिपय विभागों में उपकरणों की आवश्यकता होते हुए भी उपकरण क्रय नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल, लखनऊ में उपकरणों के क्रय हेतु विगत तीन वर्षों में धनराशि आवंटित की गई:-

वर्ष	धनराशि रुपया
1995-96	2,25,05,000/-
1996-97	50,36,000/-
1997-98	24,96,000/-

उक्त धनराशि में से अधिकांश उपकरण क्रय किये जा चुके हैं परन्तु क्रय

प्रक्रियां समयसाध्य होने एवं पी0एल0ए0 में जमा धनराशि की उपयोगिता अवधि समाप्त हो जाने के कारण कतिपय उपकरण यथा-सी0टी0 स्कैन, इन्सीनरेटर, इन्डोस्कोप आदि का क्रय नहीं हो सका है।

सी0एम0ओ0 शाहजहांपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

157-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-5-98 या इसके आसपास जो सी0एम0ओ0, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त पत्र को उन्होंने आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के लिये भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ, प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 2-5-98 शासन को प्राप्त हुआ है।

जी हाँ।

शिकायतों की जांच अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मण्डल, बरेली से करायी गयी और जांचोपरान्त शिकायत तथ्यगत नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर, मीरानपुर कटरा नहर कोठी तथा कटरा जैतीपुर रजबहा की जांच एवं दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

158-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर मीरानपुर कटरा नहर कोठी तथा कटरा, जैतीपुर राजबहा की जांच दिनांक 24-12-97 को अधिशाषी अभियन्ता, शारदा नहर, शाहजहांपुर द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि अधिशासी अभियन्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 6-11-98 को अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर को भेजी दी है ? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता ने जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ? जांच में कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच की समीक्षा की गयी।

कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर में रामगंगानदी से ग्राम मरैना डभौरा, खूबपुर आदि का कटान रोके जाने विषयक मुख्यमंत्री को पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

159-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-11-98 को या इसके आसपास रामगंगा नदी से ग्राम मरैना डभौरा, खूबपुर आदि का कटान रोके जाने के विषय में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्ष 1995 से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में मलेरिया, डेंगू एवं एड्स से बचाव व रोकथाम हेतु लगाये गये बोर्डों की संख्या तथा भुगतान में व्याप्त अनियमितता की जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित करने की मांग

160-श्री अफजाल अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेंगू, एड्स एवं मलेरिया से बचाव व रोकथाम हेतु वर्ष 1995 से अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में किस एजेन्सी से कितने बोर्ड लगाये गये थे? उसकी वर्षवार संख्या कितनी है? क्या इसका कोटेशन, विज्ञापन आदि विभागों द्वारा कराया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि बिना विज्ञापन एवं कोटेशन के ही सारा कार्य दे दिया जाता रहा है और पुराने बोर्डों को दिखाकर हर वर्ष क्या भुगतान किया जाता रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर लाइसेन्स जब्त करने तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 95 में अब तक मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम हेतु 900 बोर्ड संयुक्त समिति पंचायत उद्योग, लखनऊ से तथा 250 बोर्ड संयुक्त पंचायत उद्योग, लखनऊ से (कुल 1150 बोर्ड) लगवाये गये। डेंगू एवं एड्स के संबंध में कोई बोर्ड नहीं लगवाये गये।

इनकी वर्षवार संख्या निम्नवत् है :-

वर्ष	बोर्ड की संख्या
1995-96	450
1996-97	700
1997-98	-
1998-99	-
	1150

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डेंगू एड्स् एवं मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभाग द्वारा एवरेस्ट ट्रेडर्स, निशातगंज लखनऊ को बोर्ड लगाने हेतु देय आदेश तथा धन भुगतान की जांच

161-श्री अफजाल अहमद-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डेंगू, एड्स एवं मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभाग द्वारा बोर्ड लगाने के आदेश वर्ष 1995 से अब तक एवरेस्ट टेण्डर्स, निशातगंज, लखनऊ को कितना धन वर्षवार दिया गया था और उसका वर्षवार उक्त फर्म को कितना-कितना भुगतान किया गया है ? कितना भुगतान शेष है ? क्या यह सही है कि बिना बोर्ड लगाये ही उक्त फर्म को धन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सी0बी0आई0 जांच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

डेंगू, एड्स एवं मलेरिया की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभाग द्वारा एवरेस्ट ट्रेडर्स, निशातगंज, लखनऊ को बोर्ड लगाने के कोई आदेश नहीं दिये गये और न ही कोई भुगतान किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा

162-श्री भोला शंकर मौर्य-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जनपद-बदायूं के विकास खण्ड अम्बियापुर के तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री रामदेव सिंह को इन्दिरा आवास में अनियमितता बरतने में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी

163-श्री भोला शंकर मौर्य-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-139 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, अम्बियापुर, श्री रामदेव सिंह के निलम्बन के पश्चात् अनुशासनिक कार्यवाही पर जांच रिपोर्ट, शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? जांच आख्या प्राप्त होने के बाद कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

जांच आख्या के परीक्षणोपरानत श्री रामदेव सिंह, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप सिद्ध पाया गया। उक्त सिद्ध आरोप के लिए श्री सिंह को घोर भर्त्सनात्मक प्रविष्टि प्रदान करते हुए इनके द्वारा दुरुपयोग की गई वित्तीय क्षति की वसूली उनकी ग्रेच्युटी से एकमुश्त करने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद का अभिमत मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

164-श्री भोला शंकर मौर्य-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जिला सिद्धार्थनगर ग्राम सभा, चिउटहा विकास खण्ड खेसरहा में इन्दिरा आवास/अ0जा0आवास बनाने विषयक श्री अक्षयवर लाल विधायक का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

165-श्री बाबू खां-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा चिउटहा विकास खण्ड खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर से इन्दिरा आवास/आ0जा0 आवास बनवाने विषयक श्री अक्षयवर लाल, विधायक का पत्र माह अप्रैल, 1999 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन व्यक्तियों को आवास स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया

है ? क्या सभी व्यक्तियों को आवास स्वीकृत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय वरुआपेट्ठना के फार्मेसिस्ट श्री राम नरेश सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

166-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-11-97 या इसके आसपास जो राजकीय आयु0 चिकित्सालय वरुआपेट्ठना, शाहजहांपुर के फार्मेसिस्ट श्री राम नरेश सिंह के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं, बल्कि श्री राज नरेश सिंह के विरुद्ध मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 28-10-97 प्राप्त हुआ ।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध जांच करायी गयी । जांचोपरान्त शिकायत सही नहीं पायी गयी फिर भी श्री राज नरेश सिंह फार्मासिस्ट को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरुवापेनी/शाहजहांपुर से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय उमरहरा/शाहजहांपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रदेश में कहार पिछड़ी जाति की उपजातियां तथा उनके व्यवसाय की जानकारी

167-श्री अक्षयवर लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति कहार की कौन-कौन उपजातियां हैं एवं यह प्रदेश के किन-किन जिलों में पायी जाती हैं ? इनका व्यवसाय क्या हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

कश्यप ।

इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

तदैव ।

अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया गया ज्ञापन तथा पुनरीक्षित शासनादेश जारी करने की मांग

168-श्री अक्षयवर लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा का कोई प्रतिनिधि मण्डल माह अप्रैल, 1999 में उनसे मिलकर कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दु क्या हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार ने पुनरीक्षित शासनादेश जारी कर दिया है ? यदि नहीं, तो इसे कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी बहराइच द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में कार्यरत बनाई प्रशिक्षकों से सहायक अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु विशेष वेतन स्वीकृत कर कारणों की जानकारी तथा उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

169-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी, बहराइच ने अपने आदेश संख्या-361-366 दिनांक 22-1-92 द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में कार्यरत बुनाई प्रशिक्षकों को जुलाई, 1990 से सहायक अधीक्षक पद पर कार्य करने हेतु विशेष वेतन स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त वेतन स्वीकृत करने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी अधिकृत थे ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशक, महिला कल्याण को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में संचालित राजकीय निराश्रित कर्मशाला फुरसतगंज में भवन स्वामी के संस्था में रहने के कारण भवन स्थानान्तरित करने का मामला

170-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-154 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक प्रश्नगत भवन स्थानान्तरित न होने हेतु कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त संस्था के भवन को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त भवन की तलाश की जा रही है। इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन उपलब्ध होने पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत भरखनी सवायजपुर राजबहा की सफाई व्यवस्था कराये जाने की मांग

171-श्री बाबू खाँ-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89-शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत भरखनी सवायजपुर राजबहा की कई वर्षों से सफाई न होने के कारण पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसानों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं? क्या सरकार उक्त राजबहा की सफाई व्यवस्था शीघ्र करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सवायजपुर राजबहा शाहजहांपुर शाखा के टेल भाग से निकलती है जिसके टेल में कम मात्रा में पानी मिलने के फलस्वरूप राजबहा में वांछित मात्रा में पानी नहीं आता है। सवायजपुर रजबहा की कई वर्षों से सफाई न होने के कारण पानी न पहुंचना इस नहर की कोई समस्या नहीं है।

राजबहा की सफाई किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम डाकघर में विधवा पेंशन के फर्जी खाते

172-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् डाकघर में विधवा पेंशन के 19 खाते फर्जी पाये गये हैं? यदि हां, तो क्या इस तरह के फर्जी खाते शहर के अलावा दूर-दराज के क्षेत्रों में भी चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या पेंशन वितरण करने वाले अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का मौखिक सत्यापन कराकर अनुदान के चेक जारी किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष लोकदल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ को स्टाफ नर्स के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

173-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकदल पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पत्र जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ को सम्बोधित था, के साथ में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-2 नम्बर 43/6466, दिनांक 4-5-99 प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

संबंधित स्टाफ नर्स को हटाकर अन्य वार्ड में तैनात कर दिया गया तथा भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों से परामर्श लिया जाना

174-श्री चन्द्रनाथ सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मा0 सांसदों एवं मा0 विधायकों से कार्य योजना में परामर्श लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला ग्राम विकास अभिकरण का धन खर्च करने एवं परियोजनाओं को चयनित करने हेतु शासन का निर्धारित मानक तथा अम्बेडकर नगर एवं जौनपुर की वित्तीय वर्ष 1998-99 की प्रथम बैठक व विभिन्न योजनाओं की जानकारी

175-श्री बी0 आर0 वर्मा तथा श्री लालजी वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण का धन खर्च करने एवं परियोजनाओं को चयनित करने हेतु शासन ने कोई मानक निर्धारित किया है? यदि हां, तो वह क्या हैं? क्या डी0आर0डी0ए0 की बैठक के पूर्व भी परियोजनाओं को चयनित कर धन आवंटित किया जा सकता है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बेडकर नगर एवं जौनपुर की वित्तीय वर्ष 1998-99 की प्रथम बैठक कब हुई थी और इसके पूर्व विभिन्न योजनाओं (जे0आर0वाई0एस0आर0वाई0 दस लाख कूप योजना आदि) का कितना धन आवंटित कर अवमुक्त किया गया? क्या इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण स्तर पर उपलब्ध धनराशि को व्यय किये जाने की दिशा में भारत सरकार के निर्देशानुसार श्रम एवं सामग्री का 60:40 का अनुपात के अनुसार धन व्यय किया जाना एवं निर्धारित मजदूरी के अनुसार भुगतान किया जाना तथा स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के कार्य कराये जाने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी का निर्णय आवश्यक है परन्तु

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पैसा आने पर तत्काल रिलीज करने का प्राविधान है अगर गवर्निंग बाडी की बैठक शीघ्र नहीं बुलाई जा सके तो अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कार्य स्वीकृति के बाद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाती है और भारत सरकार के गाइडलाइन्स के अनुरूप कार्य स्वीकृत किया जाता है। सुनिश्चित रोजगार योजना का ध्येय रोजगार सृजन की सुनिश्चिता है और यह जिलाधिकारी के अधीन थी तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुरूप भी क्रियान्वित की जाती थी। वर्तमान के जवाहर रोजगार योजना व सुनिश्चित रोजगार योजना के मार्ग-निर्देश भारत सरकार द्वारा 1-4-99 से बदल दिया गया है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बेंदकर नगर के वित्तीय वर्ष 1998-99 में प्रथम बैठक 20-5-98 को हुई थी जिसके पूर्व उपर्युक्त योजनाओं में रु0 1709.94 लाख की धनराशि आवंटित कर अवमुक्त की गई इसी प्रकार जनपद जौनपुर में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक दि0 13-6-98 को आयोजित की गई थी जिसके पूर्व रु0 376.47 लाख की धनराशि आवंटित की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर ग्राम भैंसा विकास खण्ड नूरपुर में इन्दिरा आवास योजना एवं निर्बल वर्ग आवास योजना के पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटन तथा अन्य विकास कार्य कराये जाने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176-श्री समर पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भैंसा, विकास खण्ड नूरपुर, जनपद बिजनौर में इन्दिरा आवास योजना एवं निर्बल वर्ग आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास आवंटित किये जाने तथा उपरोक्त ग्राम सभा में अन्य विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय विधायक श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना के दो शिकायती-पत्र दिनांक 8-6-99 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हाँ।

शिकायती-पत्रों की जांच करायी गयी। प्रथम शिकायती पत्र ग्राम प्रधान भैंसा के विरुद्ध था, किन्तु जांच में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। कुछ खड़न्जा पर कार्य न होने की शिकायत है जिन्हें इस वर्ष की कार्य योजना में सम्मिलित करके पूर्ण कराने के लिए ग्राम प्रधान को लिख दिया गया है। दूसरे पत्र के साथ प्राप्त पत्र में 30 व्यक्तियों के नाम इन्दिरा आवास आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया था।

किन्तु जांच में केवल 12 व्यक्ति आवास हेतु पात्र पाये गये हैं जिनके लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव कराने के उपरान्त आवास निर्मित कराने की कार्यवाही इस वर्ष की योजना में की जा सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दाम्पत्य पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97, 1997-98 में लाभान्वित अभ्यर्थियों का विवरण

177-श्री संजय गर्ग-

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री को जानकारी है कि 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार दिये जाने की योजना महिला कल्याण निदेशालय से संचालित है ? यदि हां, तो क्या योजनान्तर्गत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो क्या कतिपय लाभार्थी फर्जी भी पाये गये हैं ? क्या जनपद आगरा, लखनऊ मेरठ का विगत वर्ष 1996-97, 1997-98 का उक्त विवरण सदन के पटल पर रखे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

जी हाँ।

योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराये जाने के बाद ही अनुदान दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी, हाँ।

(विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।)

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 218 पर)

178-श्री संजय गर्ग-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।)

जनपद गोण्डा में विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवी नगर के क्योटहिया ग्राम में मई, 1999 में आग लगने से नष्ट घरों के परिवारों को बसाने हेतु इन्दिरा आवास योजना में आवास उपलब्ध कराने की मांग

179-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, जनपद

गोण्डा में विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत देवी नगर के क्योटहिया ग्राम में मई, 1999 में आग लग जाने से पूरा गांव जलकर राख हो गया है ? क्या सरकार जांच कराकर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अग्नि पीड़ित व्यक्तियों को चयन कर आवास की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

22 परिवारों के घर जल गये थे।

जी हाँ। जांच करा ली गयी है। जांच आख्या के अनुसार कुल 22 परिवारों के आवासीय भवन जल गये हैं। उक्त सभी परिवार इन्दिरा आवास पाने के पात्र हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

इस हेतु जुलाई माह में ही प्रथम किश्त की धनराशि निर्गत कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर में गौरिया सम्पर्क मार्ग (अम्बेडकर ग्राम), विकास खण्ड नवाबगंज पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड द्वारा मानक के अनुसार कार्य न कराने तथा अवर अभियन्ता द्वारा दुरुपयोग किये जाने की शिकायत

180-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गौरिया सम्पर्क मार्ग (अम्बेडकर ग्राम) विकास खण्ड नवाबगंज पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं करवाया गया ? क्या सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने भारी पैमाने पर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की टी0ए0सी0 जांच करवाकर दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर में सम्पर्क मार्ग वीरेपुर पर अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

181-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान

सभा क्षेत्र मनकापुर में सम्पर्क मार्ग वीरेपुर पर श्री आर0 पी0 सोनकर, अवर अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा में अपने पत्रांक-368 ग्रा0अ0से0/नि0शि0/97-98, दिनांक 28-4-98 कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा परिमण्डल, फैजाबाद को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी हाँ।

अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा दोषी अभियंता को निन्दात्मक प्रविष्टि दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर में अफजलगढ़ सिंचाई उपखण्ड प्रथम नगीना के सहायक अभियन्ता एवं एक अवर अभियन्ता द्वारा जवाहर रोजगार तथा सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत आवंटित धनराशि में घोर अनियमितता की जांच तथा परिणाम

182-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में अफजलगढ़, सिंचाई उपखण्ड प्रथम, नगीना के सहायक अभियन्ता एवं एक अवर अभियन्ता द्वारा जवाहर रोजगार तथा सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित की गयी धनराशि में घोर अनियमिततायें की गयी हैं ? क्या अधिशासी अभियन्ता, अफजलगढ़ सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद ने अपने पत्रांक 693, दिनांक 12-3-99 द्वारा आरोप-पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम वीरेपुर में निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग में हुई अनियमितता विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

183-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान

सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत ग्राम बीरेपुर में निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग की जांच के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा द्वारा पत्रांक 24/आ0लि0/मा0वि0प0/98, दिनांक 7 अप्रैल, 1998 अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, गोण्डा को भेजा गया था ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मारकण्डेय चन्द्र-

जी हाँ।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-फैजाबाद द्वारा प्रकरण की जांच की गयी। दोषी अवर अभियंता को निन्दात्मक प्रविष्टि तथा सहायक अभियंता को कठोर चेतावनी दी गयी।

जनपद गोण्डा में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1998-99 में परसापुर धनवा सतियां नरायनपुर सम्पर्क मार्ग पर अवर अभियन्ता द्वारा की गई धन की अनियमितता/ दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

184-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में परसापुर धनवा होते हुए सतियां नरायनपुर सम्पर्क मार्ग पर अवर अभियन्ता आर0ई0एस0, गोण्डा द्वारा मजदूरों से कार्य न करवा कर ठेकेदारों से तथा ट्रैक्टरों से कार्य करवाया गया है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि फर्जी मस्टर रोल बनाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार मस्टर रोल में अंकित मजदूरों के नामों का सत्यापन करवाकर दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं। कार्य मजदूरों से मस्टर रोल के आधार पर कराया गया है।

जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

कार्य दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया गया है। अतः जांच की आवश्यकता नही है।

जनपद गोण्डा के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मनकापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

185-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मरीजों को दवायें नहीं दी जाती

हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त चिकित्सालय में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवाकान्त ओझा-

जी नहीं । राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मनकापुर गोण्डा में उपलब्ध औषधियां मरीजों को दी जाती है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नया वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड का दिया जाना

186-श्री अक्षयवर लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में नया वेतनमान लागू होने विषयक वित्त विभाग से शासनादेश जारी होने के बाद भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में अभी तक नया वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में नया वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कर्मियों को नया वेतनमान दिये जाने का प्रकरण वेतन समिति के समक्ष विचाराधीन है । वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही नया वेतनमान लागू किया जाना सम्भव होगा ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

187-श्री अक्षयवर लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के 34 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सहायक अभियन्ता के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद कब तक भर लिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं । सहायक अभियन्ता के 26 पद रिक्त हैं ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कर्मियों हेतु दिनांक 17 मार्च, 94 को जारी मार्ग निर्देश में सहायक अभियन्ता के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के प्राविधान हैं । रिट याचिका सं0-1510/96 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 31.01.97 को पारित किये गये आदेश द्वारा सहायक अभियन्ता के पदों को

प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती से भरे जाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। मा0 न्यायालय के अन्तिम आदेशों के उपरान्त पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ में कसारा पेयजल योजना पर निर्माण के पश्चात् वर्ष 1998-99 तक व्यय धनराशि का वर्षवार विवरण तथा प्रदत्त पेयजल कनेक्शन

188-श्री समर पाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में स्थापित कसारा पेयजल योजना के निर्माण के पश्चात् वित्तीय वर्ष 1998-99 तक प्रतिवर्ष कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गयी है? अब तक इन योजना से कुल कितने व्यक्तिगत लाभार्थियों को पेयजल कनेक्शन दिये गये?

चौ0 नरेन्द्र सिंह-

कसारा पेयजल योजना के निर्माण के पश्चात् वर्ष 98-99 तक व्यय किये गये धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत है। यह धनराशि रखरखाव पर व्यय की गयी है:-

वर्ष	व्यय (लाख रु0 में)
1	2
1983-84	0.000
1984-85	0.363
1985-86	7.191
1986-87	0.150
1987-88	1.340
1988-89	1.160
1989-90	1.083
1990-91	0.000
1991-92	2.008
1992-93	2.021
1993-94	1.458
1994-95	2.234
1995-96	4.534
1996-97	1.563

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2
1997-98	0.986
1998-99	2.891
योग:-	28.982

वर्तमान में कुल 80 निजी संयोजन हैं जिससे व्यक्तिगत लाभार्थियों को पेयजल संयोजन दिये गये हैं।

जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल की इन्दारा रजबहा में शारदा सहायक परियोजना का पानी ले जाने के लिए चौड़ीकरण/रिमाडलिंग

189-श्री समर पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में दोहरीघाट पम्प कैनाल की इन्दारा रजबहा में शारदा सहायक परियोजना का पानी ले जाने के लिए इसका चौड़ीकरण किस वर्ष में कराया गया था ? क्या रिमाडलिंग से पूर्व इन्दारा राजबहा के हेड से टेल की तरफ इसकी सर्विस रोड पर ईंट की सोलिंग लगायी गयी थी ? यदि हां, तो कितने कि0मी0 रिमाडलिंग के पश्चात् सर्विस रोड में लगी ईंटें कहां लगायी गयी हैं ? सरकार पुन: इन्दारा राजबहा की सर्विस रोड पर रिमाडलिंग से पूर्व की लम्बाई में सोलिंग कब तक लगा देंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

नियम 311 की सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री रामजग-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में सूचना दी है। पूरे प्रदेश में किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रात: ही कह दिया था कि नियम-311 की सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है और उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

(विपक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री लालमणि प्रसाद-

मान्यवर, बाहर कुछ लोग आन्दोलनरत हैं .....

श्री अध्यक्ष-

बाहर आन्दोलन का संज्ञान हम नहीं लेते हैं। जब इस प्रक्रिया नियमावली के नियम के अनुसार सूचना दी जायेगी और वह स्वीकार हो जायेगी तब ही कार्यवाही होगी। अब आप लोग कृपया बैठ जायें और आगे का कार्य होने दें।

(व्यवधान)

पहले मद संख्या-13 तक तो आने दीजिये। फिर देखा जायेगा। आज दिनांक 14-7-99 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सन्त कबीर नगर के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है। मैंने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

नियम के अनुसार सूचना आयेगी तो उसका निस्तारण होगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कई जिलों का प्रश्न है। इसे अपवाद स्वरूप ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रतिदिन अपवाद नहीं होता है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने नियम-311 की सूचना को 56 में परिवर्तित कर दिया है। इसे आप चौथी, पांचवी या छठी सूचना के रूप में ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आपको यह मालूम है कि एक सूचना चयनित होती है और शेष सूचनाएं शलाका के आधार पर चयनित होती हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मुझे यह मालूम है कि विषय की गम्भीरता और उसके महत्व को देखते हुए आप एकआध सूचना ले लेते हैं और शलाका के बाहर भी आप सुनते हैं। आपके विवेक को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष-

जिस क्रम में शलाका निकली है उसी क्रम में सूचना लेंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14 जुलाई, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुयी।

(व्यवधान)

ठीक है आप सब लोग एक साथ बोल लीजिए लिखा नहीं जायेगा। माननीय बाबू राम यादव जी यह विषय हो जाने दें।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति होगी, तभी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राहय को छोड़ते हुए निम्न-लिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई।

(श्री राम औतार शाक्य, श्री अम्बरीष कुमार, श्री संजय गर्ग, श्री तेजभान सिंह, श्री हरपाल सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव के नाम पुकारे गये। इनमें श्री हरपाल सिंह की अनुपस्थिति के कारण प्रतीक्षा सूची के श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, जो उपस्थित थे, की सूचना स्वीकार हुई। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

(निम्नलिखित सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गई।)

वर्ष 1999 में हाईस्कूल के अनुत्तीर्ण लगभग 14 लाख छात्रों का पाठयक्रम बदलने से भविष्य अन्धकारमय हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड, इलाहाबाद वर्ष 1999 की हाईस्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण लगभग 14 लाख छात्रों के पाठ्यक्रम बदल जाने से आगामी वर्ष 2000 की अगली हाईस्कूल की परीक्षा में उनके भविष्य अन्धकार में डूब जाने की आशंका उत्पन्न हो जाने की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं स्थिति और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हाईस्कूल में पहले ही सरकार ने पाठ्क्रम बदल दिया गया था और वे सभी छात्र 2000 की परीक्षा में

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नये पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा में बैठेंगे परन्तु विसंगति यह है कि वर्ष 1999 की हाईस्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण उक्त छात्र वर्ष 2000 की परीक्षा में बदले हुये पाठ्यक्रम के चलते कैसे बैठ पायेंगे अर्थात् नये व बदले पाठ्यक्रम के चलते उत्तीर्ण नहीं हो पायेंगे। उक्त विसंगति के चलते लाखों छात्रों में भारी असन्तोष व्याप्त है और वे इस प्रकरण को लेकर आन्दोलित हैं। न्यायोचित तो यही होगा कि पुराने अनुत्तीर्ण छात्रों को वर्ष 2000 की परीक्षा में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर वर्ष 1999 की हाईस्कूल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण लाखों छात्रों को आगामी परीक्षा में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दिये जाने की मांग करता हूं।)

जनपद लखनऊ के चिनहट वार्ड में उत्पन्न पेयजल संकट के हल हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार-

(आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद लखनऊ के अन्तर्गत चिनहट वार्ड में उत्पन्न पेयजल के भीषण संकट के कारण प्राइमरी स्कूल के पीछे हंसराम दीक्षित के मकान के सामने सार्वजनिक स्थल पर एक हंडिया मार्क-II हैण्डपम्प लगाये जाने का आदेश माननीय ग्राम्य विकास राज्य मंत्री जी ने दिनांक 05-5-99 को माननीय सदस्य विधान सभा क्षेत्र महोना के अनुरोध पर किया गया था। तदुपरान्त दिनांक 10-5-99 को मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ने विभागीय अधिकारियों को उक्त स्थल पर हैण्डपाइप लगाने हेतु मानक के अनुसार आदेशित किया था परन्तु इसके बावजूद भी उक्त सार्वजनिक स्थल पर हैण्डपम्प नहीं लगाया गया है जिससे वहां पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति अविश्वास एवं असन्तोष की भावना व्याप्त हो गई है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार उक्त सार्वजनिक स्थल पर हैण्डपाइप लगवाने तथा दोषी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करें।)

जनपद सहारनपुर की मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

(मान्यवर, जनपद सहारनपुर में शासन द्वारा मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिवार हेतु चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने के लिये तीन स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये थे लेकिन मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन परिवारों को इन स्वास्थ्य केन्द्रों से सुविधा नहीं मिल पा रही है। चूंकि यह सरकार मलिन बस्तियों न होकर सरकारी अस्पताल में चलाये जा रहे हैं जिससे कि मलिन बस्तियों के निर्धन परिवार के लोग चिकित्सा सुविधा से वंचित है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से उक्त मलिन बस्तियों में रहने वाले निर्धन परिवार के लोगों को चिकित्सा सुविधा न उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें।)

जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर जामों सब स्टेशन से अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह -

(मान्यवर उपरोक्त जगदीशपुर जामों सब स्टेशन से इस खरीफ की फसल में बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से बन्द है। दिनांक 21-06-99 से इस स्टेशन के किसी भी फीडर में लगातार 2 घण्टें भी सप्लाई नहीं मिली है। दिनांक 1-7-99 से लगातार हफ्तों बिजली पूर्ण रूप से बन्द है।

श्रीमन्, इन सब स्टेशनों के आन्तरिक तथा वाह्य उपकरण जहां जर्जर व पुराने हैं वहीं एक फीडर से तीन चार फीडरों की सप्लाई की जा रही है। मरम्मत के नाम पर जहां फर्जी टी0आई0 खोलकर धन निकाला जाता है वहीं इसे दुरूस्त रखने का कोई उपाय अधिकारी नहीं करते। इन फीडरों की लाइनें पुराने लकड़ी के खम्भों पर है। बरसात में गिरते-गिरते जमीन छू गयी है। आज तक इन्हें बदलने का कोई ठोस प्रयास न करने से स्थिति भयावह है। इन लाइनों को किसान स्वंय ठीककर चला रहे हैं। अधिकारी उदासीन हैं। जहां लाइनों की यह दिशा है वहीं औद्योगिक घरानों को समुचित बिजली देने हेतु ग्रामीण फीडरों को अलग कर औद्योगिक सब-स्टेशन पर फ्रीक्योंन्सी मीटर लगा देने से हर पांच मिनट पर ट्रिप होती है जिससे फ्यूज उड़ते रहते हैं यह एक साजिश के तहत हो रहा है जिससे किसानों की खरीफ की रोपाई न होने से चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हैं। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। दिन में मारे डर के कर्मचारी सब स्टेशन छोड़कर भी जाने से और स्थिति खराब हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा लाइनों, फीडरों को दुरूस्त करने की मांग करता हूं।)

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चित्रकूट में सिंचाई साधनों के अभाव को दूर करने के लिए कतिपय गावों में लिफ्ट नहर योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद-

मान्यवर, जनपद चित्रकूट में सिंचाई साधनों का अभाव है। फलस्वरूप कृषि उत्पादन अत्यन्त न्यून हैं। कोई अन्य उद्योग या उद्यम नहीं है। तीन लाख नौ जवान बेरोजगार हैं। जनपद में उपजाऊ भूमि हैं, परिश्रमी किसान हैं तथा लगभग 100 कि0मी0 तक बहता हुआ यमुना नदी का हजारों क्यूसेक पानी है। इन तीनों का संयोजन करने की कोई योजना नहीं हैं। यमुना नदी का पानी निरउद्देश्य बह जाता है। उपजाऊ भूमि प्यासी रह जाती हैं। परिश्रमी किसान हाथ मलता रह जाता है। यमुना नदी के पानी को उठाकर सिंचाई के उपयोग में लिया जाये तो जनपद चित्रकूट में हरित क्रान्ति आ जायेगी। अतः क्षेत्रीय जनता की मांग है कि ग्राम परदवां, बरहा कोटरा, बरियारीकलां व ग्राम भभेर में एक-एक लिफ्ट नहर योजना को सरकार स्वीकृति प्रदान करे।

अतः अनुरोध है कि लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने का कष्ट करें।

आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जाफरपुर एवं भवरनाथ में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, इस लोक महत्व के विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में विद्युत भार का वितरण सही ढंग से नहीं है जिससे विद्युत भार फीडरों पर ज्यादा हो जाने से विद्युत त्रुटि हो जाया करते हैं फलस्वरूप किसानों को कई-कई दिन विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती हैं जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो जाता है उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो विद्युत उप केन्द्र स्वीकृत हुआ है जिसकी स्वीकृति दो साल पहले हो चुकी थी परन्तु उनमें से जाफरपुर विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण आंशिक रूप से शुरू हो चुका है परन्तु भंवरनाथ विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य दो साल बीत जाने पर भी आरम्भ नहीं हो सका जबकि दोनों विद्युत उपकेन्द्रों की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व एक साथ हुई थी। इन दो विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण में होने वाले विलम्ब से आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लगभग पचास गांव विद्युत समस्या से पीड़ित हैं। जिससे विकास एवं कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है एवं शहर भी विद्युत कटौती से ग्रस्त रहता है।

अतः उक्त लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए संदर्भित विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण में शिथिलता बरतने का कारण सदन के संज्ञान में लाने की मांग करता हूं।)

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा के विकास खण्ड सिढ़पुरा, सहावर पटियाली में जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी-

(मान्यवर, जनपद एटा में सुनिश्चित एटा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 98 में मोहनपुर ड्रेन, खोजपुर ड्रेन, समौठी ड्रेन, मूढ़ाड्रेन, खारपरा ड्रेन रामछितौनी ड्रेन के पुनरूद्धार हेतु जल भराव रोकने हेतु धन आवंटित किया गया था। गत वर्ष भीषण जलभराव के कारण इस क्षेत्र में भीषण महामारी का प्रकोप हुआ जिसमें लगभग 65 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जल भराव को रोकने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, एटा को इस बरसाती नालों की सफाई हेतु धन दिया गया था। इस धन का अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग कर नालों की सफाई नहीं करायी गयी। अपितु नाम मात्र की कहीं-कहीं सफाई कराकर कागजी खानापुरी कर दी गयी। नालों की सफाई न होने से जनता में आक्रोश है तथा महामारी के पुनः इस वर्ष फैलने की आशंका है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए जल भराव को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित औचित्य की जानकारी

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, कल जब सदन हुआ तो जो माननीय सदस्यों ने नियम 311 में अपनी सूचनाएं दी थीं वे सारी की सारी नियम 56 में परिवर्तित हो गई। आज भी नियम 311 की सारी सूचनाएं नियम 56 में परिवर्तित कर दी गई। यह मान्यवर, आपका अधिकार है उस पर हम कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं कि सारे माननीय सदस्यों की सूचनाएं एक साथ परिवर्तित हो गई। मान्यवर, कभी आप हम लोगों का क्लास लेंगे कि नियम 311 में क्या आवश्यकता है। सारे माननीय सदस्यों की सूचनाएं नियमानुसार नहीं थीं परिवर्तित कर दी गई तो बताया नहीं गया। इससे अधिकारों में थोड़ी सी चोट आती है। आपके अलावा और कोई हमें संरक्षण दे नहीं सकता। मान्यवर, सूचनाएं रोज परिवर्तित हों या तो सदस्यों को जानकारी नहीं है तो किस तरह से जानकारी हो या फिर 311 की सूचनाएं 311 में और 56 की सूचनाएं 56 में हों।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं का प्रश्न है वह अध्यक्ष की अनुमति से ही दिया जायेगा। अब मेरे सामने दो विकल्प हैं जिन सूचनाओं पर मैं

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुमति नहीं देता मैं उसे सीधे निरस्त कर दूं लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए यह बात आती है कि उन्होंने कोई विषय उठाया है कोई बात वे कहना चाहते हैं तो उस सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर देता हूं। आपका आभारी हूं कि आपने इस ओर ध्यान दिलाया है। जो भी नियम 311 की सूचना होगी यदि अनुमति नहीं दूंगा तो मैं उसे निरस्त कर दूंगा। यदि अनुमति दूंगा तो फिर नियम के अनुसार आ जायेगी। नियम-56 में परिवर्तित नहीं करूंगा क्योंकि यह केवल विशेष नियम को शिथिल करके कर दिया जाता है कि नियम 311 की सूचना को 56 में परिवर्तित कर देता हूं और वह आ भी जाती है; तो मैं सोच रहा हूं कि नियम 311 की सूचना की अगर अनुमति नहीं दूंगा तो उसको निरस्त कर दूंगा। उसको नियम 56 में परिवर्तित नहीं करूंगा और जो नियम 56 में आयेगी, उनको प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित करूंगा।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, जो सूचना नियम 311 में आयेगी उसको 311 में आप सुनेंगे, यह भी आश्वासन दे दें।

* श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, जो भी इस पीठ पर बैठ कर आप निर्णय देंगे वह हम सभी लोगों को शिरोधार्य होगा। मान्यवर, आज हमारे माननीय सदस्य नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दिये हैं, जिलों को समाप्त करने की बावत और उसमें खासकर सन्त कबीर नगर जिला जो सुश्री मायावती जी के जमाने में जब भाजपा और बसपा की मिली-जुली सरकार थी उस समय सृजित हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया है, वहां पर डी0एम0 और सभी लोगों को हटा लिया गया है उसको लेकर एक साल से पूरा जनमानस आन्दोलित है और विधान सभा का सत्र जब आहूत हुआ और उसकी जानकारी बहुत बड़े पैमाने पर सन्त कबीर नगर के नागरिकों को हुई है तो वह आन्दोलनरत हैं। वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे वह जिस दल के हों, सभी की यह भावना है कि आज उस पर वह अपनी बात कह लें और उस पर सत्ता पक्ष की बात आ जाये कि उनकी क्या मजबूरी है और अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहते हैं। अगर यह नियम 56 में नहीं आया है तो ऐसा कहते हुए कि यह कभी रूलिंग नहीं बनेगी, इसको सुन लें, यह मेरा अनुरोध है।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब से सम्मानित उच्च न्यायालय ने जनपद को समाप्त करने की बात कही है और कहा है कि जनपद का सृजन अगर करना है तो सरकार विधान सभा में विधेयक लेकर आये। लेकिन सरकार उस जनपद के गठन के लिए कोई विधेयक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर नहीं आयी है, कलेक्टर बैठ नहीं रहे हैं, कोई मुकदमा नहीं देखा जा रहा है, उस जनपद के सभी कार्य इस तरह के हो गये हैं कि जैसे जनपद है ही नहीं। जो न्यायिक कार्य होते हैं वह कोई कार्य नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, आप तो उसके गुण-दोष पर बात करने लगे हैं। माननीय वर्मा जी ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मेरा अनुरोध है कि नियम 56 में अगर नहीं आया है तो मैं देख लूंगा और मद संख्या-18 के तुरन्त समाप्त होते ही उसको विशेष उल्लेख के रूप में ले लूंगा, अगर नियम-56 में नहीं आया है।

प्रदेश में नयी जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति में विधान सभा के सदस्यों को केवल स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 14-7-99 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री विनोदमणि और श्री राम ललित चौधरी की है।

* श्री विनोदमणि-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी लोग यहां निर्वाचित होकर आये हैं। जबसे यह नई जिला योजना लागू हुई है, विधायकों के विकास संबंधी योजनाओं को करीब-करीब समाप्त कर दिया गया है। आज स्थिति यह है कि डी0आर0डी0ए0 के अन्तर्गत जे0आर0वाई0, एस0आर0वाई0 में जो विकास कार्य होते थे, वह नहीं हो पा रहे हैं। इस नई जिला योजना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायकों के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है और विधायकों के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। अब विधायकों को इनकी बैठकों में आमन्त्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया है, इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती।

हम यहां जीतकर आये हैं, हमारा अधिकार है, हम कानून बनाते हैं, विधेयक पास करते हैं। आज इस नई जिला योजना के माध्यम से सम्मानित सदस्यों को अपमानित करने का कार्य हो रहा है। हमें पहले टाउन एरिया और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में वोट देने का अधिकार था, आज उसमें भी हमें मतदान से वंचित कर दिया गया है, इस तरह हमारे निर्वाचित होने का मतलब हीं नहीं रह जाता है, हम आपका संरक्षण चाहते हैं, इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिये। ताकि हम विधायकों का अस्तित्व जनपदों में कायम रह सके।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन् यह पूरे विधायकों से जुड़ा प्रश्न है....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर सरकार की ओर से जब पूरी नीति की घोषणा होगी, तब आप अपनी बात कह सकेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप हमारे अभिभावक हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभिभावक होने का यह मतलब नहीं है कि जिसने सूचना नहीं दी है, उसको भी सुन लें।

(श्री पाल के बोलने का प्रयास करने पर)

लिखा नहीं जायेगा, मैंने राम ललित चौधरी जी को बुला लिया है।

श्री राम ललित चौधरी-

श्रीमन्, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिला योजना की बैठक में, डी0आर0डी0ए0 की बैठक में विधायक आमंत्रित सदस्य होंगे, ऐसा होने पर उनकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि वह कोई प्रस्ताव नहीं दे पायेंगे। आज जे0आर0वाई और एस0आर0वाई0 में विधायकों का कोई प्रस्ताव नहीं लिया जा रहा है। उनके अधिकारों को सरकार द्वारा लगातार कट किया जा रहा है। विधायकों के अधिकारों को लगातार कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 50 लाख रुपया विधायकों को दिया गया है, इसमें तो 5 किलोमीटर सड़क भी नहीं बन पायेगी। यह धन तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं विधायकों के अधिकारों की बात कर रहा हूं, उनको अपने अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री- (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सदन में जो विषय उठाया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर दो सूचनायें हैं। जब शासन का पक्ष विस्तार से आ जायेगा, तब आप सभी लोगों को अवसर दे दिया जायेगा कि अपनी-अपनी बात विस्तार से कह लें।

श्री प्रमोद कुमार-

हम लोगों के विचार सुनने के बाद आप सरकार को सुनें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर आपके हस्ताक्षर नहीं है।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है, तरह-तरह की भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं, कहा जा रहा है कि विधायकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है, उनके अधिकारों को लिया जा रहा है। मान्यवर, जो संवैधानिक स्थिति है, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, संविधान में स्पष्ट है, उसमें प्राविधान है, अनुच्छेद 243 या में उपबन्धित है, कि प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिये विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। उक्त अनुच्छेद 2 में राज्य के विधान मण्डल को जिला योजना की संरचना समितियों में स्थान भरे जाने की रीति आदि के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति भी दी गयी है तो मान्यवर, जो कुछ भी होगा वह आपकी अनुमति से होगा। एक भ्रान्ति थी कि सदन को विश्वास में न लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर कानून बनाया जायेगा और इस सदन को इस सम्बन्ध में विश्वास में लिया जायेगा। सदन में इसे 22 और 23 को रखा जायेगा और इस पर चर्चा होगी। संविधान की बंदिश है, वह बंदिश है कि 4/5 सदस्य निर्वाचित होने चाहिये और 1/5 सदस्य मनोनीति होने चाहिये। मान्यवर, विधायकों के अधिकारों के बारे में जिस प्रकार की चिन्ता व्यक्त की जा रही है, जो भ्रान्तियां फैलायी जा रही हैं, मेरा आग्रह है वह न की जायें। विधायकों को बी0डी0सी0 में वोट देने का अधिकार था, और तमाम अधिकार थे, वह नहीं हैं, मेरी सरकार ने उन अधिकारों को वापस लेने का संकल्प लिया है।

श्रीमन्, जिला योजना की जो बात कही है, जो संवैधानिक स्थिति है, उसको देखते हुए विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा, 22 तारीख को प्रस्तुत किया जायेगा और जो कानून बनेगा, उसी के अनुसार कार्यवाही होगी, मेरा आग्रह है आप सभी से निवेदन है कि किसी प्रकार की भ्रान्ति पैदा करने की कोशिश न करें। मैं कहना चाहता हूं कि सारे सदन को विश्वास में लेकर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

एक और सूचना है। उसकी क्रम संख्या बहुत बाद में है, वह इसी विषय पर है। उसको मैं इसी समय लिये ले रहा हूं। यह सूचना श्री लोकपति त्रिपाठी और अन्य कई माननीय सदस्यों की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम-

मान्यवर ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका पत्र मेरे कार्यालय में प्राप्त हो गया है और उसे संसदीय कार्यमंत्री जी को भेज दिया जायेगा और जो कार्यवाही होगी उसे आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं, अध्यादेश मेरे पास है।

(श्री लोकपति त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश हुआ है उसकी प्रतिलिपि मैं आपके पास भिजवाये दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री कहते हैं कि अध्यादेश जारी नहीं हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने जानकारी दी थी कि हमने सारे के सारे विकेन्द्रीकरण का प्रारूप, जिला नियोजन कमेटी का प्रारूप, पंचायतों का प्रारूप तैयार किया है। एक अध्यादेश आने वाला था लेकिन उसको रोक दिया है और उसकी जगह पर विधेयक को विधान मण्डल में प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं। इसलिये अब इसका मतलब नहीं रह जाता है जिस पर चर्चा कर रहे हैं।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक बयान सरकार की तरफ से यह कहते हैं कि अध्यादेश जारी नहीं हुआ है, दूसरी तरफ हमें एक अध्यादेश मिला है। यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश, 1999 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन्, 1999) है। यह हमें मिला है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमनें एक विस्तृत सारी की सारी कार्ययोजना बनायी है जिसमें जिला योजना का क्या स्वरूप होगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या समन्वय होगा ? कैसे गठन होगा ? यह एक अध्यादेश अलग निकाला था, उसको लेकर 22 तारीख को मैं सदन के सामने आ रहा हूं । उसमें सारा स्वरूप सामने आ जायेगा और उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जो अध्यादेश जारी हुआ है पहले मैं उसको पढ़ दूं । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अन्तर्गत दिनांक 19 मई, 1999 को प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 19 मई, 1999 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 खंड (क) में प्रकाशित हुआ । मान्यवर, मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं । यह अध्यादेश जारी हुआ है । अगर इसको सरकार वापस लेती है और 22 तारीख को विस्तृत चर्चा कराती है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी । मैं जानता हूं कि इससे गलत अध्यादेश और कोई नहीं हो सकता, सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं है कि इसको वापस लेकर चर्चा कराये, । इसीलिये 22 और 23 को सदन बैठ रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पर टिप्पणी लिखी हुयी है, वह देख लें । उसको मैंने आपके पास भेज दिया है । हरी स्याही से लिखी हुयी टिप्पणी देख लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लिया जाये । हम विधायकगण यहां पर विधान सभा में निर्वाचित होकर आते हैं तो अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के साथ-साथ क्षेत्र की जनता जब हमें निर्वाचित करके भेजती है तो हमसे प्रगति की भी आशा करती है और सच्चाई यह है कि आज क्षेत्र की प्रगति की जवाबदेही किसी के ऊपर होती है तो वह विधायक पर होती है । उत्तर प्रदेश सरकार भारत के संविधान के 73वें संशोधन की आड़ में जो कर रही है उस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उसकी गलत व्याख्या की जा रही है और विधायक का इससे ज्यादा अपमान नहीं हो सकता कि उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जा रहा है । जो कमेटी जिला योजना और विकास के लिये सीधे जिम्मेदार है उसमें विधान सभा सदस्य की हैसियत एक आमंत्रित सदस्य की होगी । विधायक की हैसियत जब मात्र आमंत्रित की होगी तो वह न हैंड पम्प के लिये कह सकता है, न सड़क के लिये कह सकता है, न जिले के विकास के सन्दर्भ में, विधायकों की हैसियत कुल मिलाकर इतना रह जायेगी कि वह मूकदर्शक के रूप में रहेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे । अगर सरकार चाहती तो उन्हें सदस्य के रूप में रख सकती थी । मान्यवर, यह कह दिया गया कि किसी को वोटिंग का राईट नहीं रहेगा । विधायक सभी हैं चाहे मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों या सर्वोच्च आसन पर बैठक हुये आप हों । यदि पेयजल की समस्या, शिक्षा की समस्या होती है, सड़कें बनती हैं तो विधायक से पूछा जाता है यदि बाढ़ आती है तो विधायक की जवाबदेही होती है । यह सरकार हमें कोई अलग से अधिकार नहीं दे रही है, जो मिले हुये हैं उनमें भी कटौती की जा रही है ।

अब तो यह स्थिति हो जायेगी कि जिला पंचायत की अध्यक्षता में हम बैठेगें और हमें अधिकार होगा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, अपनी राय तो हम रख सकते हैं लेकिन अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं सकते। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह मात्र विपक्ष की समस्या नहीं है, यह विपक्ष और सत्तापक्ष के हर विधायक की समस्या है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं यह सिर्फ विधायकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रश्न नहीं है, विकास का भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, आप यह बतायें कि यह नियम 300 में कैसे आती है?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं ला सकते। मान्यवर, एक अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जाता है, वह कार्यवाही का हिस्सा बनता है और उसके बाद माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से उसके विपरीत बयान दिया है जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित होती है। इससे ज्यादा ज्वलंत बात नियम 300 में नहीं हो सकती। यह विधायकों के जहां अधिकार से जुड़ा हुआ है, सदन की कार्यवाही भी इससे विनियमित होती है। मैं समझता हूं कि यह हर दृष्टि से उचित है। मैं चाहूंगा कि सदस्यों की भावनाओं को समझते हुये विरोध पक्ष-सत्ता पक्ष के सदस्यों की भावनाओं को समझते हुये अध्यादेश को वापस लें। सरकार अपनी नासमझी के कारण गलत व्याख्या कर रही है, रिप्रजेन्टेशन की व्याख्या कर देंगे उसी दिन इस सरकार को अपने अध्यादेश को वापस लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम के अन्दर सीमित रहें तो अच्छा रहेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चूंकि सदन की कार्यवाही विनियमित होती है, अध्यादेश आया है जिससे विधायकों का अधिकार सीमित होता है। यह विधायकों के अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें यह बात आयी थी यह कार्यवाही में है उसके विपरीत आचरण किया जा रहा है। यह विधायकों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। हम इसका विरोध पूरी ताकत से करेंगे। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो विधान सभा का अधिकार सीमित हो जायेगा। इसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर विधायकों के लिए कदम उठाना पड़ेगा नहीं तो आगे आने वाली विधान सभा में विधायकों का कोई अधिकार नहीं रह जायेगा। मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न को आप स्वीकार कर लें और इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

सुबाष चन्द्र जी, आपकी दो सूचनाएं हैं आप किस सूचना पर बोलेंगे।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मैं इसी सूचना पर बोलूंगा।

श्री भरत सिंह-

अध्यक्ष जी, यह विधायकों के अधिकारों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

आपके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं है। आपको बोलने की अनुमति नहीं है। यह सामान्य चर्चा नहीं है।

श्री भरत सिंह-

(* * *)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। मैंने बोलने की अनुमति नहीं दी।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 19 मई, 1999 को उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अध्यादेश संख्या 9 सन् 1999 प्रख्यापित किया मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यह अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय के पास पहुंचने से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल से जरूर पारित किया गया होगा। और पारित करने के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भेजा होगा। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस अध्यादेश से अलग हटकर बात सदन में कहीं। इस अध्यादेश के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो गई जिस व्यवस्था के चलते विधान सभा के सदस्य अधिकार विहीन हो गये।

श्री अध्यक्ष-

कृपया ग्राह्यता पर बोंले।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत दिनों अपने प्रथम सत्र में इस वित्तीय वर्ष का बजट पारित करते समय उसने बजट में यह प्राविधान

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किया था कि विकास क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें विधायकों की सहभागिता होगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में यह प्राविधान किया, दूसरी तरफ तीन महीने बाद ही 19 मई को उत्तर प्रदेश सरकार महामहिम राज्य से एक अध्यादेश प्राख्यापित कराकर सदन द्वारा पारित प्राविधानों के विपरीत आचरण कर रही है। जहां सुनिश्चित रोजगार योजना में विधायकों की सहभागिता थी लेकिन अध्यादेश के चलते वह सहभागिता समाप्त हो गई। एस0आर0वाई की पूरी धनराशि क्षेत्र पंचायत और गांव पंचायत को इस अध्यादेश के जरिये चली जायेगी। जवाहर रोजगार योजना की धनराशि में 100 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को इस अध्यादेश के जरिये जा रही है। 10 लाख कूप योजना में विधायकों की सहमति से कार्य होता था लेकिन इस अध्यादेश के चलते 10 लाख कूप योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों को दी जोयगी। यह औचित्य का प्रश्न बनता है क्योंकि इसी सरकार ने बजट सत्र में विधायकों को अधिकार सम्पन्न किया एवं इस अध्यादेश को बाद में लाकर विधायकों को अधिकार विहीन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आचरण सदन का अपमान है सदन में जिन्होंने यह संकल्प लिया था जब बजट पारित कराया था उसके विपरीत यह आचरण है। औचित्य के इस प्रश्न पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं क्योंकि सम्पूर्ण विधायकों के अस्तित्व के सामने संकट खड़ा हो गया है। यह सकंट उत्तर प्रदेश सरकार ने खड़ा किया है।

* श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, इस औचित्य के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने के लिए कृपापूर्ण अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आप सदन की भावनाओं और इस औचित्य के प्रश्न पर ग्राह्यता से सहमत हों तो सरकार को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया गया हैं। परन्तु मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं इस अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक जनपद में शासनादेश भेजे जा चुके हैं। विधान सभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हुये जिन्हें सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत जो प्रस्ताव होते थे उन प्रस्तावों को जिला योजना की बैठक में माननीय सदस्यों के द्वारा दिये गये प्रस्तावों के द्वारा ही किया जाता था। परन्तु इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में उन अधिकारों से माननीय सदस्यों को वंचित कर दिया गया है। हो सकता है कुछ माननीय सदस्यों के दबाव में आकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 22/23 जुलाई, 1999 के उपवेशन में विधेयक लाने की बात कही है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक उसी ने तैयार किया होगा, जिसने अध्यादेश तैयार किया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल की बैठक को बुला करके इस विधेयक को तैयार किया गया है उनकी सहमति से हुआ है तो हम सब भी सहमत हो जायेंगे। माननीय सदस्यों को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। अगर विधेयक को लाने की आपकी मंशा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ठीक है और माननीय सदस्यों के अधिकारों में आप कोई कटौती नहीं करने जा रहे हैं तो 22 तारीख तक आप एक समिति बनवा लें माननीय मुख्यमंत्री जी या संसदीय कार्यमंत्री जी स्वयं उसके अध्यक्ष बन जायें और सभी दलों के सम्मानित नेताओं/सदस्यों को उसमें बुला लिया जाय तो इसमें सम्यक् रूप से विचार हो जायेगा। माननीय सदस्यों को अगर आज उन समितियों में आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा तो स्थिति काफी हास्यास्पद हो जायेगी। डी0आर0डी0ए0 में माननीय सदस्य होते थे तो जिलाधिकारी की जवाबदेही रहती थी और कभी-कभी तो किसी जनहित के मामले पर एक मत हो जाया करता था तो कलेक्टर और सी0डी0ओ0 को बात माननी पड़ती थी परन्तु आज तो विधायक अल्पमत में आ जायेगा। आपने कहा है कि 20-40 सदस्य होंगे उसमें भी आप 1/5 नामित करने जा रहे हैं, इसका साफ तात्पर्य यह है कि विधायक केवल एक आरनामेंटल हो कर रह जायेगा। जबकि वह संसदीय प्रणाली में इस सर्वोच्च सदन में निर्वाचित होकर आता है। आज आप इस अध्यादेश के द्वारा न केवल विधायकों को अधिकारों से वंचित करने जा रहे हैं बल्कि माननीय सदस्य को अधिकार विहीन भी कर रहे हैं। अब मंत्रिमण्डल ने तो विधेयक का रूप तैयार नहीं किया होगा वह तो तैयार हो कर आया होगा। सम्मानित मंत्रियों के विचार तक इसमें नहीं आये होंगे। जनप्रतिनिधि को हमेशा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है और माननीय अध्यक्ष जी आपने भी अपनी विधानसभा में दस लाख कूप तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव दिये होंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

सुनिश्चित रोजगार योजना का काम होता था सबमें से विधायकों के अधिकार ले लिये गये हैं। यह अध्यादेश का परिचालन कब किया गया। आश्चर्य यह है कि अध्यादेश के द्वारा न कानून बना है और न ही विभागों को परिचालित हुआ है। इस तरह से प्रशासनिक आदेशों से सदन के सदस्यों के अधिकारों की कटौती होती है तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है। आज यह अध्यादेश कानून का स्वरूप नहीं है क्योंकि सरकार ने इसको टेबुल नहीं किया है और फिर से वापस ले लिया तो जो माननीय सदस्यों के अधिकार थे वो यथावत् बने रहेंगे।

इस तरह से अध्यादेश के बाद भी जनपदों में शासनादेश जारी हो चुका है कि माननीय सदस्यों की भूमिका उसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेगी उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोई अधिकारों में कटौती नहीं हुई है हम बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, यहां से आप एनेक्सी चले जायं किसी को भेज दें वहां पर मुख्यमंत्री जी का एक होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि 11 विभागों के कर्मचारियों को ग्राम सभा का ....

श्री अध्यक्ष-

जब यह विकेन्द्रीकरण योजना सदन के समक्ष आयेगी तब आप क्या बोलेंगे? अभी तो मैंने ग्राह्यता के लिये अनुरोध किया था।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, इससे ज्यादा महत्व और नहीं हो सकता है विधायकों के अधिकारों की बात है।

* श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी कहा कि 22-23 तारीख को इस बारे में चर्चा होगी। तो मान्यवर, इससे जाहिर है कि इस सरकार की नीयत क्या है? यह तो तिथि तय की गई है वह कल ही की गई है। इससे पहले यह कार्यसूची में नहीं था। यह तो कल बाद में दिमाग में आया है। 19 तारीख का अध्यादेश लाये हैं जो चल रहा है जिससे विधायक अपंग हो गया है। जब आप सत्र में बजट पेश करेंगे तब तो कहेंगे कि विधायकों को बहुत कुछ दे रहे हैं उसके बाद जब थोड़े दिन बीत जायेंगे तब कुछ और कहते हैं। पहले आपने विधायकों को कुछ दिया बाद में 19 तारीख को उन्हें बिल्कुल बेकार कर दिया।

एस0आर0वाई0 जे0आर0वाई0 में जी0ओ0 भेज दिया उसके अन्दर विधायकों को कुछ भी लेना देना नहीं होगा। उनके अधिकारों को खत्म कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्दर उनका कोई औचित्य हीं नहीं रह जायेगा। वे केवल स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बैठेंगे न उनको वोटिंग राइट होगा। डी0एम0 उनके कहने से कोई काम न करे तो यह तो साफ जाहिर है कि आप इस सदन का गला कटवाने जा रहे हैं। सारे के सारे विधायक चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हो यह पास करेंगे। हम अपना गला खुद ही काटने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 22-23 को इस पर बहस करेंगे यह तो आपके दिमाग में बाद में आया। मेरा कहना है कि इससे तो विधायक बेकार हो जायेगा। बेकार होकर प्रधान, प्रमुख जिला सदस्य पंचायत के पास जाकर कहेगा कि हमको खड़ंजा दे दो। हमको नाली दे दो, हमको ईंटा दे दो। विधायक का क्या औचित्य रह जायेगा? इस पर पूरा सदन चाहता है कि चर्चा हो आप सदन का सारा काम रोककर इस पर चर्चा करायें यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री रामजग का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रामजग-

मान्यवर, इस पर सभी विचार आ गये हैं। मुझको अब क्या कहना है?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण के संबंध में हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो अध्यादेश प्रस्तुत किया है वह उसकी भावनाओं के बिल्कुल विपरीत किया है। विकेन्द्रीकरण हो सकता था पंचायती राज के अन्तर्गत उनको अधिकार प्राप्त हों, मान्यवर, यह उनका मूल उददेश्य था। जो अध्यादेश आया है विधान सभा के सम्मानित सदस्य, लोकसभा के सम्मानित सदस्य, विधान परिषद् राज्य सभा के सम्मानित सदस्य इनके भी इसमें सुझाव लिये जा रहे हैं। विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य मुख्यत:

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ से सत्ता लेना, और चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता देना, तब यह शासन को जानकारी थी कि 12 जुलाई से यह सदन बैठ रहा है ? अध्यादेश की क्या आवश्यकता होगी ? यह मात्र सदन को गुमराह करने के लिए मात्र सदस्यों के अधिकारी सीमित करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है कि शासन में बैठे लोग इसी सदन के सदस्य हैं हमारा आपसे अनुरोध है कि इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है आपके विचारों की आवश्यकता है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमारी प्रार्थना सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

अलग विषय पर बोलना चाहते हैं, तो बाद में कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी-

{* * *}

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

{* * *}

श्री अध्यक्ष-

लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी-

{* * *}

श्री अध्यक्ष-

मैंने अनुमति नहीं दी है ।

नोट :- { * * * } यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी-

(* * *)

श्री रामनरेश यादव-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं सचमुच वे चाहे सत्तापक्ष के लोग हों चाहे इस पक्ष के बैठे लोग हों सब लोग बराबर आपके माध्यम से इस सदन में अपने अधिकारों के बारे में सजग रहकर निवेदन करते रहे हैं और आपसे अपील करते रहे हैं। हमारे अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जहां तक विकेन्द्रीयकरण का सवाल है इस सदन में सबकी राय है विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए सत्ता का विकेन्द्रीयकरण लेकिन जो अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त है उनकी कटौती अध्यादेश के जरिए करना चाहते हैं। आप इस सदन में उस पीठ पर बैठकर हमारे हितों के संरक्षक हैं और उस दिशा में विचार करके क़दम उठाया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा चूंकि उधर के भी सदस्यों की भावनाएं यही हैं, इसलिए सारे सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर आप व्यवस्था दें ताकि सम्मानित सदस्यों के अधिकारो पर किसी प्रकार की कटौती न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश में नयी जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति में विधान सभा के सदस्यों को स्थानीय आमंत्रित सदस्य के रूप में रखे जाने के संबंध में आज नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचना प्राप्त हुई है उस पर सर्वश्री विनोदमणि, राम ललित चौधरी, जगदम्बिका पाल, प्रमोद कुमार, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, कौकब हमीद, लोकपति त्रिपाठी तथा राम नरेश यादव जी के ग्राह्यता के सम्बन्ध में विचार आयें।

माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता के संबंध में अपने विचार प्रकट करते समय गुण-दोष पर विचार किया। मैं इस समय नियम-300 तक सीमित हूं और मेरी दृष्टि से यह नियम-300 उप-नियम (1) तथा (2) में नहीं आती इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं। परन्तु जो गुण दोष पर विचार रखा है शासन इसका संज्ञान लेगा और माननीय सदस्यों के विचारों का समादर करते हुए समाधान करने का प्रयास करेगा। परन्तु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस सूचना पर श्री विनोद मणि, श्री राम ललित चौधरी ने अपने विचार रखे। माननीय प्रमोद कुमार जी ने कहा कि उन्होंने भी सूचना दी है। दूसरी सूचना इसमें श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री लोकपति त्रिपाठी तथा श्री राम नरेश यादव जी के हस्ताक्षर थे। इस पर मेरे कार्यालय ने सूचित किया था कि इसमें माननीय सदस्यगण ने कल लिये जाने का अनुरोध किया है इसलिए इसे सूचना से हटा दिया जाय। श्री तिवारी ने कहा कि उनकी सूचना पर हस्ताक्षर है तो मैंने यह कहा कि आज आपकी सूचना नहीं है। मैंने इस संबंध में

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विशेष सचिव श्री आर0पी0 पाण्डेय से यह पूछा कि उन्हें यह सूचना किसने दी थी कि यह सूचना कल ली जाय। विशेष सचिव ने बताया कि माननीय श्री प्रमोद कुमार एवं श्री सुबाष चन्द्र ने उन्हें यह सूचना दी थी। आज वे कह रहे हैं कि उनकी सूचना है तो यह दुखद बात है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न की जाय। मैं विधान सभा सचिवालय को निर्देश देता हूं कि जब कोई ऐसे प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध करेगा तो वह लिखित रूप में होगा। यदि आवश्यकता पड़े तो उनके हस्ताक्षर भी प्रमाणित करें क्योंकि पूर्व में इस प्रकार की फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं। अतः इस बात की पुनरावृत्ति न हो और सदन की कार्यवाही को हल्के ढंग से न लिया जाय। इसलिए मैं विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बन जायेगा। मैंने अपने अधिकारियों से पूछ लिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

आप नियम-300 देख लें। उसमें कोई बात नहीं है कि एक सूचना दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने जिस बात का संज्ञान लिया है उसे आप देख लें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने कहा है कि सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने विशेष सचिव से व्यक्तिगत रूप से पूछ लिया है और उन्होंने कहा है कि आपने इसे कल लेने के लिए कहा है।

श्री प्रमोद कुमार-

आप किसी सदस्य के कथन को विशेष सचिव के कथन से गलत साबित नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकता हूं। सदन को हल्के ढंग से लेने की किसी को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, नियम 300 में सूचनाओं की संख्या के संबंध में कहां प्रतिबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष-

मैं कहां कह रहा हूं कि प्रतिबन्ध है। मैंने तो अपने कार्यालय को कार्यवाही के सन्दर्भ में निर्देश दिया है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि एक से दो सूचनायें भी हो सकती हैं और एक मद से दूसरी मद के ऊपर लिखित देने की आवश्यकता नहीं होती है और आपकी अनुमति से मौखिक रूप से भी सूचना को उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

उसकी कोई बात नहीं है। आपने विशेष सचिव से यह अनुरोध किया था कि सूचना न ली जाये। हमने जो अपने सचिवालय को निर्देश दिया है उसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस पर ग्राह्यता पर सुनने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता की बात अलग है। मैंने जो बात कही है वह दूसरी बात है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपके सचिवालय के लोग क्या कर रहे हैं हम विधान सभा के सदस्य बैठकर क्या काम कर रहे हैं यह आपके सामने है (* * *)

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा कि विशेषाधिकार समिति को संदर्भित कर सकता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, किसी एक या दो सदस्यों या चार सदस्यों के कहने से सदन नहीं चलेगा, नियमानुसार चलेगा और आपके निर्देशानुसार चलेगा। (* * *)

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह तो कहने वाले की बात है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनको खड़े होकर खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल-

(* * *)

श्री अध्यक्ष-

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव को उनकी सूचना पर बुला लिया है।

संसद की भांति उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल में स्थायी समितियां गठित किये जाने हेतु दिनांक 12 मार्च, 1999 को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, इस वर्ष के प्रथम सत्र में संसद की तरह विधान मण्डलों में बजट समिति को लागू करने के खातिर आपने विधान सभा की एक अध्ययन समिति बनाई थी उसके सभापति माननीय श्री रामनरेश यादव जी ने अपना प्रतिवेदन इस वर्ष के प्रथम सत्र में 12 मार्च, 1999 को इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया था उस समय आपने प्रदेश सरकार को इस बात के निर्देश दिये था कि यह सत्र उठने के पहले ही सरकार इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही करे और सदन को अवगत कराये। मान्यवर, प्रथम सत्र उठने की बात दूर रही, इस वर्ष का द्वितीय सत्र शुरू हो चुका है किन्तु अभी तक सरकार अध्यक्ष पीठ के निर्देश के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं की और प्रतिवेदन को लागू करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से भी इस सरकार की नीयत क्या है उससे भी सदन को अवगत नहीं कराया गया है। यह अध्यक्ष पीठ के निर्देश की खुली अवहेलना है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद जी आपके भी इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं, बोलना चाहेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार समिति की धमकी नहीं सुनना चाहता हूं।

(* * *)

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

बहुत ठीक है, जो अन्त में माननीय प्रमोद जी ने कहा है उसे काट दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

* * *

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, सीमा के अन्दर रहिये। यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

राम तेज यादव एडवोकेट जी आप स्थान ग्रहण करें मैंने माननीय राम नरेश जी को अनुमति दी है।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपने इस पीठ से व्यवस्था दी थी और उस व्यवस्था के आधार पर एक समिति का गठन भी किया गया था। इस समिति ने बहुत अध्ययन करने के पश्चात् अपना प्रत्यावेदन भी सदन में प्रस्तुत किया। आपने व्यवस्था दी थी कि इसे सरकार के पास भेज दिया जा रहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं आपने एक समिति जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी लोग सम्मिलित थे, सबकी भावनाओं का आदर करते हुए उसका गठन किया और उसने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। वह प्रत्यावेदन सरकार के पास भेजा गया और उसमें यह भी था कि पिछले सत्र में ही उस पर विचार भी होगा लेकिन सचमुच में लगता है कि यह सरकार सदन की भावनाओं का सम्मान नहीं करना चाहती वह इसलिए कि सचमुच में सरकार ने यह सोचा होता तो निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय लेकर सदन को अवगत कराने का काम किया जाता लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके उस निर्देश के बावजूद भी आज तक सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि आप जिस पीठ पर बैठे हैं उसकी गरिमा है, इस सदन की गरिमा है और सारे सम्मानित सदस्यों की जो भावना है उसके अनुरूप सरकार को आप निर्देशित करें कि आपके निर्देशों का पालन करे और जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को लागू करें ताकि लोकसभा और राज्य सभा में जो कमेटिया कार्य कर रही हैं उसी तरह से यह करें, मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, काफी दिन हो गये इसको भेजे हुए।

नोट :- * * * यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उस रिपोर्ट के दूरगामी परिणाम हैं उसका परीक्षण कराना जरूरी है। इस देश की और भी विधान सभाएं हैं सब को देखने की बात है कि कितनी कारगर आपकी कमेटी है क्या इसका प्रभाव होगा, इतने हल्के-फुल्के ढंग से लेने की बात नहीं है कि रिपोर्ट आई और उसको लागू कर दें। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शासन के काम करने के तरीके पर शासन की अपनी भूमिका पर सारे बजट प्रस्ताव पर एक दूरगामी प्रभाव इसमें परिलक्षित होता है जो रिपोर्ट आई है उसका पूरा परीक्षण करने के बाद वह आपके सम्मुख आयेगी तब इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, लोकसभा के अनुसरण पर एक समिति बनाई गई थी जो विधान सभा दूसरी विधान सभाओं के लिए मानदंड बनती थी, दिशा निर्देश का काम करती थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो उड़ीसा बिहार आदि का अनुकरण करना चाहते हैं।

श्रीमन् मैं समझता हूं कि पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में लोकसभा में बजटरी सिस्टम की बात लागू हो चुकी है और उसका अध्ययन करके समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। पिछला सत्रावसान हो गया और दूसरा सत्र आ गया, यह भी दो दिन बाद समाप्त हो जायेगा और सरकार इसे बहुत हल्के ढंग से ले रही है। यह आपकी पीठ से दिये गये निर्देश की अवहेलना है, इसलिये मैं समझता हूं कि बजट के सुचारू रूप से व्यवस्थित खर्च तथा नियमित समीक्षा के लिये ही समिति बनाने की बात हुई थी और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत थे, अब इसकी रिपोर्ट भी आ गई और सदन में पेश भी हो गई, आपने सरकार को निर्देश भी कर दिया, अब जब इसको माननीय सदस्य दुबारा उठा रहे हैं, तो यह जवाब आ रहा है। अगर कोई कठिनाई थी तो उसकी सूचना पहले दी जाती। मैं यही चाहता हूं कि आपकी पीठ से दिये गये निर्देश का सरकार अनुपालन सुनिश्चित करें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

जिस चीज का उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मंत्री कर रहे हैं, जिस समय यह मामला उठा था, उस समय पूरा सदन एकमत था कि इस तरह की कमेटी बनाई जाय। आज संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि अभी इसका परीक्षण कराना है।

मान्यवर, विभिन्न विधान सभाओं में, जहां बजटरी सिस्टम लागू है, उससे क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, पार्लियामेंट में इसका क्या अनुभव रहा, इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिये ही माननीय सदन की आम धारणा थी कि ऐसी

समिति गठित की जाये, इस पर आपने एक कमेटी बनाई थी और पूरे सदन की भावना को ध्यान में रखकर गठित की गयी थी, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी थे और माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसके अध्यक्ष थे, बाद में सरकारी कामों में व्यस्त होने के नाते उन्होंने अनुरोध किया और तब राम नरेश यादव जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब सरकार करना चाहती है तो वह बात आ जाये, नहीं करना चाहती है तो वह बात भी आ जाय कि हम इस वजह से नहीं करना चाहते हैं। जिस समय इसकी रिपोर्ट आई थी, उस समय भी यह सवाल उठा था, तब आपने सरकार को निर्देशित किया था कि सत्र उठने के समय तक सरकार इसका परीक्षण करा लें।

मान्यवर, जैसी की परिपाटी है अध्यक्ष पीठ से सरकार के लिये दिया गया निर्देश आदेश हुआ करता है और आपकी तरफ से स्पष्ट निर्देश थे, आपकी इच्छा जाहिर करना ही सरकार के लिये आदेश होना चाहिये था, अब जब दूसरा सत्र भी आ गया, अभी संसदीय कार्य मंत्री परीक्षण कराने की बात कह रहे हैं, इन्हें यदि परीक्षण कराना है तो मंत्रिपरिषद् की कोई समिति बनायें लेकिन फिर जो कमेटी बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका क्या औचित्य रहा। उसकी रिपोर्ट का क्या मतलब रहा? अगर करना है तो सकारात्मक बात आनी चाहिये, सरकार नहीं चाहती है तो वह बात आ जावे। मान्यवर, आप स्वयं पार्लियामेंट में रहे हैं, जिस समय जाखड़ जी और शिवराज पाटिल जी से बातचीत हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि इसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ था।

मान्यवर, बजट पर डिसकशन नहीं हो पा रहा है, दलगत भावनाओं से ग्रसित होकर बात की जा रही है। इस पद्धति की काफी तारीफ की गयी है। जो बातें हुई थीं, उनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ही पहल पर यह मामला यहां तक पहुंचा है। मैं चाहता हूं मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार का आशय स्पष्ट कर दें, अगर चाहते हैं तो इसको लागू कर दें और नहीं चाहते हैं तो नहीं कर दें, यहीं से मामला समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, अगर दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट के अनुसार ही इस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा, कार्यवाही की जायेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

श्रीमन् जैसा माननीय नेताओं ने कहा है यह कमेटी आपने बनायी थी और इसको बने हुये काफी समय हो गया है। उसकी रिपोर्ट को आये हुये 4-5 महीने बीत गये हैं। पिछले सत्र में निर्देश दिया गया था कि मंत्रि परिषद् इस पर विचार करके इस को सदन में लाया जाये और कमेटियां बनायी जायें। मुझे आश्चर्य हुआ जो संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पहले इसके पक्षधर थे और बीच में पता नहीं क्या हो गया, वह इसके विरोध में हो गये। यह कमेटी बहुत जरूरी है और इसलिये जरूरी है कि यह प्रक्रिया लोक सभा में चल रही है और अच्छी तरह से चल

रही है और उन्होंने नयी बात कह दी और उड़ीसा और राजस्थान और न जाने कहां-कहां पर अध्ययन कराने की बात कह दी। लोक सभा की परिपाटी से और कहीं की परिपाटी अच्छी नहीं हो सकती है। इससे एक दिक्कत दिखायी पड़ती है, लोक सभा में इस कमेटी के बनने से दिनों की संख्या कम हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र में अगर आप याद करें, तो आंकड़ों के बारे में गड़बड़ी हो गयी थी, अगर यह कमेटी होती तो यह दिक्कत सामने न आती, और इस प्रकार की गलतियां न होती। आप सहमत होगें कि इस विधान सभा में एक-एक दिन में 8-8 और 10-10 बजट पास कराये गये हैं। इस कमेटी का मकसद यही है कि हर मद पर विस्तार से चर्चा हो जाये। मैं नहीं समझता हूं कि इससे सरकार के अधिकार पर कोई अतिक्रमण हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि यह हित में है। एक कमेटी रिपोर्ट आयी है, उसको न मान कर फिर कह रहे हैं कि अध्ययन करा लिया जायेगा। आप साफ-साफ न कह कर घुमा फिरा कर कह रहे हैं। आप इसको एक प्रयोग के तौर पर देख लें अगर सफल हो जाता है, तो लागू करें और सफल नहीं होता है तो समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि आप अपने कक्ष में एक मीटिंग बुला लें और इस पर विस्तार से विचार हो जाये। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण ज्ञात है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। लोक सभा की तुलना करने की होड़ लगी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि संसद के सामने दूसरी प्राथमिकतायें होती हैं और यहां पर प्रदेश में दूसरी प्राथमिकतायें हैं। यहां पर माननीय सदस्य बजट पर ही नहीं बोलना चाहते हैं, वह अपने क्षेत्र के विकास की भी बातें करते हैं जितने दिन सदन यहां पर चलता है, कार्य स्थगन के प्रस्ताव लाये जाते हैं, उनके माध्यम से सदस्यगण अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर लाते हैं, प्रश्न काल के माध्यम से तमाम बातों की जानकारी करते हैं, औचित्य के प्रश्नों के माध्यम से अपनी-अपनी समस्याओं का जिक्र करते हैं वहां कमेटी बनाने के बाद सिटिंग कम हो गयी है, लोक सभा की आधी सिटिंग हो गयी है। वहां पर उनको अपने क्षेत्र की बातें कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, जितनी आवश्यकता यहां पर होती हैं।

हम लोग अपने क्षेत्र से सीधे जुड़े हुये हैं। हम अपने क्षेत्र में जाकर मतदाताओं से कहते हैं कि तुम्हारी बात को सदन में उठाया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। अगर यह कमेटियां बना दी जायेगी तो सदन के बैठने की आवश्यकता नहीं होगी और जो लोक महत्व के प्रश्न यहां पर उठाये जाते हैं, उनसे सारे लोग वंचित रह जायेगें। मैं इस बात से सहमत हूं कि आप अपने कक्ष में बैठक बुला लें और विस्तार से चर्चा हो जानी चाहिये और भी स्थान हैं जहां पर संसदीय परम्परायें चल रही हैं, वहां पर बजटरी कमेटियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया है। वहां सदस्यों की मांग है कि

विधान सभा में अपनी बात उठा लेते थे और अपने क्षेत्र की बात कह लेते थे। इस सदन में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, अल्पसूचित प्रश्न आते हैं, अगर सूचना नहीं होगी तो क्या होगा। इस सदन को केवल 10-12 सदस्यों में सीमित न कर दें, यही मेरा अनुरोध है। सरकार को तो और फायदा है, सिटिंग नहीं होगी और न मौर्या जी का भाषण होगा, जो रिपोर्ट आयेगी, उसे पास कर दिया जायेगा। जो विधान मंडल का प्रभाव है, उसमें कमी आयेगी। यही मेरा आग्रह है। आप मीटिंग बुला लें, विचार हो जायेगा, फिर देखा जायेगा।

श्री राम नरेश यादव-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां तक विधायकों का सवाल है, वह अपनी बात को विधान सभा में कह सकेंगे और अपने क्षेत्र की बात को भी कह सकेंगे, कहीं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिये आप सरकार को निर्देशित करें कि वह सदन को सूचित करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यर, माननीय सदस्य बहुत मर्माहत हैं। उसमें बहुत सी चीजें कार्यवाही का भाग नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं हैं। मैं तिवारी जी से परामर्श करके जितने अंशों पर आपत्ति होगी उसको निकाल दूंगा वह कार्यवाही का भाग नहीं रहेगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, इससे गरिमा और बढ़ेगी कि इस तरह की कोई बात आये।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसको निकाल दूंगा वह कार्यवाही का भाग नहीं रहेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने ऐसा बताया जैसे कमेटी के गठन से विधान सभा निरर्थक हो जायेगी। मान्यवर, इसी नियमावली में है कि 90 दिन सदन होना चाहिये लेकिन अभी सदन केवल 4 दिन के लिये बुलाया गया। चूंकि संवैधानिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी थी 6 महीने हो रहे थे वरना कभी बजट पर 24 दिन डिबेट करायी हो तो बता दें। हम लोग जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं और मेरा यह कहना है कि कमेटी बनने से कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा। इस पर पहले बातचीत हो जाये बातचीत के बाद इसका निराकरण कर दीजिये। इसको लंबित न रखिये।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं 1962 से जानता हूं नियमावली में 90 दिन विधान सभा की बैठकें होने का प्राविधान है लेकिन 90 दिन कभी बैठ नहीं पाये हैं। आज दिन प्रतिदिन जो स्थिति हो रही है कि हम बैठ नहीं पा रहे हैं चाहे किसी की सरकार हो, 90 दिन की बैठक नहीं हो पायी है। मान्यवर, यह संस्था कैसे प्रभावशाली हो सकती है और कैसे इसकी गरिमा बढ़ सकती है वह हमें करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

बजट समितियों के गठन के बारे में जब इस सदन में प्रस्ताव आया था तो सर्व सम्मति से पारित हुआ था और सदन में काफी विस्तारपूर्वक समितियों के गठन के औचित्य के बारे में विचार हुआ था। जो कमी बजट समितियों में अब तक प्रकाश में आयी उसका उल्लेख हुआ था और उसके पश्चात् सदन द्वारा गठित समिति ने काफी विस्तार पूर्वक अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट दी थी जो शासन को भेज तो दी गयी है परंतु आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। यह हो सकता है कि शासन के समक्ष व्यवहारिक कठिनाइयां हों। कुछ का उल्लेख समय-समय पर हुआ है।

माननीय सभापति विधान परिषद् के साथ भी विचार विमर्श हो गया है और यह बात आयी थी कि प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ में कुछ महत्वपूर्ण 2-4 विभागों के लिये समितियां बना दी जायं और देखा जाय कि यह प्रयोग कहां तक सफल होता है। वैसे यह सही है कि कुछ प्रदेशों ने यह समितियां बनायी लेकिन बाद में वापस ले लीं। उन प्रदेशों में कोई विशेष परिस्थितियां रहीं होंगी। हम यहां पर यह प्रयोग करने जा रहे हैं। समिति यह देखे कि विधान सभा के सदस्यों का अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार समितियों के गठन से समाप्त न हो जाय। इन दोनों में एक समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो सुझाव दिया है और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है इसमें एक बैठक कर ली जाय। इसकी एक बैठक 22 तारीख को मैं अपने कक्ष में कर रहा हूं। उसके बाद अपेक्षा करुंगा कि शासन इसके सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले।

दिनांक 7 जुलाई, 1998 के उपवेशन में नियम 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेश के बाबजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना माननीय संजय गर्ग की है।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, जो विद्युत अप्रेंटिसों की समस्या के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, पिछले 7 जुलाई, 1998 को कार्यस्थगन प्रस्ताव जो आदरणीय समरपाल सिंह जी ने रखा था उसमें आप द्वारा कुछ निर्देश दिये गये थे। यह सही है कि सदन नियमों से एवं आपकी पीठ के निर्देशों से चलता है परन्तु इस पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद सरकार यदि कोई कार्यवाही न करें और लाखों विद्युत अप्रेन्टिस जिन पर सरकार का लाखों-करोड़ों रुपया उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किया जा चुका है, उनकी दक्षता का कोई लाभ राज्य सरकार और शासन को न मिल सके, पूरे समाज को न मिल सके तो यह अपने-आप में बहुत दुखद विषय है।

मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने 12 फरवरी, 1995 को निर्देश दिया था कि विद्युत अप्रेन्टिस में लगे लोगों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है 3 माह के अन्दर राज्य सरकार उनको वरीयता के आधार पर समायोजित करने का काम करेगी। विद्युत अप्रेन्टिस लोगों को समायोजित नहीं किया गया तो उन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत धरने दिये, हड़तालों व आन्दोलनों का आयोजन किया परन्तु सरकार के द्वारा उनका अपराधिक इतिहास बना दिया गया। कई मुकदमें कायम किये गये 3 जनवरी, 1999 और 26 मई, 1998 को इस तरह से निर्देश जारी हुये कि रिक्तियों की भर्ती सीधे न करते हुये अप्रेन्टिस में लगे हुये लोगों को वरीयता देकर उसको भरा जाये।

मान्यवर, यह मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये गये। आपकी पीठ से भी निर्देश दिये गये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। इस संदर्भ में 7 जुलाई, 1998 की कार्यवृत्त का संदर्भ दे रहा हूं जिसमें संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर पर इन तमाम बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिस बेरोजगार लोगों की समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये उनको समायोजित किया जायेगा। समर पाल सिंह जी ने प्रदेश में प्रशिक्षित विद्युत अप्रेन्टिस बेरोजगारों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समादर करते हुये लिखित परीक्षा में छूट देकर कार्यस्थगन की ग्राह्यता के सम्बन्ध में इस लोकमहत्व के प्रकरण पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्यमंत्री जी ने शासन का पक्ष प्रस्तुत करते हुए स्थिति स्पष्ट की और आश्वस्त किया कि प्रशिक्षित पात्र व्यक्तियों की नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। संसदीय कार्यमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्देश देते हुए श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

माननीय अध्यक्ष जी आपके द्वारा निर्देश दिया गया हो, सर्वोच्च अदालत का आदेश हो उसके बाद 7 जुलाई, 1998 से एक साल 6 दिन बीत गये उन बेरोजगार लोगों की भयंकर समस्या पर मरहम लगाने की बात नहीं किया गया। आपकी पीठ के निर्देशों का उल्लंघन इस बात को दर्शाता है कि इस विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा अपने सवालों का रखने का औचित्य क्या है। मैं चाहूंगा कि आप शासन को निर्देशित करें कि बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिस को योग्यता के आधार पर समायोजित करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह):-

मान्यवर, सरकार कुछ नियमों और परम्पराओं से चलती है किसी के डिक्टेटर-शिप से नहीं चलती। भर्ती करने और निकालने की एक प्रक्रिया है। जब तक हमारे पास में कोई स्थायी पद नहीं होगें, रिक्ति नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहे तो किसी को भर्ती नहीं कर पायेगी। आपकी जानकारी में होगा प्रदेश में जितने भी कृषि डिप्लोमा होल्डर थे एक-एक करके सबकी नियुक्ति कर दी। समूह-ग में हमने 13 हजार की भर्ती की अगर आप उन नौजवानों को सही सलाह देते कि आप भी इसमें अप्लाई करो, इण्टरव्यू में जाओ, आपका भी चयन होगा। यही नहीं पूरे प्रदेश में हमने विज्ञप्ति निकलवायी।

जितने बी0टी0सी0 प्रशिक्षित हैं वह 10 साल से बेकार था आज मैं कह सकता हूं प्रदेश सरकार ने 13 हजार बी0टी0सी0को नौकरी दी आज एक भी बी0टी0सी0 बेकार नहीं हैं। उसके बाद फिर पद रिक्त बचे तो विज्ञप्ति जारी की गई व 27 हजार ऐसे अध्यापक जिन्होंने बी0एड0 किया था उनको बी0टी0सी0 के लिए चयनित किया गया क्योंकि हमारे पास पद रिक्त था एक प्रक्रिया अपनाई गई व प्रक्रिया के बाद चयन किया गया। सराकर नियमों से चलती है। विद्युत परिषद् के पुर्नगठन का मामला चल रहा है बार-बार आपकी जानकारी में लाया गया एक और पुर्नगठन करेंगे दूसरी तरफ विद्युत परिषद् से कहेंगे कि आपके पास स्थान हों या न हों भरती कर लें। विद्युत परिषद् की हालत किसी से छिपी नहीं है। प्रक्रियाओं की बात कहकर परम्पराओं की बात कह कर किसी आश्वासन की बात कहकर बार-बार नौजवानों को गुमराह कर रहें हैं कहते हैं कि बाहर बैठे रहें हम विधान सभा में तुम्हारा मामला उठाएगें पहले वह प्रक्रिया के अन्तर्गत सप्लाई करें तभी उनकी चयन प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा वह पात्र होगा तभी उसकी नियुक्ति की जाएगी। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री संजय गर्ग-

बात साफ है सरकार नियमों से चलती है। मैंने भी उल्लेख किया है 3 जनवरी 1998 और 26 मई 1999 को मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को निर्देश जारी किया गया कि एक अभियान चलाकर उन विभागों के अप्रेटिसों को जिन पर सरकार ने करोड़ों रुपए उनकी ट्रेनिंग पर खर्च किए हैं उन्हें समायोजित किया जाए। रिक्त स्थानो उनको सीधे भरती किया जाए। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि समूह "ग" और समूह "घ" की आयोजित परीक्षा में वह फार्म भरें अगर वह पात्र होंगे तभी नियुक्ति की जाएगी। करोड़ों रुपए उनकी अप्रेंटिस पर सरकार ने खर्च किए हैं। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपकी पीठ के भी निर्देश हैं कि उनकी सीधी भरती करके उनको वरीयता के आधार पर रखा जाए। उनको सम्बन्धित विभाग में प्राथमिकता दी जाय परन्तु सरकार ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है। आपकी पीठ से निर्देश दिए जा चुके हैं।

मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस सम्बन्ध में शासन को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

* श्री समरपाल सिंह -

अध्यक्ष महोदय, वह लड़के हाईकोर्ट गए थे हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया था कि जो अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं उनकी दूसरे अभ्यर्थियों से अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाए। उनको वरीयता के आधार पर रखा जाए उनसे रिटेन एक्जामिनेशन न लिया जाए। उच्च न्यायालय के निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि इन अप्रेंटिस ट्रेनीज को स्पेशल ड्राइव चलाकर बिना रिटेन एक्जामिनेशन में बैठे भरती की जाए। यह शासनादेश है। क्या मुख्य सचिव ने बिना सोचे समझे यह आदेश जारी किया। हाईकोर्ट का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और मुख्य सचिव का पत्र इनमें सभी ने सारे विभागों को निर्देश दिया था कि अपने-अपने विभाग में जितनी रिक्तियां हों वहां विशेष अभियोजन चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरती किया जाए। सोच-समझकर मुख्य सचिव ने इसके बारे में जी0ओ0 जारी किया था। आपने भी सदन के अन्दर सरकार को निर्देशित किया था कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य सचिव के पत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सारी कार्यवाही की जाए। आपके निर्देशों का पालन नहीं हुआ। मुख्य सचिव एवं हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया कोई ऐसा पत्र लिखा गया है कि मुख्य सचिव ने जो निर्देश जारी किए हैं उनको काटकर स्पेशल ड्राइव चलाकर कोई भरती न की जाए। उससे भी सदन को अवगत कराएं। हम यहां अपनी बात उठाते हैं कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार उस पर कार्यवाही करे। जब आपकी पीठ से निर्देश दिया गया सरकार ने भी सदन के अन्दर आश्वासन दिया कि इस पर कार्यवाही करेंगे उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो सदन को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष -

दिनांक 7 जुलाई, 1998 को नियम 300 में यह सूचना लगी थी वह सूचना सदन में घोर व्यवधान के कारण अग्राह्य कर दी गई। परन्तु उसी दिन नियम 56 की इस विषय पर सूचना थी। उस संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस सदन को जो सूचित किया था मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था नियुक्ति दो प्रकार से होती है एक लोक सेवा आयोग की परिधि में आती है दूसरी सीधी भरती के द्वारा। सीधी भरती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है अभी नियुक्ति जारी नहीं हुई है। अभी नीति की घोषणा की गई है हम विज्ञापन निकालेंगे उसके बाद भर्ती शुरू करेंगे। जो मुख्य सचिव का हवाला और सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है। उन बिन्दुओं को दृष्टि में रखते हुए जो प्रशिक्षार्थी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग किया है उनको अवसर दिया जाएगा। नियमानुसार उनको भर्ती में मौका दिया जाएगा। उसके पश्चात् पीठ के निर्देश हुए थे। उस निर्देश से पहले माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक बात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कही थी, उसे भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं- "हमने शासनादेश की भावना को देखते हुए स्पष्ट घोषणा की है और शीघ्र ही समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालेंगे उसमें यह भी शामिल होंगे।" अब जो निर्देश दिया गया था उसे भी उद्धृत कर रहा हूं। माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और रिक्तियों की संख्या को देखते हुए, शासनादेश की भावना के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पृष्ठभूमि में आवश्यक कदम उठाये जायं। केवल इतना निर्देश दिया गया था। इसलिए माननीय सदस्य ने जो आज सूचना दी है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। यदि आप समझते हैं कि सूचना आवश्यक है तो किसी अन्य सुसंगत नियम के अन्तर्गत अपनी सूचना दे सकते हैं।

सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राहय किये गये प्रस्ताव तथा अन्य चर्चाओं पर समय आवंटन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम 52 के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण तथा लोकमहत्व के प्रश्नों पर सदन में चर्चा करने का अधिकार माननीय सदस्यों का है पिछले सत्र में भी तथा इस सत्र में भी आपके द्वारा कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा स्वीकार की गयी है। पिछले सत्र में भी तथा इस सत्र में भी दिख रहा है कि कार्यसूची के अन्त में इन चर्चाओं को लगाया जाता है और जब इन चर्चाओं पर बहस का समय आता है तो इतना विलम्ब हो जाता है कि या तो कोरम के अभाव में या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण वे चर्चायें अगली तिथि के लिए पिछड़ जाती हैं, जिसके कारण इन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इसके लिये मेरा आपसे निवेदन है कि इन चर्चाओं को कार्यसूची में बीच में शामिल किया जाय। आज भी दो बजकर पांच मिनट हो गया है, कार्य सूची में अभी काफी मदें हैं फिर सिन्थेटिक दूध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लगी हुई है। आज ही अल्पसूचित प्रश्न में यह मामला था, परन्तु किन्हीं कारणों से प्रश्नकाल स्थगित हो गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अवश्य हो जाय। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

पिछले सत्र में नियम-49, नियम-52, नियम-103 तथा कतिपय असरकारी संकल्प सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के कारण सदन में चर्चायें नहीं ली जा सकी थी। उनमें से कुछ चर्चायें लम्बित हैं। इस सत्र में भी नियम-52 की कतिपय चर्चायें स्वीकार हुई हैं जिन पर सदन के उपवेशनों की संख्या कम होने के कारण पर्याप्त समय मिल पाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए इस पर मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा के बाहर धरनारत बुनकरों को वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 धर्मज्ञ मिश्र जी की है जो नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, बुनकरों से सम्बन्धित मामला है।

श्री अध्यक्ष-

कैसे यह नियम 300 में आती है ? यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

* डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

मान्यवर, बुनकरों की समस्याओं से जुड़ा सवाल है। बुनकर विधान सभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनका 4 साल से बकाया। मुख्यमंत्री जी ने आर्डर भी किये परन्तु भुगतान नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आता है इसको किसी दूसरे सुसंगत नियम के तहत दीजिये। आप माननीय मंत्री जी से उनके कक्ष में आग्रह कर लीजिये। यह नियम-300 में नहीं आती है।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री अयोध्या प्रसाद पाल जी की है यह भी नियम-300 में नहीं आती है इसलिये निरस्त की जाती है। अगली सूचना अजय कुमार पोइया जी की है यह किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति का मामला है यह कैसे नियम-300 में आयेगा। मैंने एक-एक शब्द पढ़ लिया है इसको भी निरस्त किया जाता है। अगली सूचना राम औतार शाक्य जी की है। मंत्री जी हैलीकाप्टर से दौरा कर रहे हैं तो यह कैसे नियम-300 में आयेगी।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन मान्यवर, जब प्रश्नकाल आता है तो प्रश्नों का जवाब देने के लिये मंत्रीगण को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। बार-बार सवाल किया जा रहा है। खैरागढ़ में एक बालक की मृत्यु हो गई यहां पर सवाल किया जा रहा है और उसका जवाब यह नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह नियम-300 में नहीं आती है इसको निरस्त किया जाता है। अगली सूचना अम्बिका चौधरी जी की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होने पर)

आपकी भी नियम-300 में नहीं आती है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आपकी कृपापूर्ण संस्तुति नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, खड़े भी नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम 300 में नहीं आती है यदि आती है तो मैं पूरी तरह से स्वतंत्रता देता हूं कि आप उस पर बोलना चाहें तो बोंले।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, यह सूचना इसलिये आती है कि जो राहत मंत्री है अशोक यादव। मान्यवर, पहाड़ में भूकम्प आया वे एक दिन भी वहां देखने नहीं गये। एक करोड़ रुपया हेलीकाप्टर पर खर्च कर रहे हैं। इसमें एक बालक की मृत्यु हो गई।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आती है। नियम-300 में तो वहीं विषय जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में ही दिया जाता है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, आप तो नियमों के बड़े ज्ञाता है। आपके बराबर कोई नियमों का ज्ञाता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो स्वयं इतने सक्षम हैं कि किस प्रकार से कैसे इसे दूसरे नियम में दिया जा सकता है, जानते हैं। किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत दे दीजियेगा।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी को भी इतना अधिकार नहीं है कि एक दिन में 50 जगह हेलीकाप्टर से दौरा करें जबकि वे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मान्यवर, मंत्री की बहुत गरिमामय स्थिति होती है। हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं कि एक दिन में इस तरह से पचासों दौरे हो रहे हैं आखिर उसका कोई हिसाब है कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आपकी बात का संज्ञान ले रहे हैं।

संसदीय, कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

बाबू राम यादव जी के पास सारा हिसाब है, इनको ज्यादा पता है ।

विधायक निधि का पैसा निकाले जाने की अनुमति न लेने के समबन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 अम्बिका चौधरी जी की सूचना चूंकि विधायक निधि से संबंधित है इसलिए ले रहा हूं । मेरे हिसाब से तो यह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आज बहुत विस्तार से विधायकों के अधिकार पर चर्चा हुई है । डी0आर0डी0ए0 में बदला स्वरूप प्रस्तावित है जो जिला योजना समिति का नया स्वरूप प्रस्तावित है इसमें जितना विधायकों के अधिकारों का हनन होने वाला है इसमें विस्तार से चर्चा हुई है । श्रीमन् विकास से संबंधित विकास निधि है जिसमें विकास कार्य के लिए विधायक प्रस्तावित कर सकता था विधायकों ने विकास के जो कार्य प्रस्तावित कर दिए वह पूरे हों इसके लिए विधायक निधि की घोषणा की गई, जब विधायक निधि की घोषणा की गई तो दोनों पक्षों द्वारा सम्वेत रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दी कि उन्होंने विधायक निधि की घोषणा की । 1998-99 के वर्ष में जो विधायक निधि 25 लाख रुपया जिलों में गई उसके बाद दूसरे वित्तीय निर्देशों को जारी कर दिया और एक निर्देश दिया गया कि पी0एल0ए0 से वह राशि निकाली नहीं जा सकेगी । एकाउन्टेंट जनरल की तरफ से रोक जारी हुई वह रोक ज्यों की त्यों लगी है । बड़ा अजीब मंजर है, बड़ी अजीब स्थिति है 1999-2000 का पैसा निकालने की अनुमति ट्रेजरी आफिसर, जिलाधिकारी को मिल गई है और 1998-99 का पैसा निकालने की अनुमति नहीं है जो पहले प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से अपने जिलों में क्षेत्रों में दिए गए उसके लिए एक पैसा निकालने की स्थिति नहीं बन पा रही है । श्रीमन् बगल के जनपद आजमगढ़ में 1998-99 की नहीं 1999-2000 की स्थिति भी वही है कोई पैसा नहीं निकाल पा रहा है । एक घोषणा सदन में हुई माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, बजट में प्राविधान किया जो प्राविधान किया उसकी सूचना दी तो धन के आहरण का कार्य न किया जाए विधायक निधि न देने जैसा है । मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । आप सरकार को निर्देशित करें विधायक निधि के क्रियान्वयन में जो बाधा है उसको तत्काल दूर किया जा सके ।

* मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

श्रीमन् जो प्रश्न माननीय अम्बिका चौधरी जी ने उठाया है और भी माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य उठाना चाहते होंगे, सरकार ने विधायक निधि की घोषणा की थी 1998-99 में कुछ वित्तीय कठिनाईयां होने के कारण यह तय किया गया कि उस वर्ष 25 लाख रुपया प्रति विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए दे दिया जायेगा और स्वीकृति भी यहां से चली गई लेकिन कुछ जनपद ऐसे रहे कि वह पैसा समय से खर्चा नहीं हो पाया कुछ जनपदों का यह उदाहरण सामने आया कि समय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए एकाउन्टेट जनरल से आपत्ति लगकर आई कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है अब इस पैसे की खर्चा नहीं कर सकते हैं। 1999-2000 का 25 लाख रुपया जो है इसमें आपके प्रस्तावों के अनुसार व्यय होने में कोई आपत्ति नहीं है 1998-99 की जो 25 लाख रुपया था जिसमें ए0जी0 के यहां से आपत्ति आ गई है 25 लाख रुपये की आपको कन्टेन्जेंसी से स्वीकृति मिल जायेगी।

(मेजें थपथपाई गई)

25 लाख रुपया 98-99 का भी आपको मिल जायेगा।

कारगिल युद्ध में शहीद हुए जनपद महाराजगंज के नौतनवां निवासी श्री पूरन बहादुर थापा के दाह संस्कार में जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के सम्मिलित न होने पर आपत्ति

श्री विनोद मणि-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश के ऊपर शहीद होने वाले हमारे जनपद महाराजगंज के नौतनवा निवासी पूरन बहादुर थापा के ऊपर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, एक तरफ तो पूरे देश और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे यह जवान लगे हुए हैं और हम इन शहीदों के सम्मान में दो मिनट का कल मौन भी धारण किये थे वहीं दूसरी तरफ हमारे महाराजगंज के नौतनवा निवासी पूरन बहादुर थापा जो कि 28-5-99 को कारगिल में शहीद हो गये थे और उनका पार्थिव शरीर 3-6-99 को रात्रि में महाराजगंज की सीमा पर आता है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और उनके निर्देश भी हैं लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके निर्देश शहीदों के शव जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रिसीव करेंगे और दाह संस्कार में भाग लेंगे, इसके बावजूद भी वह जनपद की सीमा में नहीं गये। उनके दाह संस्कार में नौतनवा जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी सम्मिलित होने नहीं गया।

मान्यवर, एक तरफ तो शहीदों के सम्मान में पूरा देश उनके साथ है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है वहीं दूसरी तरफ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनकी लाश रिसीव न करें और उनकी अंत्येष्टि में भाग न लें तो इससे ज्यादा और क्या खराब बात हो सकती है। दूसरा, जो शहीद के आश्रित हैं उनको पांच लाख रुपये देने का निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और फिर दोबारा फिर पांच लाख रुपये और देने का निर्णय लिया। मैं कहना चाहता हूं कि 22-6-99 को पांच लाख रुपया निर्गत किया। 24 तारीख को दोबारा चेक निर्गत किया गया।

जिलाधिकारी महाराजगंज ने पत्रकारों से कहा कि दस लाख रुपये का चेक आज दिया जायेगा लेकिन हमारे जनपद के एक राज्य मंत्री जो मत्स्य राज्य मंत्री है उन्होंने लखनऊ से कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक उसे रोक दिया जाय और उस चेक का वितरण उस दिन नहीं किया गया। 24 तारीख से 4 जुलाई तक उन्हें समय नहीं मिला। 15 दिन हो गया तो 15 दिन जानबूझकर देरी की। अभी कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि अच्छे अधिकारियों को ईनाम दिया जायेगा और जो कार्य नहीं करते हैं उनको सजा दी जायेगी। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जनपद महाराजगंज के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या माननीय मत्स्य राज्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने शहीद परिवार को प्रताड़ित किया और मनोबल को गिराया है?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) +

श्री लोकपति त्रिपाठी-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1979-80 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित लोक लेखा समिति (1982-83) के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) +

श्री लोकपति त्रिपाठी-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश त्रयोदश विधान सभा की लोक लेखा समिति (1998-99) का द्वितीय प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट 1979-80 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (1982-83) के प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में हैं, प्रस्तुत करता हूं।

+ छापे नहीं गये।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के ग्राम खेवखर में मातृ एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू यादव आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

* श्री पूर्णमासी पंकज-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड ज्ञानपुर के ग्राम खेवखर में मातृ एवं शिशु कल्याण उप केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू यादव तथा श्री राधेश्याम तिवारी, निवासीगण-जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां स्थित ग्राम कुढ़वा में मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश चन्द्र शुक्ल आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री पूर्णमासी पंकज-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से, जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां स्थित ग्राम कुढ़वा में मातृ शिशु कल्याण उप केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश चन्द्र शुक्ल तथा राजेश चन्द्र पाण्डेय निवासीगण-जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम कुढ़वा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश चन्द्र शुल्क आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री पूर्णमासी पंकज-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से, जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां के ग्राम कुढ़वा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में श्री राकेश चन्द्र शुक्ल तथा श्री राजेश चन्द्र पाण्डेय निवासीगण-जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) के विकास खण्ड सुरियावां स्थित रामनगर में बरना नदी पर पुल का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री लालजी पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ++

श्री पूर्णमासी पंकज-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से, जनपद सन्त रविदास नगर (भदोही) के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

\+ + छापी नहीं गयी।

विकासखण्ड सुरियावां स्थित रामनगर में बरना पदी पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में श्री लालजी पाण्डेय तथा श्री शोभनाथ पाण्डेय, निवासीगण-जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 1999 की बैठक में सदन के दिनांक 14 जुलाई, 1999 से 23 जुलाई, 1999 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 22 तथा 23 जुलाई, 1999 को श्री सदन की बैठक रखी जाये।

2-सदन का दिनांक 14 जुलाई, 1999 से 23 जुलाई, 1999 तक के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :-

जुलाई, 1999

14 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

(3) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली की पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय।"

(4) "प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन-स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-दो घण्टा

15 गुरूवार

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना (प्रश्नकाल के उपरान्त)।

(2) विधायी कार्य।

(3) श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द "साहित्य" से पूर्व शब्द और चिह्न "विधि" रख दिया जाय।"

(4) श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अम्बेडकरनगर के बहुमुखी विकास के लिए लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग पर घाघरा नदी में सेतु का निर्माण कराया जाय एवं उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ायी जाय।"

(5) श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

" इस सदन का निश्चित मत है कि अल्मोड़ा नगर के निवासियों को सीवर लाइन की सुविधा प्रदान की जाय।"

(6) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

(7) "ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पंचायतों एवं नगर निगमों को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्यगण, विधान

सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-दो घण्टा।

(8) "प्रदेश के निर्धन व्यक्तियों को आवास विभाग द्वारा ई0डब्लू0एस0/आश्रय योजना के अन्तर्गत आवंटित क्वार्टरों के बैनामे/रजिस्ट्री में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

(9) "प्रदेश में लगभग 10 घण्टे तक विद्युत की कटौती के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार तथा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

(10) "प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

16 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
17 शनिवार	
18 रविवार	
19 सोमवार	
20 मंगलवार	
21 बुधवार	
22 गुरूवार	विधायी कार्य
23 शुक्रवार	विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा सदन में रखा गया है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

दिनांक 12 मार्च, 1999 के उपवेशन में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 54 एवं 55 के सम्बन्ध में श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

मुझे दो घोषणाएं करनी हैं पहली, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना दिनांक 16 मार्च, 1999 में निर्णय सुरक्षित रखा गया था परन्तु अब निर्णय ले लिया गया है।

उपर्युक्त मामले को औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य कर दिया है।

उक्त मामले पर मेरे द्वारा दिया गया निर्णय सदन की आज की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

माननीय श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना दिनांक 16 मार्च, 1999 को अभिसूचित की थी जिसमें मा0 सदस्य का कथन है कि दिनांक 12 मार्च, 1999 को लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या 54 व 55 के सम्बन्ध में उन्होंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 189 (ग) के अन्तर्गत मांग की राशि में 100 रुपये की कमी करने सम्बन्धी कटौती का प्रस्ताव दिया था जो उक्त तिथि की कार्यसूची में मुद्रित था परन्तु उक्त दोनों प्रस्ताव न तो उनके द्वारा सदन में प्रस्तुत कराये गये और न ही उन पर मतदान हुआ।

दिनांक 12 मार्च, 1999 की विधान सभा की कार्यसूची में मा0 नेता, विरोधी दल सहित प्रतिपक्ष के मा0 सदस्यों के नीति अनुमोदन सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव भी सूचीबद्ध किये गये थे। सदन की सुस्थापित परम्परानुसार कटौती की सूचना देने वाली मा0 सदस्यों में से केवल एक ही सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जो प्रतिपक्ष आपस में तय कर लेते हैं। उक्त परम्परा के अनुसार मतदान संख्या 54 पर मा0 सदस्य श्री राम ललित द्वारा और अनुदान संख्या 55 पर मा0 सदस्य श्री लाल जी वर्मा द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जो स्वयं उक्त उपवेशन में उपस्थित थे, ने उक्त दोनों कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर बल नहीं दिया था। वास्तविकता तो यह है कि श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव ने श्री लाल जी वर्मा द्वारा रखे गये कटौती के प्रताव के पक्ष में अपना मत भी सदन में व्यक्त किया था।

इसी प्रकार की प्रक्रिया समान प्रकरणों में 20 मई, 1970 को श्री जगदीश गांधी के मामले में, दिनांक 16 दिसम्बर, 1970 को श्री गोविन्द सिंह नेगी के कटौती के प्रस्ताव पर तथा दिनांक 28 मई, 1970 को श्री जगदीश गांधी एवं श्री सुरेन्द्र विक्रम के कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनायी गयी थी।

उक्त मामले में मा0 सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए उस पर मेरी व्यवस्था हेतु अनुरोध किया है। उक्त प्रकरण पर मैंने दिनांक 16 मार्च, 1999 के उपवेशन में अपनी यह व्यवस्था आरक्षित कर ली थी और यह कहा था कि दिनांक 12 मार्च, 1999 की कार्यवाही निकालकर देखने के पश्चात् अन्तिम व्यवस्था दे दूंगा।

इस प्रकार उपर्युक्त स्थिति तथा पूर्व दृष्टान्तों के प्रकाश में मैं इस मत का हूं कि इस प्रकरण में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। मैं माननीय सदस्य की उक्त औचित्य के प्रश्न की सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं।)

दिनांक 23 मार्च, 1999 के उपवेशन में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के औचित्य के प्रश्न की सूचना को नियम समिति के स्थान पर संसदीय शोध एवं संदर्भ समिति को विचार एवं प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 मार्च, 1999 के उपवेशन में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत अभिसूचित औचित्य के प्रश्न की सूचना पर मैंने सदन में अपनी व्यवस्था देते हुए उक्त प्रकरण को विचार और प्रतिवेदन के लिए नियम समिति को निर्दिष्ट किया था परन्तु अब मैं समुचित विचारोपरान्त प्रकरण को नियम समिति के स्थान पर संसदीय शोध एवं सन्दर्भ समिति को विचार एवं प्रतिवेदन हेतु निर्दिष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव

* उत्तरांचल विकास मंत्री-(डा0 रमेश पोखरियाल निशंक)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर

नोट :- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन किया जाये।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मन्दिर समिति में कार्य करने के लिए विधान सभा के हिन्दू सदस्यों द्वारा दो हिन्दू सदस्यों का निर्वाचन किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री बी0 आर0 वर्मा का उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक के पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के प्रश्न पर नियम 123 का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष-

पहले इसे पुरःस्थापित हो जाने दें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, नियमावली के नियम 123 को देखें पुरःस्थापना की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव, नियम 114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों। मान्यवर, कल भी इसी तरह यहां हुआ था। आप नियमावली के नियम 120 (2) को देखने की कृपा करें, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि "तदुपरान्त कोई भी सदस्य तीन दिन की सूचना देकर अध्यादेश का अनुमोदन करने का संकल्प प्रस्तुत कर सकेगा और यदि ऐसा संकल्प स्वीकृत हो जाय तो वह परिषद् के पास उसकी सहमति के लिये भेज दिया जायेगा"। कल अध्यादेश रखा गया, कल ही विधेयक पुरःस्थापित हो गया, 3 दिन कहां हुये, कैसे 3 दिन का समय मिलेगा? जो कल हुआ, आज उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है। आज ही मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 माननीय सदस्यों को दिया गया है और आज ही की तारीख में पुरःस्थापित किया जा रहा है।

यह विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित मामला है और नियमावली के नियम 153 के प्रवर्तन के संबंध में है, इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि यह जो गलत परिपाटी पड़ने जा रही है और ऐसा प्रतिदिन होने लगा है, इस पर अंकुश लगे। यह विधान सभा नियमावली से चलती है और संविधान में प्रदत्त अधिकारों से चलती है, आपके द्वारा दिये गये जो निर्णय हैं, उसके अन्तर्गत चलती है, इसलिये मैं चाहूंगा कि नियमावली के नियम 123 तथा 120 (2) के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखकर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, जो मैंने आपत्ति उठाने का प्रयास किया था, वह यह है कि पहले अनुज्ञा का प्रस्ताव आ जाय, तब यदि कोई संवैधानिक दिक्कत आती है तो उसे कहा जाय। अभी तो माननीय मंत्री जी द्वारा अनुज्ञा का प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं किया गया, अभी तो आपने केवल आइटम पुकारा, गलती यहीं से शुरू हो जायेगी तो आगे गलती का सुधार कैसे होगा? जब अनुज्ञा ले ली जाय, तब मतदान से पूर्व जो कुछ आप कहना चाहें, कह लें।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

कल इसी तरह पंचायती राज संशोधन विधेयक आया था, उसका कल ही अध्यादेश सदन के पटल पर रखा गया, कल ही विधेयक रखा गया और कल ही पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगी गई और पुरःस्थापित कर भी कर दिया गया, आज भी यही होने जा रहा है, इसलिये मैं इस पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं अनुरोध कर दूं, कुछ विशेष परिस्थिति होती है। यह सदन 12 तारीख के लिये आहूत किया गया था। 12 तारीख में अपेक्षा की जाती थी कि सभी औपचारिक कार्य सम्पन्न हो जायेंगे, परन्तु सिटिंग मेम्बर का निधन हो जाने के कारण औपचारिक कार्य नहीं लिये जा सके, क्योंकि निधन के निर्देश के बाद कोई कार्य नहीं होता है। कुल 4 दिन के लिये सदन था, अब हमको जो पहली आपारच्युनिटी मिली, उसमें हमने 13 को कर दिया, इसकी कापी वितरित कर दी गई तो कम से कम विशेष परिस्थिति देख ली जाये, जिसमें यह किया गया है, तब कोई बात कही जाये। अगर 12 तारीख को सिटिंग होती और हम ये न करते तो कहते। आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगने के प्रश्न के बारे में माननीय बी0आर0 वर्मा ने नियम 123 के अनुपालन न किये जाने के आधार पर आपत्ति की है। नियमावली के नियम 123 में

है कि नियम 114 के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक की पुर:स्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुये उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों। तो यहां पर अंतर देखना है 120 (2) और 123 में अंतर क्या है। नियम 120 (2) अध्यादेशों से सम्बन्धित है और नियम 123 विधेयक से सम्बन्धित है और उसमें तीन दिन की समय-सीमा निर्धारित है। मद सं0 11 में जिस विधेयक का उल्लेख है, उसकी प्रतियां बांटी जा चुकी हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

आज ही दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

कल पिजन होल में रख दी गयी थीं।

श्री बी0आर0 वर्मा-

आप इसको दिखवा लें, यह मुझे आज ही मिली हैं

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों के पिजनहोल में कल शाम को ही रख दी गयी थीं। इसी के साथ इस आपत्ति को निस्तारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 +

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुर: स्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्यप्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करता हूं।

नोट :-दिनांक 24-7-99 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मद सं0 13 में कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव कुंवर रेवती रमण सिंह, अम्बरीष कुमार, डा0 अशोक बाजपेयी और श्री मुन्ना चौहान का है, दूसरा श्री आर0 के0 सिंह पटेल का है, तीसरा श्री राम औतार शाक्य का है, चौथा श्री राम कृपाल का है, 5 वां प्रस्ताव श्री राज पाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, और श्री बाबूलाल का है। इसी विषय पर दूसरे माननीय सदस्यों का भी है। छठा प्रस्ताव श्रीमती गौरी देवी का है, 7 वां श्री भीम प्रसाद सोनकर का है, 8 वां प्रस्ताव श्री राम प्यारे सिंह का है और 9वां प्रस्ताव श्री रामतेज यादव एडवोकेट का है। 10 वां प्रस्ताव श्री राम नरेश यादव का है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि इस देश का प्रख्यात विश्वविद्यालय है। इसको ईस्ट का आक्सफोर्ड कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि (इस समय 2 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए) इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है। यहां पर विद्यार्थियों की संख्या 25-30 हजार है। उनकी शिक्षा के स्तर का उन्नयन नहीं हो रहा है और इसी कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्राचार संस्थान की स्थापना की गयी है। उसकी स्थापना वित्त विहीन प्रक्रिया के अनुसार की गयी है और यू0जी0सी0 के निर्देशों के अनुसार की गयी है। इसकी स्थापना इसलिये की गयी थी कि वहां पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाता था और शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, लेकिन पत्राचार के माध्यम से उनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल गया है। पत्राचार के माध्यम से लगभग 32 हजार छात्र इस संस्थान से लाभ ले रहे हैं। बी0ए0 और बी0काम में प्रवेश ले रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। यू0जी0सी0 से इसको ग्रान्ट भी दी जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करती है, यह एक वित्त पोषित संस्था है, इसको ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं है। इस संस्थान में बी0ए0 और बी0काम0 प्रथम वर्ष में 836 और द्वितीय वर्ष में 793 छात्र शिक्षा पा रहे हैं। श्रीमन् जो गरीब विद्यार्थी हैं, वह इस संस्थान से लाभ पा रहे हैं लेकिन यह मामला राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के झगड़े में पड़ा रह गया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन सका। जो वहां पर पत्राचार संस्थान चल रहा है वह समाप्त करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय खोल दिया है। मेरा कहना है कि वहां पर न तो बिल्डिंग है न कोई बजट है। जो संस्थान इलाहाबाद में चल रहा है उसको खत्म करने जा रहे हैं।

वस्त्र उद्योग मंत्री (श्री सरदार सिंह)-

आप ग्राह्यता पर बोलें, भाषण दे रहे हैं।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, यह मथुरा से आते हैं, विश्वविद्यालय से इनका लेना-देना नहीं है। विश्वविद्यालय की बात आप समझ नहीं पाइयेगा, मैं इसलिये आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मगर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप संक्षेप करें और ग्राह्यता पर केवल अपनी बात रखें।

कुँवर रेवतीरमण सिंह-

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उनसे कहकर, मैंने इवनिंग क्लासेज शुरू करवायी थी उसको सरकार बंद करने जा रही है। जिन 50 प्रतिशत से ज्यादा लड़कों का दाखिला नहीं हो पाता है वह वहां पर पढ़ते हैं। उनके भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनायेंगे नहीं, पत्राचार संस्थान को बंद करने जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आप सत्यानाश न करें। आप यह बहाना न करें कि राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय खोलकर इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। मैं चाहूंगा कि आज विधान सभा में इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करने का कष्ट करें।

श्री अम्बरीष कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय कुंवर साहब ने जो प्रश्न उठाया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं और मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। 25-5-94 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने जो पत्र लिखा उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को उसमें लिखा है कि पत्राचार संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह स्वावित्त पोषित संस्था है। यह संस्था अपने संसाधनों से चल रही है। इसका कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। अभी जैसा कुंवर साहब ने बताया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर इसकी स्थापना हुयी है। 32 हजार विद्यार्थी इसमें हैं और इस वर्ष इण्टरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अच्छा रहा है इससे एक समस्या और आयी है कि बी0ए0 और बी0काम0 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या पहले से अधिक हो गयी है। जो विद्यार्थी उच्च द्वितीय श्रेणी के हैं जिनके प्राप्तांक 55 प्रतिशत हैं उनको प्रवेश देने की व्यवस्था है। यह विडंबना है कि आप 33 प्रतिशत अंक पाने पर उत्तीर्ण घोषत करते हैं लेकिन जब प्रवेश का विषय आता है तो हम मेरिट के आधार पर करते हैं। इससे बड़ी विडंम्बना हो नहीं सकती। 55 प्रतिशत या उससे ऊपर वाले छात्रों को ही प्रवेश देते हैं। यह पत्राचार पाठ्यक्रम ऐसे लोगों के लिए है जो नियमित कक्षा में नहीं जा सकते, उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उनको कमाना भी है, अध्ययन भी करना है तो निश्चित रूप से अगर यह बंद हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होगी। कुलसचिव ने 24-6-99 में

निदेशक महोदय को सूचित किया है कि वर्ष 1999-2000 के लिए इस पत्राचार संस्थान में बी0ए0 व बी0काम0 में प्रवेश न दें। इस पर रोक लगा दी है। तो ऐसे लोगों को जो अपने रोजगार के साथ-साथ अध्ययन करना चाहते हैं उनको इससे वंचित होना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपके संज्ञान में लाया गया है कि बी0ए0 और बी0काम0 की कक्षाओं में प्रवेश की विषम स्थिति है और इण्टरमीडिएट का अच्छा परिणाम रहने से परिस्थिति और भी विषम हो गयी है। जब यह संस्थान स्व-वित्त पोषित हैं उसे किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है और वह ठीक से काम कर रहा है तो क्यों बंद करने की आवश्यकता आ पड़ी है। यह हजारों छात्रों के भविष्य से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि अगर मुक्त विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो उसमें इसको समायोजित करने की बात करें तो ऐसे समय से कर दी जानी चाहिए ताकि जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं वह प्रवेश से वंचित न रह जाये, उसका अवसर मिल सके। इसकी घोषणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए। यह अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिए इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री मुन्ना चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस विषय पर माननीय कुंवर साहब और अम्बरीष कुमार जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उसी विषय पर कुछ बिन्दुओं तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सर्वविदित है कि कई वर्षों के पूर्व यह महसूस किया गया कि जिस तरीके से हमारी जो उच्च शिक्षा के संस्थान है, जिस तरीके से उसमें प्रवेश की परेशानी आ रही है, छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाते हैं तो सबसे पहले तकरीबन एक दशक, डेढ़ दशक पहले यह महसूस किया गया कि मुक्त विश्वविद्यालयों का कन्सेप्ट हमारे देश में पहली बार आया और इन्दिरा गांधी ओपेन यूनिवार्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कि जो लोग नियमित रूप से प्रवेश ले करके क्लासेज को ज्वाइन करके अध्ययन नहीं कर सकते वह शिक्षा से वंचित न रहें। इसी क्रम में देश के तमाम विश्वविद्यालयों द्वारा इस परिपाटी को अपनाया गया। यह परिपाटी तब से लेकर आज की तारीख तक सफलता की कामयाबी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने का काम किया। मैं आपके माध्यम से बलपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि आज के समय में जब संचार माध्यमों का इतनी तेजी के साथ विस्तार हुआ है तो एक घर में या कहीं बैठ करके दुनिया के किसी भी कोने से जो सूचनायें हैं, इण्टरनेट और संचार के दूसरे माध्यमों से हासिल कर सकते हैं। धीरे-धीरे यह जरूरत महसूस की जा रही है कि कक्षा में जा करके पठन-पाठन का कन्सेप्ट बदल रहा है। विज्ञान के कुछ विषय जिनमें प्रयोगात्मक कक्षायें अनिवार्य हैं। को छोड़कर अन्य विषयों का पठन-पाठन संचार माध्यमों के जरिये किया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से और प्रदेश सरकार के पास शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए जो संसाधन हैं उसको देखते हुये जो निरन्तर दबाव की स्थिति बनती जा रही है और अधिकांश छात्र प्रवेश से वंचित हो रहे हैं, वहां पर यह प्रश्न जरूर प्रासंगिक हो जाता है कि इस बात के लिए ज्यादा जोर दिया जाए। पत्राचार के माध्यम से करस्पाडेंट के आधार पर जो शिक्षा का

विस्तार है, जो शिक्षा का लाभ है उन छात्रों को दिलाने का काम करें जो नियमित रूप से स्कूल, कालेज में दाखिला नहीं ले पाते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे दौर में जब हमने कहा कि संचार माध्यमों का इतनी तेजी से विस्तार हुआ कि दूर स्थान पर बैठकर हम शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान-

तो उस स्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ऐसे संस्थान को जिसे बाकायदा यू0जी0सी0 से मान्यता मिली जिसके अन्दर आज की तारीख में उस कार्यक्रम को बन्द किया जाता है तो तकरीबन 10 हजार छात्रों के सामने तत्काल उनके पठन-पाठन की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। यदि उसका पूरा प्रभाव देखा जाए तो तकरीबन 32 हजार छात्रों पर कालान्तर में इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं इस अवसर पर उच्च न्यायालय का वह आदेश उद्धत कर देना चाहता हूं जिसके अन्दर मा0 उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि किसी भी कालेज के अन्दर, किसी भी स्कूल के अन्दर, किसी भी विश्वविद्यालय के अन्दर, किसी भी डिग्री कालेज के अन्दर एक सेक्शन में 52 से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। यह दिशा-निर्देश उच्च न्यायालय ने जारी किए हैं। इन परिस्थितियों में जब स्कूल कालेज में दाखिले की इतनी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है यदि यह संस्थान बन्द हो जाता है तो और ज्यादा नौजवानों के सामने विकट समस्या पैदा होगी। लिहाजा मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर विस्तृत चर्चा सदन की कार्यवाही रोककर कराई जाए। यह अपने आप में नजीर होना चाहिए कि संचार माध्यमों का सहारा लेकर इसका विस्तार उस स्तर तक भी कर सकते हैं जिससे पूरे प्रदेश के छात्रों को इसका लाभ मिले। मैं सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने पत्राचार संस्थान बन्द करने के सवाल को विस्तार से उठाया। इस पर दो अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। वह इस बात से अवगत होंगे कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हैं, कौन से पाठ्यक्रम चलें, कौन से पाठ्यक्रम बन्द हों। यह विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है। जब पत्राचार संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था व जब इसको बन्द करने का निर्णय लिया गया इसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। प्रदेश के छात्र-छात्राओं को हायर एजूकेशन की डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके लिए राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में खोलने का निर्णय लिया गया। मैं चौहान साहब की बात को एप्रीसिएट करूँगा। जिस तरह से संचार तंत्र का विस्तार हुआ है उसका लाभ सभी शिक्षा विशेषतः हायर एजूकेशन में लिया जाए। रेवती रमण सिंह जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे का प्रश्न

जो यहां संदर्भित नहीं है उसकी भी बात उठाई। मैं श्री रेवती रमण सिंह जी को अवगत कराना चाहूंगा कि दिल्ली में यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकार थी और एस0आर0 बोम्मई केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे तथा 1991-92 में मैं यहां पर उच्च शिक्षा मंत्री था तो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कई बार अनुरोध किया गया। जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन था तो श्री रोमेश भण्डारी जी जो राज्यपाल थे उन्होंने स्वयं पत्र लिखा एस0आर0 बोम्मई जी को कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्विद्यालय का दर्जा दिया जाय। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मार्च, 1997 में प्रदेश सरकार को उनकी तरफ से यह उत्तर मिला कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा न तो अभी और न ही आगे दिया जाना सम्भव है। जहां तक संस्थान में पत्राचार कोर्स को बन्द करने का सवाल है यह विश्वविद्यालय की वैद्यानिक संस्था द्वारा लिया गया निर्णय है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अब जब ओपन विश्वविद्यालय खुल गया है तो हायर डिग्री प्राप्त करने में किसी को कोई दिक्कत नही आयेगी। इसलिए मान्यवर, यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इस सूचना को निरस्त किया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय मत्री जी ने तत्कालीन मंत्री एस0 आर0 बोम्मई जी का हवाला दिया परन्तु मान्यवर, अब तो डा0 मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री हैं और स्वयं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी एक ही पार्टी के हैं। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने अनेक बार कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि प्रस्ताव भेज दे तो हम इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे। आपके राज्य मंत्री उच्च शिक्षा का भी कहना है कि प्रस्ताव जाना चाहिए इसलिए माननीय मंत्री जी आपको प्रस्ताव भेजने में क्या एतराज है। यदि आपने पहले प्रस्ताव भेजा है तो दोबारा प्रस्ताव भेज दीजिए। आप तो बेकार में ही श्री एस0 आर0 बोम्मई जी का हवाला दे रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप ही के सचिव, उच्च शिक्षा ने 29-6-99 को विश्व-विद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है कि पत्राचार संस्थान बन्द कर दिये जायें। यदि आप स्वायत्तशासी संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहे है तो फिर यह पत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी इसलिए माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं उनकी मंशा साफ नहीं है। मैंने पूछा था कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का बजट कितना है तो वह आप नहीं बता पाये। इगनू वाले यह कहते हैं यदि हमारा कोर्स अपनायेंगे तो इतनी फीस देनी पड़ेगी कि गरीब विद्यार्थी उस फीस को नहीं दे पायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मैं भाषण की इजाजत नहीं दे रहा हूं। माननीय सदस्य ने जो स्पष्टीकरण पूछा है उसका उत्तर मंत्री जी दे दें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, कल जो सप्लीमेंटरी बजट रखा गया था उसमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय हेतु 23 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। इसके पहले भी पांच लाख रुपया स्वीकृत किया गया था जहां तक पदों के सृजन की बात है, शासन उस पर विचार कर रहा है। कुलपति की नियुक्ति तथा कुलसचिव की व्यवस्था की जा चुकी है।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह तर्कसंगत नहीं है इसलिए मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(कुँवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता-

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को प्रस्तुत सूचना पर सुनने के पश्चात् मैं इसे अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की है।

* श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 98-99 के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि में राज्यांश और जिलांश यह दो व्यवस्था बुन्देलखण्ड क्षेत्र को विकसित करने के लिये की गई थी और यह घोषणा की गई थी कि बुन्देलखण्ड को विकसित करने के लिये स्पेशल पैकेज इन जनपदों के लिये दिया जायेगा। माननीय अधिष्ठाता जो, चित्रकूट जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर जनपद चित्रकूट तो किया लेकिन मान्यवर, उस जनपद के विकास के नाम पर जो भी पैसा जाना चाहिए था उसके साथ सौतेलापन किया गया है।

मान्यवर, विकास की बात तो दूर उस जनपद का नामकरण तो अच्छा किया गया। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेक की बात है। नाम बदल दिया गया धर्म के नाम पर। परन्तु यह तो सरकार भगवान राम के नाम पर बनी बैठी है उसे भगवान राम की तपोस्थली के नाम पर पैसा देना तो दूर जहां पर शराब नहीं बिक रही थी। उस जनपद में मुख्यालय पर शराब बेचना प्रतिबंधित था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

आपने जो सूचना दी है अपने को वहीं तक सीमित रखिये । आपने सूचना दी राज्यांश के धन के बारे में कि वह अवमुक्त नहीं हुआ । मैं भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा । मैं उसी विषय पर सुनूंगा ।

श्री आरC केO सिंह पटेल-

मान्यवर, सरकार उस जनपद की अपेक्षा कर रही है यही मैं कह रहा हूं । 1998-99 के वित्तीय वर्ष में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये इन दो विधान सभा क्षेत्रों के लिये जिलांश के रूप में भेजा गया । लेकिन राज्यांश का पैसा लगभग 3 करोड़ रखा रह गया । उस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है । मैं यही कहने जा रहा था कि उस जनपद के विकास के लिये पैसा नहीं दिया गया, उस जनपद में जहां मुख्यालय था, शराब प्रतिबंधित थी वहां पर इन्होंने शराब बेचने का काम शुरू करवा दिया ।

यह सरकार जो राम के नाम पर आई थी । इसका जो नारा था दिन में बोलो जय श्री राम रात को लो 100-100 ग्राम । इन्होंने नारे को साकार कर दिया यहां शराब की दुकानें खुलवाई । वहां पर राजस्व कमाया जा रहा है । ठीक है राजस्व कमायें । मैं इसकी बुराई नहीं करता । लेकिन जो पैसा उस जनपद के लिये स्वीकृत था वह नहीं भेजा गया । मैं कमिश्नर के पत्र संख्या 1051 दिनांक 28-3-99 बता रहा हूं जो कि प्रमुख सचिव नियोजन को इस्टीमेट बनाकर सड़कों के बारे में जिलाधिकारी की संस्तुति से वहां के कमिश्नर की संस्तुति से भेजा गया था लेकिन उस पर कोई स्वीकृति नहीं दी गई । यहां पर सरकार ने भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया है । चित्रकूट जनपद को पैसा न देकर वहीं पर दूसरे क्षेत्र को एक जाति विशेष के नाम पर संसदीय क्षेत्र में पूरे बुन्देलखण्ड का पैसा दे दिया । अभी माननीय मुख्य मंत्री जी हमीरपुर में जाति विशेष के पूर्व सांसद के इशारे पर पूरे बुन्देलखण्ड का पैसा हमीरपुर में दे गए ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें ।

श्री आरC केO सिंह पटेल-

बांदा जनपद के विधायक बैठे है, पूरे बुन्देलखण्ड के विधायक है, बांदा के मंत्री जी बैठे है, वह भी बता दें, कहां बुन्देलखण्ड का पैसा गया है । माननीय मंख्य मंत्री जी ने एक निर्वतमान सांसद के क्षेत्र में घोषणा की है 1998-99 का पैसा सारा हमीरपुर को दिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें ।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

1998-99 का पैसा जिस जिले को आवंटित हुआ वहां से परियोजना न आएं तो उसको निरस्त कर दिया जाए। यह तो अलग बात है लेकिन जिलाधिकारी से संस्तुति होकर परियोजना आई है...

श्री अधिष्ठाता-

आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। समाप्त करें।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

यह सरकार जाति विशेष को बढ़ावा दे रही है। यह अति लोक महत्व का प्रश्न हैं। इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद-

श्रीमन्, मेरी एक बात सुन लें। मैं भी वहां से विधायक हूं।

श्री अधिष्ठाता-

होंगे, लेकिन आपके सूचना पर हस्ताक्षर नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कोई बात अंकित नहीं की जाएगी।

(सेल्यूलर फोन की आवाज आने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मार्शल, मैं निर्देश देता हूं, सदन के प्रेक्षागृह में जो सेल्यूलर फोन है, वह जब्त कर लिए जाएं।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

श्रीमन्, आर0 के0 पटेल जी ने जो लिखित सूचना दी, इसके अलावा एक राजनीति भाषण दे दिया, न जाने कितने जनपदों का जिक्र कर दिया, आपने जो प्रस्ताव दिया मैं उसी तक सीमित रहना चाहता हूं ताकि उपेक्षा की भावना न आए। आपने अपने प्रस्ताव में दो मार्ग का जिक्र किया है। इन्हीं मार्गों के बारे में इन्होंने एक 28-3-99 के पत्र का हवाला दिया है। उसमें दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं भौरी से हरदोली सम्पर्क मार्ग है 14-65 किलोमीटर इसकी। करोड़ 29 लाख 41 हजार की अनुमानित लागत आंकी गई है, इसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है, स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है, प्रदेश स्तर पर नियोजन विभाग ने इसका अनुमोदन कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी पहाड़ी अरछा औधा बरेठी बरद्वारा सम्पर्क मार्ग है 23.30 किलोमीटर, इसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ 12 लाख रुपये है। इसको अनुमोदन के योग्य

नहीं पाया गया। एक मार्ग का अनुमोदन दे दिया गया है, कार्यवाही चल रही है, कोई जाति भेदभाव नहीं किया गया है। जो पूर्वांचल निधि है, बुंदेलखण्ड निधि है इसका सदुपयोग होता है हम कटिबद्ध है और आप लोगों का सहयोग बना रहे, आप अपने क्षेत्र में विकास में रुचि लेते रहें तो अच्छा होगा और बुन्देलखण्ड भी विकास की दौड़ में शामिल होगा।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

मान्यवर, जो भौरी से हरदोली सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में बताया है कि इसका अनुमोदन कर दिया गया है, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इसकी वित्तीय स्वीकृति कब तक करके कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्री हुकुम सिंह-

बहुत जल्दी हो जायेगा।

श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या एक महीने में करा देंगे?

श्री हुकुम सिंह-

करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रस्तुत सूचना पर श्री आर0के0 सिंह पटेल एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना लेता हूं।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, यह सूचना अत्यन्त लोक महत्व की है। यह समूचे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के स्कूल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में है। मान्यवर, कोई भी कार्य एक पालिसी के तहत होता है और पालिसी के तहत ही शासनादेश, नियम कानून बनते है और यह लोक हित के लिए बनाये जाते हैं। जो इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं वह कानून नहीं हो सकता है, वह तानाशाही का रूप हो सकता है।

इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस प्रदेश में लाखों लाख की संख्या में छात्र हैं। उनको दो कैटेगिरी में बाटा जा सकता है। एक तो वह जो फ्रेश रूप से कक्षा 9 व 11 में आते हैं और दूसरे वे जो हाईस्कूल और इन्टरमीडिट में फेल हो जाते हैं, उनके दाखिले का प्रश्न है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कक्षा 9 और 11 में उनके प्रवेश की समस्या है। 1999 की बोर्ड की परीक्षा में लगभग 14 लाख छात्र हाईस्कूल में अनुत्तीर्ण हुए और

लाखों लाख इण्टर अनुत्तीर्ण कर सरकार का आदेश है कि 1999 में हाईस्कूल में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनके प्रवेश कालेज और स्कूल में नहीं लिया जायेगा। यह सरकार छात्र विरोधी सरकार है। इसलिए छात्र विरोधी सरकार है कि नकल अध्यादेश में सैकड़ों छात्र जेल भेज दिये गये और अभी तक चार्जशीट नहीं लगायी गयी है। इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। अगस्त और जुलाई के महीने में दाखिला हुआ करता है। और वह प्रवेश से वंचित हैं। यह सैकड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऐसी सुनिश्चित पालिसी बनायें कि जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं उनका भी प्रवेश हो सके। इसके साथ ही नये छात्रों का प्रवेश भी सुनिश्चित किया जाय। आपने नया पाठ्यक्रम भी लागू कर दिया है। जो छात्र फेल हो गये हैं और वह वर्ष 2000 की परीक्षा में बैठेगें तो वह किस पाठयक्रम के अनुसार परीक्षा देंगे-नये की, या पुराने। यह सुनिश्चित किया जाय। मैं इस लोक महत्व के सवाल पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप सरकार को निर्देश दें कि कोई स्पष्ट नीति निर्धारित करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो अनुतीर्ण या फेल व्यक्ति हैं उनके सम्बन्ध में सदैव शाक्य जी की ओर से जिक्र आया है। जो छात्र पास हो गये हैं, उनकी चिंता नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य- कल कार्यवाही में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और शाक्य लिंग का जिक्र आया। यह आपने जिक्र किया।

श्री हुकुम सिंह-

आपने गलत नाम ले लिया। सदन के एक बहुत ही विद्वान सदस्य जो एम0डी0 भी है, उन्होंने इसका जिक्र किया। उनसे अच्छा प्रमाण पत्र देने वाला और कोई है नहीं। आप उनसे सम्पर्क कर लें।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 1,438 राजकीय विद्यालय हैं। 5 हजार ऐसे विद्यालय हैं जो शासन से सहाययता प्राप्त हैं। 5878 ऐसे है जो मान्यता प्राप्त है लेकिन अनुदान सूची पर नहीं हैं मान्यवर, इस वर्ष नाम को शिथिल करते हुए 1857 विद्यालयों को मान्यता दी है। ताकि प्रवेश में सुविधा हो सकें। 363 ऐसे विद्यालय स्थापित कराये गये, कन्याओं के लिए जो असेवित विकास खण्ड में थे यह सब कुछ इस सरकार ने किया। यह बात कि कुछ लोगों का प्रवेश नहीं हो रहा है सरकार का किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हो जाए उनको प्रवेश न दिया जाए वहां के प्रबन्धतंत्र का अपना विवेक है। वे अपने विद्यालय के स्तर का कायम करने के लिए किस प्रतिशत तक प्रवेश देते है। रोज सुनने में आता है कि फलां विद्यालय ने कट आंफ प्रतिशत 80 रखा है या 70 रखा है। अब विद्यालयों पर यह प्रतिबन्ध लगा दें कि केवल फेल वालों को प्राथमिकता देगें तो वह तो हम नहीं कर पायेंगे। हमने जो अतिरिक्त व्यवस्था की हैं इसके बारे में बताया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय शाक्य जी और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

* श्री राम कृपाल-

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत मेजा तहसील जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, थानाखीरी में 8 मई को आम के सवाल को लेकर दो लोगों में विवाद हुआ। इसके बाद थाना खीरी में एक प्रार्थनापत्र दियाजाता है रात में नौ बजे। थानाध्यक्ष मय पी0ए0सी0 उस आदिवासी बस्ती पर चढ़ जाते हैं और देवरी बराह गांव में इतनी मार-पीट किया कि पूरे आदिवासियों को वहां से निकाल दिया। हम जब अगले दिन सुबह वहां जाते हैं तो उन्होनें मुझे उस गावं में जाने से रोका ओर कहा कि आपकों अधिकार नहीं है। इस तरह का व्यवहार उस थानाध्यक्ष राजेश चौधरी ने किया। हमारे सहयोगी श्री मानिक लाल जो लरियारी के पूर्व प्रधान हैं, जीप से उस गांव में गये। जो महिलायें और बच्चे चोट खाए थें उनकों लेकर वे आ रहें थे। उनको बलपूर्वक रोक दिया गया। मुन्नीलाल आदिवासी से वे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है।

मान्यवर, उसने कहा कि मेरा नाम मौनी लाल आदिवासी है। उसके आदिवासी कहने पर उसे बल पूर्वक गाड़ी में बिठा लिया गया और थाने ले जाकर उसको पीटा गया और 4 सिपाहियों को उसके हाथ पैर पर खड़ा करके बत्ती जलाई गई और उसकी पूरी पीठ को जलाया गया। यहां तक कि उसके गुप्तांगों में पट्रोल डाला गया। यह थानाध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही हैं। थानाध्यक्ष द्वारा मौनी लाल और छोटेलाल के गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया और कहा गया कि तुम गुण्डागर्दी करते हो। कोराव थाने के अन्तर्गत बैराला गांव में एक हफ्ते से 7 आदिवासियों को पकड़कर थाने में रखा गया है। उसके बाद 30 तारीख को हवालात में बन्द किया गया। मैंने तारघर से तार किया है 2.00 बजे। मान्यवर, 30 तारीख को ढ़ाई बजे रात उनकी मुठभेड दिखाकर गिरफ्तार दिखाया जाता है। थाने पर पहुचने का समय 1.00 बजे है, ढ़ाई बजे पकड़ा जाता है।

एक सदस्य-

मान्यवर, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसकों नाम लिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम कृपाल-

मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि थानाध्यक्ष को निलम्बित कर तत्काल उसके विरूध कार्यवाई करें यह सब मानव संसाधन विकास मंत्री के इशारे पर किया जा रहा है। मैंने तार दिया है प्रमुख सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लगातार इस सदन में कहा जा रहा है कि हमारी सरकार दलितों की हिफाजत के लिए सारी कार्यवाई कर रही है मेरा मानना है कि जैसे मेरे क्षेत्र में हुआ है। गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया और शिकायत करने के बाद कोई कार्यवाई नहीं हुई। गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। जिससे यह साफ जाहिर है कि यह गरीबों और दलितों की हितैशी सरकार नहीं हैं।

मान्यवर, जब मैं जेल गया और मुझे 7 तारीख को नजायज तरीके से हजारों पुरुषों और बच्चों के साथ गिरफ्तार किया और जेल भेजा गया। तो हमारे एक सदस्य हमसे मिलने गये तो हम लोगों को उस समय खुले आसमान के नीचे रखा गया था, बैरेक के बाहर रखा गया था और खाने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया था। जब वह लौटकर आये उसके बाद मुझे बैरेक में रखा गया। इलाहाबाद के कलेक्टर और एस0पी0 थाने जाते हैं जब मैं वहां पर बैठा हुआ था। और मुझसे कहा कि रासुका में जाने के लिये तैयार हो जाओ, आप इस क्षेत्र के अन्दर पुलिस वालों से विवाद करते हैं। पुसिल मार-पीट कर रहीं है, बदसलूकी कर रही है, अगर हम उसका प्रतिरोध करते हैं तो डी0एम0 और एस0एस0पी0 हम पर रासुका लगाने की तैयारी कर रहें हैं यह सब (× × ×) के इशारे पर कार्यवाही करने की सारी योजना बनाई जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

जो सदन में उपस्थित नहीं है, उसका नाम लिया जायेगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। अब कृपया आप समाप्त करें।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर तथा अनुमति न दिये जाने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह विधायक राम कृपाल जी का अपना मामला है, इस मामले में अगर सरकार का ऐसा दृष्टिकोण होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। रेवती रमण सिंह जी वहां गये थे, इनकी बात नहीं सुनेगें तो असलियत का पता कैसे चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

सूचना पर इनके हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

विधायक की सुरक्षा नहीं रहेगी तो नियमों का कोई अर्थ नहीं है। हम नियमों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब माननीय विधायक पर इस तरह की अमानुषिक स्थितियां पैदा हों और आप सुनेगें नहीं तो केवल नियमों से कैसे काम चलेगा?

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

जिनका सूचना पर हस्ताक्षर था, सबको ग्राह्यता पर सुना, मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। यदि इनकी इस प्रकरण में दिलचस्पी थी तो सूचना पर हस्ताक्षर होता, हमें कोई कठिनाई नहीं थी। सूचना देने वाले माननीय सदस्य की बात आ गई, अब संसदीय कार्य मंत्री जी को शासन पक्ष की ओर से क्या कहना है, आ जाने दीजिये। अगर कोई बात माननीय विधायक, माननीय सदस्य, विधान सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं हुई हैं तो हम सबके लिये यह चिन्ता का विषय है। पहले संसदीय कार्य मंत्री की बात तो आ जाने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

कुंवर साहब की बात तो पहले आ जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मैं गलत परम्परा नहीं डालूंगा, भानुमती का पिटारा खोलने नहीं दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैं आपकी अनुमति से ही बोलूंगा। चूंकि मैं जेल में गया था और मैंने कार्यवाही कराई है, इसलिये कुछ बात रखना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

पहले संसदीय कार्य मंत्री की बात तो आ जाने दीजिये।

* श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह कोई समान्य सूचना नहीं है। विधायक के साथ क्या-क्या बदसलूकी हुई है, इस पर सारे सदन को चिन्ता करनी चाहिये। कुंवर रेवती रमण सिंह जी वहां जा चुके हैं, अगर वह अपनी बात रखना चाहते हैं तो उनकी बात रखने का मौका मिलना चाहिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, रामकृपाल जी मेजा सुरक्षित क्षेत्र से विधायक हैं और बहुत कर्मठ विधायक हैं मान्यवर, मैं मौके पर गया था और देखा है, इनके साथ जो व्यवहार किया गया है, वैसा व्यवहार कभी नहीं किया गया है, किसी पर नहीं किया गया होगा। इनके साथ लोगों ने मारपीट की और इनको जेल भेजा दिया गया। जेल में जब मैं गया तो देखा कि हजारों स्त्री और पुरुष जेल में बन्द हैं। चिलचिलाती धूप में उनको जेल में रखा गया, आसमान के नीचे उनको रखा गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उनको बैरेक तक नहीं दी गयी, बैरक के बाहर रखा गया। मैंने जब डिप्टी जेलर से बात किया तो बताया कि बैरेक में स्थान नहीं हैं, तो मान्यवर यह कोई बात नहीं हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने यहां पर आकर प्रमुख सचिव और आई0 जी0 से बात किया और तब उनको बैरेक में रखा गया। मान्यवर, वहां का जो दरोगा है वह बहुत ही पावरफुल है, वह किसी की परवाह नहीं करता है, उसको वहां से हटाया जाये। अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो पता नहीं, वह क्या कर बैठे। इससे बड़ी लज्जा की और बात नहीं हो सकती है कि स्त्री पुरुषों को बैरेक के बाहर रखा गया, इससे लज्जा की और क्या बात हो सकती है।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय रेवती रमण सिंह का विषय था, इसलिये उनको अनुमति दे दिया था, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप जो कह रहे हैं, वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

(× × ×)

श्री अधिष्ठाता-

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री राम कृपाल जी ने कुछ बातों का उल्लेख किया है और उत्पीड़न की बात कही है और कुँवर रेवती रमन जी ने उनकी भावनाओं से अपने को अटैच करने की कोशिश की है। मुझे जिला प्रशासन से जानकारी मिली है, उसी के आधार पर मैं सदन में जानकारी दे रहा हूं। एक घटना खीरी देवरी की है और दूसरी खुर्द कोरांव की है। जहां तक कोरांव की घटना का सम्बन्ध है, 21-5-1999 को पारस नाथ शर्मा ने एक रिपोर्ट लिखाई कि उनके यहां पर लूटपाट हो गयी है और उस रिपोर्ट के आधार पर धारा 394 में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने तफतीश किया और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और लूट का सामान भी बरामद किया गया और जब लूट का समाना बरामद हुआ तो 395 और 397 में मुकदमें को परिवर्तित कर दिया गया। मान्यवर, अगर घटना पर पुलिस न जाये तो आप कहें।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, जो दूसरी घठना है, इसमें राज नारायण ने रिपोर्ट लिखाई है कि उनके घर पर चढ़कर मार-पीट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि दीवान साहेब जांच के लिये जा रहे थे, लोगों ने उनके साथ मार-पीट की, उनको पकड़ लिया और उनकी पिटाई की गयी। आप दीवान की पिटाई भी करेंगे और तफतीश की कार्यवाही भी चाहेगें मान्यवर, इसमें कुछ लोगों को गिरफतार किया गया।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

दरोगा ने कहा कि गोली मार दो।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप माननीय मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कुंवर साहेब बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है। आप हमारे संरक्षक हैं, आप सरकार को निर्देश दें।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की हैं और बीच में ही खड़े हो गये।

श्री अधिष्ठाता-

लोकतंत्र में किसी भी तथ्य पर पहुंचने के लिये यह आवश्यक है कि सभी पक्षों को सुन लिया जाये। उनकी बात समाप्त हो जाये, तब आप अपनी बात कह दें।

श्री हुकुम सिंह-

अब एक मुद्दा आया कि एक विधायक की गरिमा का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि विधायक जी की जो सूचना है, उसको पढ़ कर देख लें,

(व्यवधान)

आप सुन तो लें। मुझे कह तो लेने दें, तब आप अपनी बात कह लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, अगर आप कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो बाद में कर लें मैं आपको अवसर दे दूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दें।

श्री हुकुम सिंह-

आप पढ़कर बता दें, जिस राम कृपाल जी के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो।

मान्यवर, 2 एफ0 आई0आर0 हुयी हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही की है जिसको मैंने बताया है। अब तीसरा अंश यह है कि जो गिरफ्तारी हुयी उसका विरोध करने के लिये कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और उनको 15। में गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, दो ही मशीनरी होती हैं। एक तो पुलिस जांच करे या दूसरे अगर कोई शिकायत है तो मैजिस्टीरियल इन्क्वारी करायी जाय। इसी बात को देखते हुये कि विधायक द्वारा शिकायत की गयी है। अपर जिलाधिकारी हरेन्द्र वीर सिंह द्वारा जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट आ गयी है। उसमें पुलिस द्वारा बदसलूकी करने की घटना की पुष्टि नहीं हुयी है। जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी तफ्तीश की गयी और उसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है। मैं तथ्यों के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि इस घटना की मैजिस्टीरियल जांच हुयी है और जांच से ऐसा कोई तथ्य जो कहा गया है उसकी पुष्टि नहीं हुयी है। मुकदमा कायम किया गया है ओर उसके आधार पर तफतीश की गयी है। इस घटना को संज्ञान में लेने का कोई प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह जो सूचना है यह अधिकारियों के माध्यम से मंगवायी गयी है। आपने कहा कि इसको भावुक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय रेवती रमण जी खुद वहां पर गये थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि भावुक बनाने के लिये विधायक का नाम लिया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। यह विधायक के अधिकारों और उसके सम्मान का प्रश्न है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत शर्मनाक उत्तर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि उनके दृष्टिकोण को सुधारने के लिये उनको निर्देशित करें और दोषी लोगों को दंडित करवाने का जब तक सरकार फैसला नहीं लेती है तब तक इस प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो सकता। एक विधायक के सम्मान का मामला है यह बात इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा और माननीय राम कृपाल का सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। मुझे लगता है कि उनकी करुण पुकार सुनकर वह आये हैं। मान्यवर, प्रजातंत्र में विधायिका होती है और विधायिका में विधान सभा होती है। विधान सभा की मान्य परम्परा है कि हम शपथ ग्रहण करते है और उसके बाद हम यहां की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते है। आप पढ़कर देखें, 100 नजीरें मिल जायेगी। यह यहां की परम्परा है कि यदि विधान सभा के अंदर कोई विधायक कोई कथन करता है, कोई बात, कहता है तो उसे सत्य माना जाता है जब तक कि उसे असत्य साबित न कर दिया जाये। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को मान्यवर, इसका संज्ञान होगा। हम लोगों का एक

अनुरोध सुन लें। माननीय सदस्य यहां पर है। उनका दुर्भाग्य है कि दलित वर्ग से वह आते हैं और सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य है कि वह विधान सभा के सदस्य हैं। सारा सदन यहां बैठा हुआ है। आप उनकी बात को सुन लें और अगर उनके साथ बदसलूकी हुयी है तो उसको सुन लें और उसके बाद सरकार से पूछें कि सरकार क्या कार्यवाही करेगी।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सरकार का पक्ष रख दिया लेकिन विधायकों के पक्ष के बारे में आपने कुछ सोचा नहीं। राम कृपाल जी ने जो बातें कही वह आपको सत्य नहीं लगी बल्कि जिला प्रशासन के रिपोर्ट को आपने पढ़ दिया। उसी जिला प्रशासन ने इनको धारा 151 में एक हजार औरतों और पुरुषों को कचेहरी से लेकर नैनी जेल लगभाग 7 किलोमीटर पैदल ले गये। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्भवतः आपके संज्ञान में यह बात नहीं आयी। इन लोगों को जेल में खुले मैदान में रखा गया थां और लगभग 44 डिग्री टेम्प्रेचर था। वहां पर दरोगा ने यह कहा कि कहीं राम कृपाल विधायक दिखायी दे जायेंगे तो उनको गोली मार दी जायेगी। यह बात अगल-बगल के क्षेत्र के लोगों को मालूम है। अभी रिपोर्ट पढ़ी गयी, जिसने दरोगा और दीवान को मारा था। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसने नहीं मारा था उसके खिलाफ रिपोर्ठ लिखा दी गयी। वहां के पुलिस वाले भी जानते है। जिला प्रशासन ने इनको बन्द कर दिया। अगर होई कोर्ट ने इनकों न छोड़ा होता तों यह 15 दिन से जेल में बन्द थे। भोजन भी ठीक से नहीं मिल रहा था। मैं 4.00 बजे शाम को गया तो देखा भोजन दे रहे थे।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक बार श्री हरीश जी के साथ वाराणसी के एस0एस0पी0 ने दुर्व्यवहार किया था, उस समय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री थी। हम लोगों ने बैठ करके उस एस0एस0पी0 का स्थानान्तरण करवाया था। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस पूरे सदन के सम्मान के लिये कम से कम आप इतनी कृपा करें कि उस दरोगा को वहां से स्थानान्तरित कर दें और एक उच्च स्तरीय जांच पूरे मामले की कोई उच्च अधिकारी भेजकर करवा लें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा। अब मान्यवर, राम कृपाल जी की बात भी सुन लें।

श्री राम कृपाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार का पक्ष रख रहे थे। 29 तारीख को दो-ढाई बजे रात में गिरफ्तारी की गयी। 30 को 9.00 बजे मैं थाने जा करके मिला। कोरॉव के 7 आदमियों को बरौला में मुठभेड़ में दिखाकर बन्द किया गया। इसकी गवाह पूरे क्षेत्र की जनता है। उसके बाद पहले वाली घटना जो खीरी में हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने रजिस्ट्री किया, गृह सचिव को रजिस्ट्री किया इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। दरोगा ने खुलेआम कहा

कि अगर विधायक मिल जायेगा तो उसको गोली मार देंगे। 13 किलोमीटर पैदल चलकर लोग नैनी जेल तक गये। वहां पर बहुत यातनायें दी गयी। खुले आसमान के नीचे रखा गया, न कोई दरी मिली बैठने के लिए, भूखा रखा गया। हमारे नेता हरिशचन्द्र द्विवेदी आमरण अनशन पर बैठे। हमारे कुंवर साहब ने वहां जाकर के बातचीत की, तब जाकर व्यवस्था हुई। मान्यवर, कोरांव थाने से जिनको जेल भेजा गया है वह गरीब आदमी है, उनके नाम से किसी भी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है लेकिन आज उनको डकैत बनाकर भेज दिया गया है। इसलिए खाड़ी कोरांव के थानाध्यक्षों को निलम्बित किया जाए एवं इसकी उच्च स्तर जांच कराई जाए।

श्री हुकुम सिंह-

यह कहते हैं कि साधारण मारपीट हुई और वह जेल में गया। धारा 395 का मुकदमा कायम हुआ। इसमें माल भी बरामद हुआ अगर यह मुकदमा गलत है या यह घटना नहीं घटित हुई है तो वह एक प्रार्थना-पत्र दिलवा दें। इसकी सी0आई0डी0 जांच करवा देंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

इसमें ए0डी0एम0 के स्तर के अधिकारी ने जांच की जांच के बाद यह तथ्य पाए गए हैं। आपने जो यह कहा कि 395 का मुकदमा गलत दर्ज हुआ उसके लिए हम दूसरी एजेंसी सी0आई0डी0 से जांच करवा सकते हैं। अगर गलत बात आती है तो स्वाभाविक है कि कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान जारी)

उच्च स्तर की बात कही जा रही है कौन से स्तर के अधिकारी से जांच करवाना उच्च स्तर की जांच होती है।

डा0 वकार अहमद शाह-

इसकी जांच बोर्ड आफ रेवेन्यू के किसी मेम्बर से करवा लें।

श्री हुकुम सिंह-

यह नहीं चाहते हैं कि वास्तविकता सामने आए।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज सदन में माननीय राम कृपाल जी ने जिस सूचना के माध्यम से यह प्रकरण नियम-56 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया उस नोटिस में केवल एक वाक्य ऐसा है कि मेरे विधान सभा के लेटर पैड्स और कागज से भी वंचित कर दिया गया, सूचना में कहीं पर भी बदसलूकी का उल्लेख नहीं है। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा स्वयं सदन में खड़े होकर और उनके साथी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बहुत ही अनुभवी सदस्य कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि वह स्वयं जेल में गये थे, कई बातें इस प्रकरण में आयीं कि माननीय सदस्य को नैनी जेल में खुले आसमान के नीचे रखा गया, यह निश्चित ही एक चिन्ता का विषय है। किसी भी प्रकार से किसी भी माननीय सदस्य की गरिमा का हनन होना एक गम्भीर प्रकरण है। मैं श्री राम कृपाल जी से आग्रह करूंगा कि वह स्वयं खड़े होकर इस बात को कहें कि वह किस प्रकार की और किससे जांच कराना चाहते हैं जिससे कि माननीय सदस्य को लगता हो कि सदन की गरिमा तथा सदस्य की गरिमा भी बनी रहे।

श्री राम कृपाल-

मान्यवर, दरोगा को निलम्बित करके बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से जांच करा ली जाये।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से जांच कराने की बात कही गयी है, बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर से जांच करा ली जायेगी और 395 का जो मुकदमा कायम है, वह झूठ है या सच उसका भी पर्दाफाश हो जायेगा और साथ ही इस केस में कौन इन्वाल्व थे और उनको छुड़ाने कौन गया और किसने दबाव डाला यह सारे तथ्य जांच के बाद आ जायेंगे। तथ्यों के आने के बाद ही एक्शन होगा, उससे पहले एक्शन करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य ने जो अनुरोध किया था, राजस्व परिषद् के सदस्य से जांच करा ली जाय। वह बात मान ली गयी। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है।

(श्री राम कृपाल और श्री रामजग वेल में आ गये-घोर व्यवधान)

(श्री राम कृपाल और श्री रामजग वापस अपने स्थान पर चले गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जब एक सदस्य की गरिमा ही नहीं रह जायेगी तो फिर इस स्थान पर बैठने का क्या महत्व रह जायेगा।

395 की घटना का जहां तक सवाल है उसकी आप जांच कर लें यह एक अलग हिस्सा है परन्तु विधायक जी के साथ जो दुव्यर्वहार हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दरोगा को निलम्बित कर दिया जाय, इतनी सी बात है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता सदन इसी सदन के सदस्य हैं। नेता सदन होने के नाते उनकी नजर में दरोगा की औकात ज्यादा और इसी सदन के सदस्य की औकात उससे कम है तो वह अपने इस नजरिये को बदल दें। जो उन्होंने मेम्बर बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच कराने के लिये कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि उस थानेदार को तुरन्त निलम्बित किया जाय और इसकी घोषणा माननीय नेता सदन करें। अगर दरोगा की विश्वसनीयता विधायक के उपर हो जायेगी जो आज राम कृपाल जी के साथ हुआ है कल किसी भी विधायक के साथ हो सकता है। आप के साथ भले न हो क्यों कि आपके साथ पूरी फौज रहती है। अन्य लोगों के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। विधान सभा के सदस्य के बारे में यह धारणा रहेगी तो कोई भी दरोगा किसी भी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। कुंवर साहब की बात नहीं मानी, राम कृपाल जी की बात नहीं सुनी। दरोगा की बात मान रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिये उस दरोगा को तत्काल निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

* श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आप पुलिस की रिपोर्ट पर निर्भर कर रहे हैं। इस देश में जब आपातकाल लगा था तो उस समय पुलिस की गलत रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को जेलों में भरा गया था। आज भी आप पुलिस की रिपोर्ट को मान रहे हैं तो फिर उसके आधार पर लोग जेल में भरे जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप यह अवसर भाषण देने के लिये सोच रहे हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

जब 1975 में इमरजेन्सी लगी थी उस समय माननीय नेता सदन अच्छी तरह से वाकिफ होंगे और कदाचित संसदीय कार्य मंत्री उस समय किसी दूसरी पार्टी में थे पुलिस ने एक झूठी कहानी बनाकर देश के तमाम लोगों को जेल में डालने का काम किया था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। मैं भाषण देने का अवसर नहीं दे रहा हूं। एक बात आ गई सभी माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं। वह आ गई। अपनी वाक पटुता का प्रदर्शन न करें।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

(× × × ×)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात लिखी नहीं जा रही है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

(× × × ×)

(कई सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

(व्यवधान)

(श्री अम्बिका चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री रामतेज यादव, एडवोकेट, श्री अफजाल अहमद, डा0 वकार अहमद शाह, श्री रामकृपाल, श्री सीताराम निषाद आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और अपनी बात कहने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

वेल में खड़े होकर जो माननीय सदस्य कुछ कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा। आप अपने आसन पर जाकर बात करें। एक विषय पर दस लोगों को बोलने की कैसे अनुमति दी जाएगी?

श्री अम्बिका चौधरी (फ्लोर से)-

(× × × ×)

(व्यवधान)

(श्री अवधेश प्रसाद एवं कई सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

श्री अधिष्ठाता-

अवधेश प्रसाद जी किसी बात को अंकित नहीं किया जाएगा।

(सभी सदस्य फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गए।)

नोट :- (× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ दिक्कत हो सकती है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते हैं परन्तु एक माननीय सदस्य का जहां तक सवाल है वह इस सदन की गरिमा से जुड़ा सवाल है, माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी जांच करायें, सस्पेंड करने में कुछ दिक्कत आ सकतीहै लेकिन जिस नेचुरल जस्टिस की बात कह रहे हैं तो अगर वह थानाध्यक्ष उसी थाने पर तैनात है और उसके रहते जांच होती है तो क्या वह प्रभावित नहीं होगी। इस प्रकरण को ध्यान में रखकर आप कार्यवाही करें उस दरोगा को वहां से हटा दें और जो जांच होगी उसमें बिन्दु निर्धारित कर दें। इसमें एक चीज जरूर निश्चित रहे उस दरोगा ने माननीय सदस्य को जान से मारने की धमकी दी या नहीं, इससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि जो आरोप आए उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है दूसरी बात उनको जेल में खुले में रखा गया। जांच में यह बिन्दु भी सम्मिलित रहे यदि एक पक्षीय जांच होगी तो सम्पूर्ण तथ्य सामने नहीं आएंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने कार्यवाही करने में तथ्य सामने नहीं होंगे तो उनको कार्यवाही करने में दुरुहता होगी, माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि पहला बिन्दु तो यह कि जो दरोगा है उसे हटाकर जांच हो और दूसरे बिन्दु जो मैंने बताए उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के नेता हैं। किसी ऐसी घटना पर सम्मानित सदन के सदस्य यह महसूस करें, उन्हें लगे कि उनके साथ आचरण पक्षपातपूर्ण है। मान्यवर, जिस घटना की जांच के संबंध में कह रहे हैं वह 395 से जुड़ी हुई नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम सी0आई0डी0 से जांच करायेंगे तो वह सी0आई0डी0 से करायें या फिर बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन से करायें जिससे चाहें वह करा लें। लेकिन जिस थानाध्यक्ष ने गोली मारने की धमकी दी उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वह संज्ञान न लें तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। राम कृपाल जी के खिलाफ कभी भी 307 या 395 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है।

(सेल्यूलर फोन की घंटी बजने लगी)

श्री अधिष्ठाता-

बार-बार इस पीठ से निर्देश देने के बावजूद कुछ माननीय सदस्य अभी भी सेल्यूलर फोन ला रहे हैं जो कि अत्यन्त अनुचित है और मैं आग्रह करूंगा कि भविष्य में किसी प्रकार के सेल्यूलर फोन माननीय सदस्य न लायें। मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि जितने भी सेल्यूलर फोन इस विधान सभा मण्डप के अन्दर हैं उन सबको जब्त करके अध्यक्ष महोदय के यहां भेज दिया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल-

केवल इसलिए कि प्रतिपक्ष के है इसलिए उस घटना का संज्ञान न लें तो यह ठीक नहीं है। इस पीठ से अनेकों बार इस तरह के मामले उठे हैं और स्थानान्तरण किया गया है और सरकार यह कहती भी है कि स्थानान्तरण कोई सजा नहीं है तो फिर उसका स्थानान्तरण करके जांच करायें। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस कथन को कहना, आप यह जानते हैं कि पुलिस की मानसिकता किस तरह की होती है यह आप जानते हैं वह किस तरह से सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ता और विधायकों के साथ व्यवहार करती है। यह आप जानते हैं।

मान्यवर, यह कहा गया कि वह दबाव डालने गये थे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उनकी दरोगा से मुलाकात ही नहीं हुई तो अनुचित दबाव वे कैसे डालते। यह उन्होंने कहा है। यह बात अगर उनकी झूठ निकले तो वह इस्तीफा देने को तैयार हैं अन्यथा मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें। इस सम्बन्ध में दरोगा को स्थानान्तरित किया जाय और तब निष्पक्ष जांच करायी जाये।

* श्री राम जग-

अधिष्ठाता महोदय, आज इस सदन के सम्मनित सदस्य, जिन्होंने सदन के सामने इस बात को बताया कि थानेदार हमको गोली मारने की धमकी दे रहा है और यही नहीं गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इस जून के महीने में खुले आसमान के नीचे रखा। आप मुख्य मंत्री हो और आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वह सत्ता पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का सदस्य हो सबके प्रति आपकी जिम्मेदारी है और इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखें। लोकतंत्र में हमको अधिकार है कि जहां गरीबों के प्रति जुल्म ज्यादती हो, वह कहें कि जुल्म ज्यादती न हो वहां पर दलितों, आदिवासियों के साथ मारपीट की जाती है उनके गुप्तांगों में पेट्रोल डाला जाता है। रामकृपाल जी वहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं। नेता सदन कहते हैं कि हम विधायकगण की गरिमा का ध्यान रखेंगे उसे कायम रखेंगे। जिस थानाध्यक्ष ने उनको धमकी दी है, उसके वहां रहते न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आप थानाध्यक्ष को पहले मुअत्तल कर दें निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि उसे वहां से तत्काल हटाया जाये। खुली जांच करायी जाये। उनको गोली मारने की उसने धमकी दी है। 13 कि0मी0 पैदल चलाकर विधायक जी को नैनी जेल में भेजा गया है। आप इसमें अध्यक्ष पीठ से निर्देश दें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय नेता सदन में राजस्व परिषद् के सदस्य से इसकी जांच कराने की घोषणा की। अच्छा यह होगा कि माननीय राम कृपाल जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखकर दे दें कि किन-किन बिन्दुओं पर वे जांच चाहते हैं उन-उन बिन्दुओं पर जांच करा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री राम कृपाल व अन्य माननीय सदस्यों को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री व माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद-

उस पर अनुसूचित जाति संबंधी ऐक्ट लागू हो, यह दलित विरोधी सरकार है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, उस दरोगा का क्या हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

अब हम आगे बढ़ते रहें, माननीय समर पाल सिंह जी की अगली सूचना है।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं वह अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

(* * *)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

(* * *)

श्री अधिष्ठाता-

समरपाल जी अपनी बात कहें।

अगर समरपाल जी अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं तो कौकब हमीद जी अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

(* * *)

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब स्पष्ट कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

(* * *)

श्री अधिष्ठाता-

मेरी अनुमति के बिना माननीय सदस्य जी बोल रहे हैं जो वह अंकित नहीं किया जायेगा।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री अम्बिका चौधरी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम जग आदि कई सदस्य अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे।)

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रलाप को अंकित करने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अम्बिका चौधरी-

(* * *)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 समरपाल जी, अपनी बात कहें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कराइये।

श्री अधिष्ठाता-

समरपाल जी, अगर आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और कौकब हमीद जी को बुलाता हूं।

(व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल पर आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया सदन को व्यवस्थित करें।

सदन के वेल से माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह अंकित नहीं किया जायेगा। समरपाल जी, आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं कि नहीं। श्री कौकब

नोट :- (* * *) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हमीद, श्री बनारसी दास चान्दना, इसके बाद श्री अवधेश प्रसाद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सीताराम निषाद की सूचना है, कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना नहीं चाहते हैं । अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार, डा0 अम्मार रिजवी, श्री लोकपति त्रिपाठी, श्री अखिलेश सिंह, श्री विजय प्रकाश एवं रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी की है । कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर रहा है ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से नारे लगाते रहे)

श्रीमती गौरी देवी की जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गतवर्ष आयी बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा एहतियाती तौर पर कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेदकरनगर के जहांगीर क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर से साबितपुर व देवारा से बांधा तक पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

श्री रामप्यारे सिंह की प्रदेश में विशेषकर जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील अन्तर्गत गतवर्ष की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान तथा पर्याप्त इंदिरा आवास न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री अम्बरीष कुमार, श्री अम्बिका चौधरी एवं श्री संजय गर्ग की प्रदेश में खरीफ की फसल के समय किसानों को बीज, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री राम नरेश यादव की जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी अन्तर्गत ग्राम निवेरा निवासी श्री आशाराम के घर पर धावा बोलकर पारिवारिक सदस्यों को घायल किये जाने तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(व्यवधान के मध्य)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(स्थान ग्रहण न किये जाने पर)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गई, अतः अस्वीकृत हुई, इनके नाम हैं, श्री रामचन्द्र यादव, श्री दद्दू प्रसाद, श्री बनारसी दास चान्दना, श्री राम नक्षत्र, श्री भोला शंकर मौर्य, डा0 धर्मज्ञ मिश्रा, श्री अब्दुल मन्नान, श्री सुधाकर सिंह, श्री मुन्ना चौहान, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री मूलचन्द्र, श्री हरदेव सिंह, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा0 अशोक बाजपेई, श्री प्रमोद कुमार, श्री रामललित चौधरी, श्री श्रीराम पाल, श्री सतीश जतारिया, श्री रामजग, श्री लालमणि प्रसाद, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और अंतिम सूचना श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री बनारसी दास चान्दना की है ।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य अगर चर्चा करना चाहें तो विचार रखें।

(कई सदस्यों के खड़े रहने पर)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री अधिष्ठाता-

वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अनुपूरक मांगों पर चर्चा प्रारम्भ की जाती है, जो माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं, रखें।

(किसी सदस्य द्वारा विचार न रखने पर)

अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,06;50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,06,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 02-आवास विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 02-आवास विभाग के अन्तर्गत 86,07,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02-आवास विभाग के अन्तर्गत 86,07,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 9,46,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 9,46,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,80,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 1,80,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 34,09,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 34,09,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 9-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 2,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 8,62,000

रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक- विकास) के अन्तर्गत 8,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 4,97,25,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 4,97,25,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास) के अन्तर्गत 9,31,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 9,31,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,51,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 1,51,17,000 रुपये अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,79,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 4,79,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,42,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,42,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बन्द्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 4,16,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 4,16,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 10,80,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 10,80,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 94,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 94,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999- 2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 21-(खाद्य तथा रसद विभाग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 5,86,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 5,86,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-22 खेल विभाग

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0 22-खेल विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 22-खेल विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 14,97,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 14,97,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं अपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 92,72,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 92,72,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत-6,87,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 6,87,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,86,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाते रहें)

अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 19,82,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 19,82,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,96,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,96,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 51,18,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 51,18,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 7,99,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 7,99,34,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 35,47,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 35,47,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 49,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 49,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 39,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 39,50,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल के सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 62,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 62,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 12,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 12,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं की अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 57,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 57,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 4,08,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 4,08,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 6,24,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 63,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 63,90,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,33,44,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 4,33,44,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,44,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,44,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,28,87,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,28,87,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,44,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,44,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 97,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत 97,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता

हूं कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,60,33,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा एवं अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,60,33,69,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनूपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जायें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,70,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,70,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 1,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया आर स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 14,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 14,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप भी उन्हीं विधायकों में से हैं जिस सूची में से मंत्री जी दरोगा से विधायकों को पिटवा रहें हैं।

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,06,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,06,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफरिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,02,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 3,02,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

* श्री रामजग-

मान्यवर, आज पूरे सदन की गरिमा गिर रही है। कोई भी तानाशाह बहुत दिन तक राज नहीं कर सकता। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री उस दरोगा की तरफदारी कर रहें हैं जो इस माननीय सदन के नेता को गोली मारने की धमकी दे रहा है। माननीय सदस्यों के सम्मान का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

जहां एम0एल0ए0 नीचे और दरोगा ऊपर है वह स्थान तो मान्यवर नेता सदन ने समाप्त कर दिया। हम कहां जायं ?

श्री अधिष्ठाता-

इस तरह से वेल में खड़े होकर कोई बात नहीं की जाती है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 21,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

21,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 3,98,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछडा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 3,98,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

(पर्चे फाड़ कर फेंके गये)

श्री अधिष्ठाता-

जो माननीय सदस्य इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वह उचित नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 23,26,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 23,26,08,000 रुपये की अनुपूरक

मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 82- सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य मंत्री, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 35,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82 सर्तकता विभाग के अन्तर्गत 35,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण कर लें।

अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 13,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 13,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव

करता हूं कि अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त (घोर व्यवधान के मध्य) विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 9,32,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 9,32,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 2,20,22,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 2,20,22,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-95-उत्तरांचल विकास विभाग

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95 उत्तराचंल विकास विभाग के अन्तर्गत 67,48,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95 उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 67,48,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए स्वीकार की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान जारी रहा)
(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक 1999 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जाएं। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं। कृपया अपना आसन ग्रहण करें, और अनुदान पर चर्चा में भाग लें।

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के वैल पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 व खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1

प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

31 मार्च, 2000 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) अधिनियम, 1999 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1999-2000 के लिये 17,65,37,71,000 रुपये का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2000 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 17,65,37,71,000 रुपये (एक हजार सात सौ पैंसठ करोड़, सैंतीस लाख इकहत्तर हजार रुपये मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1 आबकारी विभाग	राजस्व	13650	*48559*	62209
	पूंजी	7000	...	7000
2 आवास विभाग	राजस्व	...	*44000*	44000
	पूंजी	860776	...	860776

अनुसूची—(क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	12198	*833*	13031
		पूंजी	82500	...	82500
5	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व	100000	...	100000
		पूंजी	...	...	...
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	11606	...	11606
		पूंजी	6438	...	6438
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	71800	...	71800
		पूंजी	269140	...	269140
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व	23000	...	23000
		पूंजी	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	862	...	862
		पूंजी	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	4972570	...	4972570
		पूंजी	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व	86788	...	86788
		पूंजी	6374	...	6374
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व	15117	*266*	15383
		पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	34814	...	34814
		पूंजी	13100	...	13100
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	14289	...	14289
		पूंजी	40000	...	40000
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	41627	...	41627
		पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	108099	*5830*	113929

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3	
19 कार्मिक विभाग	राजस्व	9480	...	9480
(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
21 खाद्य तथा रसद	राजस्व	...	...	...
विभाग	पूंजी	58661	...	58661
22 खेल विभाग	राजस्व	2000	...	2000
	पूंजी	...	...	...
24 गन्ना विकास विभाग	राजस्व	...	...	...
(चीनी उद्योग)	पूंजी	149793	...	149793
25 गृह विभाग	राजस्व	200	...	200
(कारागार)	पूंजी	...	...	...
26 गृह विभाग	राजस्व	921594	...	921594
(पुलिस)	पूंजी	5686	...	5686
27 गृह विभाग	राजस्व	68700	...	68700
(नागरिक सुरक्षा)	पूंजी	...	...	...
28 गृह विभाग (राजनैतिक	राजस्व	486	...	486
पेंशन तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
31 चिकित्सा विभाग	राजस्व	198205	...	198205
(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	...	...	...
32 चिकित्सा विभाग	राजस्व	29622	*351*	29973
(एलोपैथी चिकित्सा)	पूंजी	...	...	...
34 चिकित्सा विभाग	राजस्व	500	...	500
(होम्योपैथी चिकित्सा)	पूंजी	...	...	...
35 चिकित्सा विभाग	राजस्व	511822	*27*	511849
(परिवार कल्याण)	पूंजी	...	...	...
36 चिकित्सा विभाग	राजस्व	79934	...	79934
(सार्वजनिक स्वास्थ्य)	पूंजी	...	...	...
37 नगर विकास विभाग	राजस्व	354700	*50*	354750
	पूंजी	...	...	...
38 नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	4985	...	4985
	पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3	
40 नियोजन विभाग	राजस्व	3950	...	3950
	पूंजी	...	...	...
41 निर्वाचन विभाग	राजस्व	620000	...	620000
	पूंजी	...	...	...
42 न्याय विभाग	राजस्व	1299	24870	26169
	पूंजी	...	...	...
43 परिवहन विभाग	राजस्व	5750	...	5750
	पूंजी	...	...	...
44 पर्यटन विभाग	राजस्व	3615	...	3615
	पूंजी	37195	...	37195
48 मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	2000	...	2000
	पूंजी	...	...	...
50 राजस्व विभाग	राजस्व	43500	...	43500
(जिला प्रशासन)	पूंजी	18975	...	18975
51 राजस्व विभाग (दैवी-	राजस्व	6390	...	6390
विपत्तियों के संबंध	पूंजी	...	...	...
में राहत)				
52 राजस्व विभाग (राजस्व-	राजस्व	43344	...	43344
परिषद् तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	1500	...	1500
	पूंजी	...	...	...
55 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	14460	...	14460
(भवन)	पूंजी	...	...	...
58 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	300000	...	300000
(संचार साधन)	पूंजी	988797	...	988797
59 लोक निर्माण विभाग	राजस्व	71081	...	71081
(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी	3328	...	3328
60 वन विभाग	राजस्व	9764	...	9764
	पूंजी	...	...	...
61 वित्त विभाग (ऋण सेवा	राजस्व	2603369	...	2603369
तथा अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...

अनुसूची—(क्रमशः)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
62 वित्त विभाग (अधिवर्ष		राजस्व	...	...	...
भत्ते तथा पेंशनें)		पूंजी	200000	...	200000
63 वित्त विभाग (कोषागार		राजस्व	47070	...	47070
तथा लेखा प्रशासन)		पूंजी	...	...	...
65 वित्त विभाग (लेखा		राजस्व	150	...	150
परीक्षा, अल्प बचत आदि)		पूंजी	...	...	...
70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		राजस्व	4	...	4
विभाग		पूंजी	...	...	...
71 शिक्षा विभाग		राजस्व	1476	...	1476
(प्राथमिक शिक्षा)		पूंजी	...	...	...
72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)		राजस्व	13550	...	13550
		पूंजी	7100	...	7100
73 शिक्षा विभाग		राजस्व	17423	...	17423
(उच्च शिक्षा)		पूंजी	12821	...	12821
75 शिक्षा विभाग (राज्य		राजस्व	...	...	...
शैक्षिक अनुसंधान एवं		पूंजी	...	*506*	506
प्रशिक्षण परिषद्)					
76 श्रम विभाग		राजस्व	...	*1335*	1335
(श्रम कल्याण)		पूंजी	...	...	...
78 सचिवालय प्रशासन		राजस्व	2105	...	2105
विभाग		पूंजी	...	...	...
79 समाज कल्याण विभाग		राजस्व	37772	...	37772
(विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)		पूंजी	2033	...	2033
80 समाज कल्याण विभाग		राजस्व	232608	...	232608
(समाज कल्याण एवं अनुसूचित		पूंजी	...	...	...
जातियों का कल्याण)					
82 सतर्कता विभाग		राजस्व	3541	...	3541
		पूंजी	...	...	...
89 संस्थागत वित्त विभाग		राजस्व	...	*61*	61
(व्यापार कर)		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची—(समाप्त)

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1306	...	1306
		पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	62602	...	62602
		पूंजी	30690	...	30690
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	...	*155*	155
		पूंजी	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्य)	राजस्व	9633	...	9633
		पूंजी	2192630	*11108*	2203738
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	334444	...	334444
		पूंजी	340429	...	340429
	योग,	राजस्व	12074255	*120507*	12194762
		पूंजी	5441565	*17444*	5459009
	कुल योग,		17515820	*137951*	17653771

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व खण्ड-3, अनुसूची खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1999-2000 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम औतार शाक्य जी अपना संशोधन रखें।

(श्री राम औतार शाक्य जी द्वारा अपना संशोधन न रखे जाने पर)

मैं अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा खाद्य एवं रसद मंत्री-(श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2-खण्ड-3 तक, खण्ड-1,

प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) 1999

संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

{भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।}

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायेगा।

(2) यह 27 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 25 और 25-क का प्रतिस्थापन

2-संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 25 और 25-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

कर्मचारिवर्ग

"25 (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, नियम, विनियम, या उप विधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,-

(क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हों, ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर सकती है और तदुपरान्त ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों की तैनाती किसी जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(ख) किसी ग्राम पंचायत में इस प्रकार स्थानान्तरित और तैनात किये जाने पर कर्मचारी या कर्मचारीगण उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, और सेवा निवृत्ति लाभों और अन्य विषयों के संबंध में, जिसमें पदोन्नति भी सम्मिलित है, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुये कोई ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, समय-समय पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पद को सृजित नहीं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(4) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें नियत किया जाय, ग्राम पंचायत उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी लघुदण्ड को अधिरोपित करने की शक्ति प्रधान की या अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकती है।

(5) उप धारा (3) के अधीन किसी कर्मचारी पर कोई दण्ड अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी या समिति को होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(6) नियत प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जाय, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर सकता है और राज्य सरकार, या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय, इसी प्रकार किसी ऐसे कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकता है।

(7) न्याय पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारिवर्ग में नियत रीति से नियुक्त कर सकती है, इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियत प्राधिकारी के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहेगा, जिसको उसे स्थानान्तरित करने, दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवा-मुक्त करने या पदच्युत करने की शक्ति होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी व्यक्ति को दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवामुक्त करने, या पदच्युत करने वाले नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को होगी।

25-क-राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त सेक्रेटरी किया जाय, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, या उपधारा (2) में, निर्दिष्ट कर्मचारियों में से एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगा जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों, संबंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हों, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा, और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा, या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करे, विनिर्दिष्ट किए जायें।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1999 — निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। यह परम्परा ठीक नहीं है। आप लोग नहीं जा रहें, इसलिए मैं सदन को 5.45 तक स्थगित करता हूं।

(इस समय 5 बजकर 24 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 5 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 5 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत और सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाये जाने से सम्बन्धित नियम 103 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

नियम 103 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेई, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा:-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय।

स्थगित की जाती है।

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता-

प्रदेश में सिन्थेटिक दूध के प्रयोग से होने वाली जन स्वास्थ्य की हानि से उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दो घंटे की चर्चा।

स्थगित की जाती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 14-07-99 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री राम सिंह सैनी की प्रदेश में नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के फलस्वरूप छात्र एवं छात्राओं के प्रवेश में हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के कर्मचारियों को गत बीस वर्षों से मिल रही चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वाहन भत्ता व शिक्षा सहायता सुविधाओं को समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर में विकास खण्ड टाण्डा अन्तर्गत केदारनगर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

अगली सूचना श्री भारत सिंह रावत की जनपद पौड़ीगढ़वाल की नगर पालिका परिषद्, दुगड्डा के कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। अगली सूचना श्री राम जग की जनपद आजमगढ़ के आई0टी0आई0 स्कूल, मेहनगर को आजमगढ़ शहर में न चलाकर मेहनगर मुख्यालय पर पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। अगली सूचना श्री विनोद मणि की जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की बुनकर समितियों के द्वारा आपूर्ति कराये गये कपड़े के मूल्य का भुगतान यूपिका द्वारा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत अगली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर में सरकोनी विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत गठन की अधिसूचना न जारी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अगली सूचना डा0 कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर में जमुवारी नदी अवरूद्ध हो जाने की वजह से फसलों को नष्ट होने से बचाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अगली सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर के लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-2 में सड़क निर्माण में की जा रही लापरवाही व अनियमितताओं के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है। अगली सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। अगली सूचना श्री अजय भट्ट की प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

बारहवीं सूचना श्री कृपा शंकर सिंह की अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा अधोमानक निर्माण कार्य कराये जाने तथा शासकीय धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवी सूचना श्री भीम प्रकाश सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेसुल्तानपुर में महिला अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौदहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ग्राम फुकीकोट परगना मझवार, तहसील एवं

जनपद चन्दौली में श्री राम सकल यादव द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जेदारी कर पुलिस के सहयोग से निर्माण कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पन्द्रहवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की पूरे प्रदेश में मुख्य सचिव के शासनादेश के बावजूद घटिया कार्यदायी संस्थाओं द्वारा इंण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सोलहवीं सूचना श्री राम चन्दर यादव की फैजाबाद जनपद में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र 5-5 राजस्व गांवों का विद्युतीकरण न किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्रहवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के पंडित दीनदयाल राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फरह तथा राजकीय भारतीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अडीग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अट्ठारहवी सूचना श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी की जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा विधायक निधि का धन कार्यदायी संस्था को न दिये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं सूचना श्री श्रीरामपाल की भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में, शहीद स्व0 श्री बड़े सिंह निवासी दुआरी, जिला कानपुर देहात के आश्रितों को के0डी0ए0 द्वारा उत्पीड़ित करने व शहीद सैनिकों का अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई हैं। जो सूचनाएं, अस्वीकृत की गयी हैं वे हैं डा0 राम बाबू हरित की, डा0 धर्मज्ञ मिश्र की, श्री हरदेव सिंह की, डा0 वकार अजमद शाह की, श्री श्रीराम यादव की, श्री विजय पाल सिंह की, श्री जगन प्रसाद गर्ग की, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी की और श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी की।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

14 जुलाई 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(दिखिये अता0प्र0सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला, पीलीभीत को निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी द्वारा फर्मों को दी गयी सूची का विवरण।

क्र0सं0	फर्म का नाम	आदेश संख्या एंव दिनांक
1-	कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानी खेत	सं0-10366/2731/93-94/लेखा दि0 19-3-94
2-	प्रताप फार्मास्युटिकल्स 19/772 इन्दिरा नगर, लखनऊ।	सं0-4314/93/94, दि0 28-3-94
3-	आयु0 औषधि निर्माणशाला, मु0नगर	सं0-4174/93-94, दि0 26-3-94
4-	मैकेवेल फार्मास्युटिकल्स, ए-53, सेक्टर-2, नोयडा।	सं0-4140/93-94/41/38, दि0 20-3-94
5-	प्रदीप फार्मा, आजाद रोड, भर्थना	सं0-4250/93-94, दि0 28-3-94
	तदेव	सं0-4194/93-94, दि0 26-3-94
7-	बी0एम0 फार्मा, भर्थना, इटावा	सं0-4260/93-94, दि0 28-3-94
8-	प्रताप फार्मास्युटिकल्स, इन्दिरा नगर लखनऊ।	सं0-4204/06-08, दि0 26-3-94
9-	मुकेश फार्मेसी इण्डस्ट्रीयल एरिया, सहारनपुर।	सं0-4304/93-94, दि0 28-3-94
10-	तदेव	सं0-4306/93-94, दि0 28-3-94
11-	तदेव	सं0-4619/93-94, दि0 29-3-94
12-	चाँद औषधालय, सिविल लाइन्स, कानपुर	सं0-4176/93-94, दि0 26-3-94
13-	के0 एल0 फार्मेसी, बरेली	सं0-4498/93-94, दि0 29-3-94
14-	न्यू इण्डिया फार्मास्युटिकल्स, सदर बाजार, हरदोई।	सं0-4178/93-94, दि0 26-3-94
15-	जैन आयुर्वेदिक्स, सआदतगंज, लखनऊ।	सं0-2172/93-94, दि0 26-3-94
16-	राहुल फर्मा, लखनऊ	सं0-4076/93-94, दि0 26-3-94

17- अशोक फार्मेसी, कोटला, मेरठ	सं0-4540/93-94, दि0 28-3-94
18- तदैव	सं0-4300/93-94, दि0 26-3-94
19- तदैव	सं0-4296/93-94, दि0 28-3-94
20- मार्क्स लैबोरे0, कानपुर	सं0-4136/93-94, दि0 26-3-94
21- तदैव	सं0-4616/93-94, दि0 28-3-94
22- परमात्मा आयु0 का0 उरई	सं0-4246/93-94, दि0 28-3-94
23- श्री जनता आयुर्वेद भवन, चौक बाजार, पीलीभीत	सं0-4196/93-94, दि0 28-3-94
24- तदैव	सं0-4388/93-94, दि0 28-3-94
25- ऋषि फार्मेसी, महमूदाबाद	सं0-4164/93-94, दि0 21-3-94

उत्तर प्रदेश विधान सभा

"नत्थी ख"

(देखिये अता0प्र0स0-177 का उत्तर पीछे पृष्ठ 99 पर)

35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 एवं 97-98 में लाभान्वित दम्पत्तियों की सूची का विवरण।

क्रम सं0	जनपद	वर्ष	लाभार्थियों का नाम व पता
1	2	3	4
1	आगरा	96-97	आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी को लाभान्वित नहीं किया जा सका।
2	लखनऊ	"	श्रीमती सकारा बेगम पत्नी श्री मो0 शकील, नि0 ग्राम व पो0 लिलमथा बाजार, लखनऊ।
3	"	"	श्रीमती संतोषी देवी पत्नी श्री राजेश कुमार, नि0-टी/128 बी, रेलवे कालोनी, ऐशबाग, थाना खाला बाजार, लखनऊ।
4	"	"	श्रीमती गडिया पत्नी श्री चन्द्रपाल, नि0 रानीखेड़ा मजरा सराय, शहजादा, पो0 बंथरा, लखनऊ।
5	"	"	श्रीमती मीता टंडन पत्नी श्री विनय कुमार टंडन, नि0 एम0डी0-30, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ।
6	मेरठ	"	श्रीमती गीतारानी, पत्नी गजराज सिंह, नि0 ग्रा0 अलीपुरखजूरी, मेरठ।
7	"	"	श्रीमती सुरेश देवी पत्नी बुद्ध प्रकाश, नि0 ग्राम राछौती, मेरठ।
8	"	"	श्रीमती सरला देवी पत्नी जयवीर सिंह, नि0 पल्लवपुरम, मेरठ।
9	"	"	श्रीमती सोनू पाण्डेय पत्नी राजीव पाण्डेय, नि0 221, सेक्टर-20, नोदडा, मेरठ।
10	"	"	श्रीमती मनोज देवी, पत्नी जितेन्द्र सिंह, नि0 ग्राम पराली, मेरठ।
11	"	"	श्रीमती राकेश देवी, पत्नी जगपाल सिंह, नि0 ग्रा0 राछौती, मवाना, मेरठ।

उत्तर प्रदेश राजपत्र

12	"	"	श्रीमती प्रकाशी देवी पत्नी सत्यपाल सिंह, नि0 खोडी सराय जानसठ, मेरठ।
13	"	"	श्रीमती कृष्णावती पत्नी नत्थु सिंह; नि0 ग्रा0 राछौती, मवाना, मेरठ।
14	"	"	श्रीमती सकीना पत्नी संधीक, नि0ग्रा0 मढ़ियाई सरधना, मेरठ।
15	"	"	श्रीमती मेमवती पत्नी वीर सिंह, नि0 मवाना, मेरठ।
16	"	"	श्रीमती जरीना पत्नी जल्फकार, नि0 ग्रा0 व पो0 डिलवाडी, मेरठ।
17	"	"	श्रीमती सुषमा रानी पत्नी महेश कुमार, नि0 प्यारेलाल शर्मा, मेरठ।
18	"	"	श्रीमती नूरजहां पत्नी यामीन, नि0 पट्टीमेहर, बड़ौत, मेरठ।
19	"	"	श्रीमती ओमकारी पत्नी राजकुमार, नि0 आजादनगर बड़ौत, मेरठ।
20	"	"	श्रीमती सुमन देवी पत्नी जगन्नाथ, नि0 ग्रा0 मवाना, मेरठ।
21	आगरा	97-98	श्रीमती राजेशकुमारी पत्नी उदयवीर सिंह पुत्र हंसराज ग्रा0 उस्मानपुर, एतमादपुर, आगरा।
22	"	"	श्रीमती मीरा पत्नी श्री बनवारीलाल, नि0 एफ0 299, ट्रांस यमुना कालोनी, फेज-2, आगरा।
23	"	"	श्रीमती गुड्डी पत्नी अशोक कुमार, ग्रा0 नगला वसुआ, डाकखाना बखौली, आगरा।
24	"	"	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी राम प्रसाद, ग्रा0 नगला वसआ, डाकखाना बखौली, आगरा।
25	"	"	श्रीमती निर्मला देवी, पत्नी श्री रनवीर सिंह, ग्रा0 व डाकखाना घोडदा, आगरा।

उत्तर प्रदेश गजट

26	लखनऊ	97-98	श्रीमती कमलेश पत्नी राम सजीवन, नि0 ग्रा0 दखिना शेखपुर, पो0-निगोहा, मोहनलालगंज, लखनऊ।
27	"	"	श्रीमती समवती देवी पत्नी राज, नि0 ग्रा0 दखिना शेखपुर, पो0 निगोहा, मोहनलालगंज, लखनऊ।
28	"	"	श्रीमती सरजू देवी पत्नी मेवालाल नि0ग्रा0 दखिना शेखपुर, पो0 निगोहा, मोहनलालगंज, लखनऊ।
29	"	"	श्रीमती आशा बाजपेई पत्नी कमल किशोर, नि0 जेल रोड, बंगला बाजार, भदरूख, लखनऊ।
30	"	"	श्रीमती जय देवी पत्नी कमलेश कुमार,नि0 गोमती नगर, मेहौरा, लोलाई, लखनऊ।
31	"	"	श्रीमती कलावती पत्नी श्री नन्द किशोर, नि0 ग्रा0 रसूलपुर, शादाब, लखनऊ।
32	"	"	श्रीमती गिरजेश कुमार पत्नी श्री घनश्याम, नि0 ग्रा0 तिवारीपुर, पो0 बी0के0टी0, लखनऊ।
33	"	"	श्रीमती नूरजहाँ पत्नी मो0 युनूस, नि0 ग्रा0 गोपलातह, ब्लाक बी0के0टी0, लखनऊ।
34	"	"	श्रीमती तारावती पत्नी दिलीप कुमार, नि0 रायपुर, पो0 भदेसुबा, लखनऊ।
35	मेरठ	97-98	श्रीमती विमलेश पत्नी चिरन्जीलाल, नि0ग्रा0 राछौती, मवाना, मेरठ।
36	"	"	श्रीमती सतीना पत्नी श्री कालू, नि0 मौडखुर्द, मेरठ।
37	"	"	श्रीमती कमलेश पत्नी हुकुम सिंह, नि0ग्रा0 मवाना, मेरठ।
38	"	"	श्रीमती नीतू पत्नी पंकज कुमार, नि0 मोजातिहाई, मेरठ।
39	"	"	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी ओमवीर, ग्रा0 राछौती, मेरठ।

40	"	"	श्रीमती राजवती पत्नी बलेश्वर, नि0 ग्रा0 भूनी सरघना, मेरठ।
41		"	श्रीमती मेहरूनिशा पत्नी जमशेद, ग्रा0 राछौती, मेरठ।
42	"	"	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी मल्खान सिंह, नि0 सैफपुर, फिरोजपुर, मेरठ।
43	"	"	श्रीमती भागरती पत्नी गंगापाल, नि0 ग्रा0 राछौती, मेरठ।
44	"	"	श्रीमती मुनेश देवी पत्नी होरामसिंह, नि0ग्रा0 भूनी, थाना सरघना, मेरठ।
45		"	श्रीमती पूनम पत्नी रणजीत सिंह, ग्रा0 भूनी, सरघना, मेरठ।
46	"	"	श्रीमती संतोष पत्नी जहांगीर, ग्रा0 राछौती, मेरठ।
47	"	"	श्रीमती शीला पत्नी जयवीर सिंह, 311, भरत विहार, मेरठ।
48	"	"	श्रीमती विरेश देवी पत्नी सुक्के, ग्रा0 राछौती, मेरठ।
49	"	"	श्रीमती विनीता पत्नी महावीर, नि0 ब्लाक परीक्षतगढ़, मेरठ।
50	"	"	श्रीमती ओमकारी पत्नी चंतरपाल, नि0 पल्लवपुरम, मेरठ।
51	"	"	श्रीमती बालेश देवी पत्नी धर्मेन्द्र, नि0 शिवशंकरपुरी, मेरठ।
52	"	"	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी सरेश, नि0ग्राम खालदपुर, मेरठ।
53	"	"	श्रीमती उषा देवी पत्नी वेद प्रकाश, नि0-54, बेरीपुरा, मेरठ।
54	"	"	श्रीमती प्रेमवती पत्नी सत्यवीर, नि0 नई बस्ती, लल्लापुरा, मेरठ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा